ग्रेटर भिवाड़ी भवन विनियम, 2013

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1.1 ये विनियम ग्रेटर भिवाड़ी भवन विनियम, 2013 कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम अधिसूचना की दिनांक से प्रवृत होंगे।

1.3 इन विनियमों का विस्तार नगर विकास न्यास, भिवाडी/नगर पालिका, भिवाडी/नगर पालिका, बहरोड के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में होगा। जिसमें ''भिवाडी–टपूकडा–खुशखेड़ा कॉम्पलैक्स एवं शाहजहापुर–नीमराना–बहरोड अरबन कॉम्पलैक्स के नगरीय क्षेत्र'' सम्मिलित है।

2. परिभाषाऐं:

इन विनियमों में जब तक विषय अथवा संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित नहीं हो:–

2.1 **अधिनियम** से नगर पालिका अधिनियम, 2009/ नगर सुधार अधिनियम, 1959 से अभिप्रेत है।

2.2 **अधिशाषी समिति** से उक्त अधिनियमों के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है।

2.3 **अग्नि शमन अधिकारी** से नगर निगम/नगर परिषद् द्वारा नियुक्त अग्नि शमन अधिकारी अभिप्रेत है।

2.4 **अनुसूची** से इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

2.5 **आयुक्त** से अधिनियम के अधीन नियुक्त आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिप्रेत है।

2.6 **आच्छादित क्षेत्रफल** से भूमि का आच्छादित क्षेत्रफल जो कुर्सी तल के ठीक ऊपर भवन द्वारा आच्छादित हो, अभिप्रेत है। यदि भवन स्टिल्ट पर बना है तो ठीक उसके ऊपर का तल क्षेत्र आच्छादित क्षेत्र की गणना का आधार होगा।

2.7 **औद्योगिक भवन** से कोई भवन या किसी भवन की संरचना का भाग जिसमें किसी भी प्रकार की सामग्री बनाई, संयोजित या प्रसंकृत की जाती हो, इनमें वेयर हाउसिंग भी सम्मिलित है, अभिप्रेत है।

2.8 **कुर्सी** से भूतल फर्श के धरातल और भूखण्ड के सामने के मुख्य सडक के तल के बीच की संरचना का भाग अभिप्रेत है।

2.9 **कुर्सी क्षेत्र** से बेसमेन्ट की छत या भू मंजिल के फर्श के स्तर पर निर्मित आच्छादित क्षेत्र अभिप्रेत है।

2.10 **खुला स्थान** से भूखण्ड का वह भाग जो आकाश की ओर खुला हो या पारदर्शी अथवा अर्धपारदर्शी मेटेरियल से ढका हो अभिप्रेत है।

2.11 **ग्राम पंचायत** से राजस्थान पंचायत अधिनियम संशोधन, 1994 के अन्तर्गत गठित ग्राम पंचायत अभिप्रेत है।

2.12 **गोदाम** से कोई ऐसा भवन या किसी भवन का भाग है जो कि मुख्य रूप से सामान के लिए भण्डारण के काम आता हो अभिप्रेत है।

2.13 **ग्रुप हाउसिंग** – ग्रुप हाउसिंग से तात्पर्य 5000 वर्गमीटर व इससे अधिक क्षेत्रफल के ऐसे आवासीय भूखण्ड/स्थल, जो 18 मीटर एवं इससे अधिक चौडी सडक पर स्थित हो, पर फ्लेट्स के ब्लॉक्स/आवासो के समूहों के निर्माण से है।

2.14 **फ्लैट्स** – फ्लैट्स से तात्पर्य 12 मीटर एव इससे अधिक चौडी सडकों पर 750 वर्गमीटर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भूखण्डों पर एक से अधिक निवास इकाईयों/आवास समूहों के निर्माण से है।

2.15 **छज्जा** से सामान्यतया बाहरी दीवारों पर खुलने वाले स्थानों के ऊपर धूप तथा वर्षा से बचाव के प्रयोजनार्थ बनाये जाने वाली ढलवा अथवा क्षैतिज संरचना अभिप्रेत है।

2.16 **बेसमेन्ट** से भवन का ऐसा भाग जिसे पूर्णता/आंशिक भू सतह के नीचे निर्मित किया गया हो जिसमें लोअर ग्राउण्ड फ्लोर सम्मलित नही है अभिप्रेत है।

2.17 **लोअर ग्राउण्ड फ्लोर** से अभिप्रेत है कि व्यवसायिक एवं संस्थानिक उपयोग के लिए भवन का ऐसा भाग जिसका फर्श सड़क के लेवल से अधिकतम 2.0 मीटर तक नीचे बनाया जाये।

2.18 **एफ.ए.आर.** से सभी मंजिलों के सकल आच्छादित क्षेत्रफल को (जो इस हेतु गणना योग्य है) भूखण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने पर प्राप्त भागफल अभिप्रेत है।

2.19 **नगरपालिका** से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के अधीन स्थापित कोई नगरपालिका बोर्ड/नगर परिषद्/नगर निगम अभिप्रेत है।

2.20 **नेशनल बिल्डिंग कोड** से भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नेशनल बिल्डिंग कोड का प्रचलित संस्करण अभिप्रेत है।

2.21 **निवास इकाई**: निवास इकाई से भवन या उसका भाग अभिप्रेत है जिसमें न्यूनतम एक वास योग्य कमरा, रसोई, शौचालय, हो जो पूर्णतः/मुख्यतः निवासीय प्रयोजन के लिए अधिकल्पित हो या उपयोग में लिया जाता हो।

2.22 **प्रोजेक्शन** से किसी भी भवन से बाहर निकली हुई कोई संरचना (जो किसी भी सामग्री की हो) अभिप्रेत है।

2.23 **आवासीय भवन** से कोई भवन जो मुख्य रूप से मनुष्यों के आवासन के लिये काम आता हो या अधिकल्पित हो, अभिप्रेत है।

2.24 **हैजार्डस भवन** से कोई ऐसा भवन या किसी भवन का कोई भाग जो अत्याधिक ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थों या उत्पादकों के जो अत्याधिक तेजी से जल उठने वाले और अथवा जो विषैला धुंआ या विस्फोटक उत्पन्न करने वाले हो अथवा ऐसे भण्डारण उठाई, धराई, निर्माण या प्रसंस्करण के लिये जिसमें बहुत अधिक संक्षारक, विषैला या हानिकारक क्षार, अमल या कोई ऐसा अन्य द्रव्य अथवा रसायन काम आता हो जो ज्वाला, धुंआ और विस्फोट उत्पन्न कर सकते हो, विषैला प्रदाहजनक या संक्षारण गैस उत्पन्न कर सकते हो, अथवा ऐसी सामग्री जिसके भण्डारण उठाई, धराई या प्रसंस्करण से धूल का विस्फोटक मिश्रण उत्पन्न होता हो या पदार्थ को स्वतः ज्वलनशील सूक्ष्म अंशों में विभाजित करता हो, के भण्डारण, उठाई, धराई, निर्माण या प्रसंस्करण के लिये उपयोग में लिया जाता हो अभिप्रेत है।

2.25 **प्रशासक** से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत नियुक्त प्रशासक अभिप्रेत है।

2.26 **पैरापेट** से रेंलिग सहित या रहित छत या फर्श के सिरे के साथ–साथ निर्मित नीची दीवार जो 1.5 मीटर से अधिक तथा 0.75 मी. से कम ऊंचाई की नहीं हो, अभिप्रेत है।

2.27 **पार्किंग** स्थल से वाहनों को पार्क करने के लिये पर्याप्त आकार का स्थल जो किसी गली या रास्ते से जोड़ने वाले वाहन मार्ग सहित अहातायुक्त/अहातारहित कोई क्षेत्र चाहे वह आच्छादित हो अथवा खुला हो अभिप्रेत है।

2.28 **पार्टीशन वाल** से भार सहन न करने वाली आन्तरिक दीवार, ऊंचाई में एक मंजिल या उसका भाग अभिप्रेत है।

2.29 **रोड लेवल** से भूखण्ड के सामने की मुख्य सड़क के मध्य की ऊंचाई का लेवल अभिप्रेत है जिस पर भूखण्ड स्थित है, यदि भूखण्ड के सामने की सड़क ढलान में है तो भूखण्ड के सामने स्थित रोड का उच्चतम लेवल अभिप्रेत है।

2.30 **पोर्च** से भवन के प्रवेश द्वार पर पैदल या वाहनों के लिये खम्भों पर आधारित अथवा अन्यथा आच्छादित धरातल अभिप्रेत है।

2.31 **बालकनी** से आने जाने या बाहर बैठने के स्थान के रूप में काम आने वाला रेलिंग रहित या सहित क्षैतिज आगे निकला भाग अभिप्रेत है।

2.32 **बहुमंजिला भवन** से ऐसा भवन जिसकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक हो अभिप्रेत है।

2.33 **बरामदा** से ऐसा आच्छादित क्षेत्र जिसका कम से कम एक पार्श्व बाहर की ओर खुला हो व ऊपर की मंजिलों में खुले पार्श्व की ओर अधिकतम 1 मीटर ऊंचाई की पैरापेट खड़ी की गई हो अभिप्रेत है।

2.34 **भवन** से कोई संरचना या परिनिर्माण या किसी संरचना या परिनिर्माण का भाग जो कि आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक या अन्य प्रयोजनों हेतु प्रयोग में लिये जाने के लिये आशयित हो, (चाहे वास्तव में काम में आ रहा हो या नहीं) अभिप्रेत है।

2.35 **भवन रेखा** से वह रेखा जहां तक भवन कुर्सी का विधि पूर्वक विस्तार हो सकता है अभिप्रेत है।

2.36 **भवन मानचित्र समिति** से नगर सुधार अधिनियम, 1959 / राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के तहत गठित भवन मानचित्र समिति अभिप्रेत है।

2.37 **भवन निर्माण** से नये भवन का निर्माण, निर्मित भवन में परिवर्तन या परिवर्धन, निर्मित भवन को आंशिक या पूर्ण रूप से ध्वस्त किया जाकर पुनर्निर्माण, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा से आंशिक या पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त भवन का आंशिक या पूर्ण रूप से निर्माण कराना अभिप्रेत है।

2.38 **भूखण्डधारी** से भूखण्ड का विधिसम्मत मालिकाना हक रखने वाला व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है।

2.39 **भूमि स्तर (ग्राउण्ड लेवल)** से भूखण्ड या स्थल का औसत तल अभिप्रेत है।

2.40 **मल्टीप्लेक्स** से ऐसा भवन जिसमें एक या एक से अधिक सिनेमा, थियेटर, सभा स्थल के साथ मनोरंजन, रेस्टोरेंट एवं वाणिज्यिक गतिविधियाँ जैसे– शौरूम, रिटेल शॉप्स प्रस्तावित हो, अभिप्रेत है।

2.41 **मैजनीन** से भूतल एवं इससे ऊपर की किन्हीं दो तलों के बीच एक मध्यवर्ती मंजिल जो कि भूमि तल से ऊपर हो एवं जिसका प्रवेश केवल निचली मंजिल से हो अभिप्रेत है, तथा जिसका फर्श क्षेत्र संबंधित कमरे के एक तिहाई से अधिक न हो एवं स्पष्ट ऊँचाई 2.4 मी. से कम न हो।

2.42 **मोटल** से ऐसा भवन जो यात्रा करने वालों के ठहरने, वाहन पार्किंग एवं रिपेयरिंग रिटेल शॉपिंग एवं खान–पान की सुविधा के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़क (एम.डी.आर.) अन्य जिला सड़क (ओ.डी.आर.) एवं ग्रामीण सम्पर्क सड़क जिनकी न्यूनतम चौड़ाई 18 मीटर हो पर स्थित/स्थापित हो से अभिप्रेत है।

2.43 **मंजिल** से किसी भवन का वह भाग जो किसी फर्श की सतह और उसके ठीक ऊपर के फर्श की सतह के मध्य स्थित है अथवा जहां उसके ऊपर कोई फर्श नहीं, वहां किसी फर्श तथा ठीक उसके ऊपर की छत के मध्य का स्थान।

2.44 **रिसोर्ट्स** से ऐसा भवन जिसमें पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था के साथ–साथ आमोद प्रमोद व मनोरंजन की सुविधाएं हो अभिप्रेत है।

2.45 **वाणिज्यिक भवन** से ऐसा कोई भवन जिसका उपयोग व्यावसायिक गतिविधियां जैसे दुकानें, वाणिज्यिक कार्यालय आदि के लिए किया जा रहा हो अथवा किया जाना प्रस्तावित हो जैसा कि अनुसूची 1 में वर्णित है अभिप्रेत है।

2.46 **वास योग्य कमरा**ः ऐसा कमरा जो एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा अध्ययन रहवास, सोने या खाने के प्रयोजनार्थ अधिवास में लिया हुआ हो या अधिवास हेतु परिकल्पित हो किन्तु इसमें स्नानघर, शौचालय, लॉन्ड्री, भोजन, सेवा, भण्डारण, गेलेरी, रसोई, जिनका ज्यादातर समय उपयोग नहीं किया जाता है सम्मिलित नहीं होंगे। ऐसे कमरों की न्यूनतम ऊंचाई 2.75 मी. होगी।

2.47 **संस्थागत भवन** से विद्यालय, महाविद्यालय, सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी संस्थाओं के कार्यालय, अस्पताल, नर्सिंग होम एवं सामुदायिक सुविधाओं के लिए प्रयोग हेतु भवन जैसा कि अनुसूची 1 में वर्णित है अभिप्रेत है। सूचना तकनीक इकाई में निम्न उपयोग के भवन सम्मलित होंगे :–

सॉफ्टवेयर एपलीकेशन, कॉल सेन्टर, मेडिकल ट्रान्सक्रिपशन, बायो इन्फोरमेटिक, वेब/डिजिटल डवलपमेंट सेन्टर आदि।

2.48 **शौचालय** से ऐसा स्थान, जो कि मल या मूत्र त्यागने के लिए या दोनों के लिए हो, उसमें मनुष्यमल के लिये संयोजिकत पात्र यदि कोई हो, के साथ की संरचना अभिप्रेत है।

2.49 **सड़क की चौड़ाई** से सड़क से सटे दोनों ओर स्थित भूखण्डों के बीच की दूरी अभिप्रेत है।

2.50 **सक्षम अधिकारी** से विनियम 5 में वर्णित अधिकारी अभिप्रेत है।

2.51 **स्टिल्ट फ्लोर** से खम्बों पर बना हुआ एवं तीन तरफ से खुला तल जो कि मुख्य रूप से पार्किंग के काम आता हो अभिप्रेत है।

2.52 **योजना क्षेत्र** से अधिनियम के अधीन तैयार स्कीम या गृह निर्माण सहकारी समिति की स्वीकृति योजना या उपविभाजन नियम, 1975 के तहत स्वीकृत निजी योजना पूर्व की पंचायत समिति की स्वीकृत योजनाऐं अथवा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत स्वीकृत की गई योजना/अथवा पूर्व नगर सुधार न्यास की स्वीकृत योजना तथा आवासन मण्डल एवं रीको की योजना अभिप्रेत है।

2.53 **सैटबैक** से उन न्यूनतम दूरियां जो भू–खण्ड की सीमा रेखाओं से भू–खण्ड के अन्दर विधिपूर्वक किसी भवन की कुर्सी का निर्माण किया जा सकता है, से अभिप्रेत है।

1. सामने के सैटबेक से किसी भू–खण्ड के सड़क की तरफ लगने वाली सीमा से भवन रेखा की दूरी अभिप्रेत है।
2. पार्श्व सैटबेक से किसी भू–खण्ड के पार्श्व सीमा से भवन रेखा की दूरी अभिप्रेत है।
3. पीछे के सैटबेक से किसी भू–खण्ड के पीछे की सीमा से भवन रेखा की दूरी अभिप्रेत है।

2.54 **सर्विस फ्लोर** से किन्हीं दो मंजिलों के बीच की 2.2 मीटर ऊँची मंजिल जो कि केवल भवन से सम्बन्धित पाइप, सर्विस डक्ट इत्यादि के उपयोग में लाया जाये अभिप्रेत है।

2.55 **समतुल्य कार इकाई** से एक समतुल्य कार इकाई यानि एक कार या तीन स्कूटर या छः साईकिल के बराबर अभिप्रेत है।

2.56 **होटल** से बीस या अधिक व्यक्तियों के भोजन सहित या रहित ठहराने के लिए काम में आने वाला भवन अभिप्रेत है।

2.57 **जोनिंग कोड** से मास्टर प्लान में शामिल जोनिंग कोड (भू उपयोग जोनिंग कोड) अभिप्रेत है।

2.58 **मिश्रित भू–उपयोग से मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान में दर्शित मिश्रित भू–उपयोग अथवा जोनिंग कोड में वर्णित मिश्रित भू–उपयोग अभिप्रेत है। 24 मीटर एवं उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर व्यावसायिक भूखण्डों में मिश्रित भू–उपयोग अनुज्ञेय होगा। मिश्रित उपयोग हेतु अनुज्ञेय भूखण्डो में Horizontally अथवा Vertically आवासीय/व्यवसायिक/संस्थागत तीनों उपयोग पृथक–पृथक अथवा एक ही भवन में अनुज्ञेय होंगे।**

2.59 **फार्म हाउस** से रूपान्तरित भूमि पर ऐसा आवासीय भवन जो मुख्य रूप से कृषि/बागवानी के उपयोग में लिया जावें, अभिप्रेत है।

2.60 **कम्पलीशन सर्टिफिकेट** से अभिप्रेत ऐसे प्रमाण पत्र से है जो किसी भवन अथवा भवन इकाई के पूर्ण हो जाने पर विनियम 14.13 के प्रावधान की पालना पूर्ण करने पर दिया जावें।

2.61 **टी.डी.आर.** (ट्रान्सफरेबल डवलपमेंट राईट)– टी.डी.आर. से एफ.ए.आर. का ऐसा अधिकार पत्र जो कि टी.डी.आर. पॉलिसी/नियमों के अन्तर्गत संबंधित निकाय द्वारा जारी किया गया हो, अभिप्रेत है।

2.62 **हॉस्टल** :– हॉस्टल से ऐसे भवन अभिप्रेत हैं जिसका उपयोग भवन स्वामी के स्वयं के निवास के अतिरिक्त छात्रों/निजी वेतन भोगी कर्मचारियों के अस्थाई निवास हेतु निर्मित किया जाना अथवा उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

2.63 **नगरीय क्षेत्रः–** नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3 की उप–धारा (1) के तहत अधिसूचित भिवाडी–टपूकडा–खुशखेड़ा कॉम्पलैक्स का नगरीय क्षेत्र एवं शाहजहापुर–नीमराना–बहरोड अरबन कॉम्पलैक्स का नगरीय क्षेत्र, से अभिप्रेत है।

2.64 **सर्विसड अपार्टमेन्टः– सर्विसड अपार्टमेन्ट से आशय ऐसे फर्निस्ड एक/दो शयन कक्ष मय रसोई व टॉयलेट अपार्टमेन्टस से है, जो कि कम समय/लम्बे समय के लिये ठहरने के लिये उपयोग हेतु उपलब्ध कराये जाने के उद्धेश्य से बनाया जाना प्रस्तावित हो व जिस में रहने के लिये दैनिक उपयोग हेतु समस्त सुविधाएं उपलब्ध हों व जो कि अस्थायी निवास के रूप में उपयोग में लिया जाता हों। ऐसे उपयोग मास्टर विकास योजना/मास्टर प्लान में दर्शित आवासीय भू–उपयोग तथा आवासीय भूखण्डो पर अनुज्ञेय होंगे।**

टिप्पणी:– (क) वे शब्द और अभिव्यक्तियों जो इन विनियमों में लिखी गई हैं किन्तु इनमें परिभाषित नहीं की गई हैं, उनका वही अर्थ होगा जैसा कि उनके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1981/जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2008 / नगर पालिका अधिनियम, 2009 / नगर विकास अधिनियम, 1959 में निर्धारित किया गया है।

(ख) अन्य परिभाषायें जो यहां उल्लेखित नहीं है उनका वही अर्थ होगा जैसा उनके लिये राष्ट्रीय भवन संहिता में निर्धारित किया गया है।

3. भिवाडी– टपूकडा– खुशखेड़ा कॉम्पलैक्स का नगरीय क्षेत्र एवं शाहजहापुर– नीमराना– बहरोड अरबन कॉम्पलैक्स का नगरीय क्षेत्रः–

नगरीय क्षेत्र को नीचे वर्णित भौगोलिक सीमाओं के अनुसार 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

क्षेत्र एस 1: नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्र के गांवों का आबादी क्षेत्र जो ग्राम पंचायत द्वारा प्रबंधित है।

क्षेत्र एस 2: नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले नगरपालिका मंडलों का क्षेत्र एव नगर विकास न्यास एवं राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा नगर पालिका को हस्तांतरित क्षेत्र।

क्षेत्र एस 3: रीको एवं राजस्थान आवासन मण्डल की योजनाओं का क्षेत्र।

क्षेत्र एस 4: उपरोक्त वर्णित क्षेत्र एस 1, एस 2, एस 3 को छोड़कर नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाला समस्त क्षेत्र।

4. बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के भवन निर्माण पर निषेधः

कोई भी भवन निर्माण बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वलिखित स्वीकृति के नहीं किया जा सकेगा। सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित भवन मानचित्र/मानचित्रों के अनुसार ही भवन निर्माण कार्य किया जा सकेगा।

परन्तुः–

(i) विनियम 2.52 में उल्लेखित योजना क्षेत्रों में 500 व.मी. क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों में एवं फार्म हाउस के प्रकरणों में तथा ऐसे वाणिज्यिक भूखण्ड जिनकी टाईप डिजाइन हो, के लिये भवनों का निर्माण सक्षम अधिकारी की बिना स्वीकृति के इन विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप किया जा सकेगा। इसके लिये निम्न प्रक्रिया होगीः–

(क) आवासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रार्थी द्वारा विस्तृत मानचित्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल स्थल मानचित्र में प्रस्तावित सैटबेक (नियमानुसार देय) दर्शातें हुए निर्धारित प्रारूप में आवेदन दस्तावेज एवं देय शुल्क सम्बन्धित सक्षम अधिकारी को (विनियम 5 में वर्णित सक्षम अधिकारियों में से तकनिकीविद को छोड़कर अन्य) प्रस्तुत करने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ किया जा सकता है।

(ख) इसी प्रकार व्यावसायिक निर्माण हेतु प्रार्थी अनुमोदित टाईप डिजाईन संलग्न करते हुए निर्धारित प्रारूप में आवेदन, दस्तावेज एवं देय शुल्क प्रस्तुत करने के पश्चात् ही निर्माण प्रारंभ कर सकता है।

(ii) विनियम 2.52 में वर्णित योजना क्षेत्रों में सभी क्षेत्रफल के आवासीय भूखण्डों पर प्रथम मंजिल तक की स्वीकृति देने के लिए नगर पालिका /नगर विकास न्यास में विनियम 18.2 (i) से (iv) तक वर्णित अर्हतायें रखने वाले विनियम 18.4 के अनुसार पंजीकृत तकनिकीविद अधिकृत है। इनके द्वारा विनियम 13.3 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार निर्माण स्वीकृति दी जायेगी। प्रार्थी द्वारा इन विनियमों के अनुसार सैटबेक छोड़ना अनिवार्य है अन्यथा निर्माण अवैध माना जायेगा एवं प्रार्थी के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।

(iii) निम्न प्रकार के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी यदि इन कार्यों/परिवर्तनों से भवन विनियमों के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होः–

(क) आंतरिक परिवर्तन

(ख) बागवानी हेतु।

(ग) सफेदी कराने हेतु।

(घ) रंगाई हेतु।

(ड.) पुनः टाइल्स अथवा पुनः छत बनवाने हेतु।

(च) प्लास्टर करने हेतु।

(छ) पुनः फर्श बनवाने हेतु।

(ज) स्वयं के स्वामित्व की भूमि में छज्जा निर्माण कराने हेतु।

(झ) प्राकृतिक विपदा के कारण नष्ट हुए भवन को उस सीमा तक जिस सीमा तक नष्ट होने से पूर्व निर्माण था, पुनः निर्माण हेतु।

(ण) 2.0 मीटर तक ऊंचाई की बाउण्ड्रीवाल तथा 1 मीटर ग्रिल/फेन्सिंग हेतु।

(ट) निर्मित भवनों में कुर्सी की ऊंचाई बढ़ाने हेतु।

(ठ) पानी के भण्डारण हेतु टेंक।

(ड) कूलिंग प्लान्ट।

(ढ) भवन से संबंधित सेवायें एवं सुविधायें जैसे वातानुकूलन आग से बचाव इत्यादि।

5. सक्षम अधिकारीः

भवन निर्माण अनुमति हेतु निम्नानुसार सक्षम अधिकारी होंगे जो कि नगर पालिका /नगर विकास न्यास द्वारा निर्धारित शुल्क (भवन निर्माण अनुमोदन शुल्क अधिवास प्रमाण पत्र एवं मलबा शुल्क आदि) लिये जाने के लिये भी अधिकृत होंगेः–

5.1 क्षेत्र एस 1 में ग्राम पंचायत का प्राधिकृत अधिकारी।

5.2 क्षेत्र एस 2 में सम्बन्धित नगर पालिका का भवन मानचित्र समिति अथवा प्राधिकृत अधिकारी।

5.3 क्षेत्र एस 4 में रीको एवं आवासन मण्डल की योजनाओं को छोड़कर नगर विकास न्यास की भवन मानचित्र समिति अथवा प्राधिकृत अधिकारी।

5.4 नगरीय क्षेत्र में 2.52 में वर्णित योजना क्षेत्रों में प्रथम मंजिल तक के प्रस्तावित आवासीय भवनों के लिए नगर विकास न्यास/ नगर पालिका में विनियम 18.2 (i) से (iv) में वर्णित पंजीकृत तकनिकीविद भी अधिकृत होंगे।

5.5 रीको की योजनाओं में रीको द्वारा प्राधिकृत अधिकारी।

5.6 राजस्थान आवासन मण्डल की योजनाओं (स्थानीय निकाय को योजना हस्तान्तरण से पूर्व) में राजस्थान आवास मण्डल का प्राधिकृत अधिकारी।

6. विशेष शक्तियांः

6.1 इन विनियमों के विषय पर जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/ नगर निगम/नगर परिषद् द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णयों के आधार पर जारी किये गये आदेश/अधिसूचना, जहां तक वह इन विनियमों के प्रावधानों से असंगत नहीं हो, अथवा प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए हो विनियमों के भाग समझे जायेंगे। इनकी प्रति सभी सक्षम अधिकारियों को भेजी जायेगी। तथा सार्वजनिक रूप से विज्ञप्ति जारी की जायेगी।

6.2 नगर विकास न्यास/नगर पालिका /नगर परिषद् तथा अन्य सक्षम अधिकारियों द्वारा मुख्य/महत्वपूर्ण सड़कों, पुरातत्व/ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्मारकों के समीप भवनों के वास्तुकला सम्बन्धी स्वरूप तथा अधिकल्पन रंग और विज्ञापन तख्तियां एवं चिन्हों के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये जा सकेंगे एवं निर्माण को नियंत्रित किया जा सकेगा।

6.3 ऐसे भवन जिस बाबत इन विनियमों में मानदण्ड निर्धारित नहीं है उनके लिए एवं विशेष योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा अलग से मानदण्ड निर्धारित किये जा सकेंगे।

6.4 इन विनियमों की तकनीकी व्याख्या के कारण विवादित मामलों को तय करने हेतु प्रकरणों को मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान के माध्यम से राज्य सरकार को भेजा जायेगा।

6.5 गैर योजना क्षेत्रों के लिए भवन मानचित्र समिति द्वारा मौजूदा भवन रेखा को प्रभावित किए बिना स्थल के स्वरूप को ध्यान में रखते हुये भिन्न सैटबेक भवनों की ऊंचाई, एफ. ए.आर., पार्किंग आदि मानदण्ड भी निर्धारित किये जा सकेंगे।

6.6 किसी प्रकरण में एफ.ए.आर. इन विनियमों के प्रावधानों से अधिक दिया जाना प्रस्तावित है तो ऐसे प्रकरणों में केवल राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी जा सकती है।

6.7 इन विनियमों के अन्तर्गत किसी प्रावधान में शिथिलता/छूट तथा विनियमों के मानदण्डों में सामरिक दृष्टि से परिवर्तन करने का राज्य सरकार को अधिकार होगा।

7. भवन निर्माण हेतु मानक स्तरः

7.1 इन विनियमों में उल्लेखित भवन मानदण्ड, आन्तरिक मानदण्ड, भवन सुविधाएं एवं संरचनात्मक तथा अन्य सुरक्षात्मक मापदण्डों के रूप में निर्धारित मानदण्ड भवन निर्माण हेतु मानक स्तर होंगे।

7.2 नगरीय क्षेत्र में स्थित राजस्थान आवासन मण्डल की प्रस्तावित योजनाओं में सभी प्रकार के उपयोग हेतु तथा रीको की औद्योगिक उपयोग के अलावा प्रस्तावित अन्य उपयोग के भवनों हेतु भवन निर्माण के मानदण्ड इन विनियमों के अनुसार होंगे।

8. भवन निर्माण की श्रेणियों एवं मानदण्डः

8.1 नगर विकास न्यास/ नगर पालिका/नगर परिषद् क्षेत्र के मास्टर प्लान/जोनिंग कोड में वर्णित विभिन्न भू उपयोगों के लिए आवश्यक भवनों के लिए मानदण्ड निर्धारित करने की दृष्टि से निम्न पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है तथा प्रत्येक

वर्ग में आने वाली गतिविधियों की अनुसूची इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची 1 में दी गई है।

8.1.1 आवासीय भवनः

(क) स्वतंत्र आवास

(ख) ग्रुप हाउसिंग

(ग) फ्लेट्स

(घ) फार्म हाउस

8.1.2 वाणिज्यिक भवनः

(क) लघु व्यावसायिक प्रतिष्ठान/दुकानें

(ख) व्यावसायिक परिसर/होटल

(ग) मोटल

(घ) रिसोर्ट

(ड.) थोक व्यापार केन्द्र

(च) एम्यूजमेन्ट पार्क/गोल्फ कोर्स

(छ) सिनेमा

(ज) मल्टीप्लेक्स

(झ) पेट्रोल पम्प एवं फिलींग स्टेशन

8.1.3 संस्थागत भवन

8.1.4 औद्योगिक भवन एवं वेयर हाउसिंग

8.1.5 विशेष प्रकृति के भवन

8.2 आवासीय भवनः

आवासीय भवनों के लिये भवन निर्माण बाबत् भूखण्ड का क्षेत्रफल, सैटबेक की न्यूनतम आवश्यकता, आच्छादित क्षेत्र, ऊंचाई, एफ.ए.आर. की सीमायें तालिका **"1"/"2"/"3"/"7"** जैसा भी लागू हो, के प्रावधानों के अनुसार होगी।

आवासीय योजना/गैर योजना क्षेत्रो/पृथक आवासीय भूखण्डो में हॉस्टल/गेस्ट हाउस के लिये भवन निर्माण बाबत् भूखण्ड का क्षेत्रफल, सैटबेक की न्यूनतम आवश्यकता, आच्छादित क्षेत्र, ऊंचाई, एफ.ए.आर. की सीमायें तालिका **"1"**(अ) के प्रावधानों के अनुसार होगी।

तालिका ''1''

आवासीय योजनाओं/गैर योजना क्षेत्रों/पृथक आवासीय भूखण्डों हेतु मार्गदर्शक रूपरेखा एवं स्वतंत्र आवासीय भवन निर्माण हेतु मानदण्ड

क्र.सं.	उपयोग का प्रकार भूखण्ड का क्षेत्रफल	अधिकतम आच्छादित क्षेत्र	न्यूनतम सैट बेक्स (मी.)				अधिकतम ऊँचाई	मानक एफ.ए.आर.
			सामने	पार्श्व	पार्श्व	पीछे		
(क)(i)	50 व.मी. तक	सैटबेक्स क्षेत्र के अन्दर	1.5	––	––	––	8 मी.	जो भी प्राप्त हो
(ii)	50 व.मी. से ज्यादा परन्तु 75 व.मी. तक	सैटबेक्स क्षेत्र के अन्दर	1.5	––	––	––	8 मी.	जो भी प्राप्त हो
(ii)	75 व.मी. से ज्यादा परन्तु 100 व.मी. तक	सैट बेक क्षेत्र के अन्दर	3.0	––	––	1.5	8 मी.	जो भी प्राप्त हो
(iii)	100 व.मी. से ज्यादा परन्तु 168 व.मी. तक	सैट बेक क्षेत्र के अन्दर	3.0	––	––	2.5	12 मी. अधिकतम भूतल एवं 2 मंजिले	जो भी प्राप्त हो
(iv)	168 व.मी. से ज्यादा परन्तु 225 व.मी. तक	सैट बेक क्षेत्र के अन्दर	4.5	––	––	2.5	12 मी. अधिकतम भूतल एवं 2 मंजिले	जो भी प्राप्त हो
(v)	225 व.मी. से ज्यादा परन्तु 350 व.मी. तक	सैट बेक क्षेत्र के अन्दर	4.5	3.0	––	3.0	12 मी. अधिकतम भूतल एवं 2 मंजिले	जो भी प्राप्त हो
(vi)	350 व.मी. से ज्यादा परन्तु 500 व.मी. तक	सैट बेक क्षेत्र के अन्दर	6.0	3.0	––	3.0	14 मी. अधिकतम भूतल एवं 2 मंजिले	जो भी प्राप्त हो
(vii)	500 व.मी. से ज्यादा परन्तु 750 व.मी. तक	सैट बेक क्षेत्र के अन्दर	7.5	3.0	3.0	3.0	14 मी.	1.2
(viii)	750 व.मी. से ज्यादा परन्तु 1500 व.मी. तक	सैट बेक क्षेत्र के अन्दर	9.0	4.5	4.5	4.5	14 मी.	1.2
(ix)	1500 व.मी. से ज्यादा परन्तु 2500 व.मी. तक	सैट बेक क्षेत्र के अन्दर	12.0	6.0	6.0	6.0	14 मी.	1.2
(x)	2500 व.मी. से ज्यादा परन्तु 5000 व.मी. तक	40%	12.0	9.0	9.0	9.0	14 मी.	1.2

(xi)	5000 व.मी. से ज्यादा परन्तु 1 हैक्टेयर तक	35%	15	9	9	9	14 मी.	1.2
(xii)	1 हैक्टेयर से ज्यादा परन्तु 10 हैक्टेयर तक	35%	18	9	9	9	14 मी.	1.2
(ख)	फार्म हाउस न्यूनतम क्षेत्रफल 2500 व.मी.	भूखण्ड के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा 500 वर्गमीटर जो भी कम हो	15	10	10	10	8 मी.	––

तालिका "1" के लिए टिप्पणीः– तालिका– के बिन्दु संख्या (x), (xi) व (xii) में अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 5 प्रतिशत तक अतिरिक्त अनुज्ञेय किया जा सकेगा यदि आवेदक द्वारा प्रस्तावित भूखण्ड पर टीडीआर का उपयोग प्रस्तावित किया जावें (75 प्रतिशत टीडीआर में समायोजित होगा व शेष 25 प्रतिशत नगद लिया जायेगा) अथवा अतिरिक्त आच्छादित क्षेत्र पर 75 रूपयें प्रति वर्ग फीट अथवा आरक्षित दर का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो की दर से बेटरमेन्ट लेवी ली जावेगी।

(i) आवासीय भूखण्ड पर एक से अधिक निवास इकाई देय है परन्तु एक तल पर एक निवास इकाई अनुज्ञेय होगी। आवासीय भूखण्ड में 3 से अधिक इकाई प्रस्तावित होने पर विनियम 10.1 के अनुसार पार्किंग का प्रावधान करना आवश्यक होगा। यदि किसी भूखण्ड पर 14 मीटर से अधिक उचांई का भवन बनाना प्रस्तावित हो तो तालिका '2' के प्रावधान लागू होंगे।

(ii) भूखण्ड में किसी मंजिल पर स्वयं के निवास का 25 प्रतिशत अथवा 100 वर्ग.मी. जो भी कम हो, निम्न प्रकार के स्वनियोजन व्यवसाय के लिये उपयोग में लिया जा सकता हैः–

(क) एडवोकेट (ख) इंजीनियर (ग) डॉक्टर (घ) वास्तुविद (ड.) चार्टर्ड एकाउन्टेंट/वित्तीय सलाहकार (च) मीडिया प्रोफेशनल का कार्यालय (छ) नगर नियोजक का कार्यालय एवं (ज) अन्य उक्त प्रकार के स्वनियोजन व्यवसाय परन्तु निम्न गतिविधियां अनुज्ञेय नहीं होगीः–

(1) खुदरा दुकानें (2) थोक व्यापार दुकान (3) मरम्मत हेतु दुकान (4) सर्विस शॉप्स (5) गोदाम/भण्डारण (6) ऐसी अन्य गतिविधि जो भवन में निवासकर्ताओं के लिये हानिकारक एवं संकटमय हो जैसा कि भवन मानचित्र समिति द्वारा निर्धारित किया जाये।

(iii) यदि किसी भूखण्ड पर 12.0 मी. से अधिक ऊंचाई का भवन बनाना प्रस्तावित हो तो तालिका 2 तथा तालिका 2 की टिप्पणी के अनुसार प्रावधान देय होंगे। स्वतंत्र आवास के भूखण्डों में सेटबेक एरिया में स्वयं के वाहनों की पार्किंग एक के पीछे एक भी अनुज्ञेय होगी।

(iv) **सभी नाप के भूखण्डों पर स्टिल्ट पार्किंग अनुज्ञेय होगी एवं आवश्यक प्रक्रिया जैसे शपथ पत्र नगर विकास न्यास/नगर पालिका/नगर परिषद को विनियम 10.1.8 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है तो ऊँचाई 12 मी. के स्थान पर 15 मी. देय होगी।**

(v) योजना क्षेत्रों में योजना के मानदण्ड जैसे– सैटबैक, देय आच्छादन आदि लागू होंगे।

(vi) 12 मीटर या उससे अधिक चौडी सडकों पर स्थित सभी नाप के भूखण्डों पर स्टील्ट पार्किंग अनुज्ञेय होंगी एवं नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया जैसे शपथ पत्र आदि नगर विकास न्यास को प्रस्तुत करनी होगी। 18 मीटर तक चौडी सड़क पर स्थित सभी क्षेत्रफल के भूखण्डों में अधिकतम भूतल+2 मंजिल अथवा अधिकतम 12 मीटर उंचाई देय होगी।

(vii) प्रत्येक 100 व.मी. क्षेत्रफल के लिए कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बडे वृक्ष जो 6 मी. या इससे अधिक ऊंचाई ग्रहण कर सकते हों, लगाने होंगे। इस प्रावधान की अनुपालना नहीं करने पर 100/– प्रति वृक्ष की दर से राशि नगर विकास न्यास/ नगर पालिका/नगर परिषद् में जमा करानी होगी, जिस राशि का उपयोग उस भूखण्ड पर वृक्ष लगाने में किया जाएगा।

(viii) 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर यदि भूतल + दो मंजिल से अधिक निर्माण प्रस्तावित होने पर पार्किंग हेतु स्टिल्ट का प्रावधान किया जाना अनिवार्य होगा।

फार्म हाउसः

(ix) फार्म हाउस, परिस्थितिकी/ग्रामीण क्षेत्र में एवं नगरीकरण योग्य सीमा में भी अनुज्ञेय होंगे।

(x) भूखण्ड में प्रत्येक 50 व.मी. क्षेत्रफल के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बडे वृक्ष जो कि 6 मी. या इससे अधिक ऊंचाई ग्रहण कर सकते हों, लगाने होंगे। इस प्रावधान की अनुपालना नहीं करने पर 100/– प्रचति वृक्ष की दर से राशि नगर विकास न्यास/ नगर पालिका/नगर परिषद् में जमा करानी होगी, जिस राशि का उपयोग उस भूखण्ड पर वृक्ष लगाने में किया जाएगा।

तालिका ''1''(अ)

आवासीय योजनाओं/गैर योजना क्षेत्रों/पृथक आवासीय भूखण्डों में हॉस्टल/गेस्ट हाउस हेतु मानदण्ड

क्र.सं.	उपयोग का प्रकार भूखण्ड का क्षेत्रफल	अधिकतम आच्छादित क्षेत्र	न्यूनतम सैट बेक्स (मी.)				अधिकतम ऊँचाई	मानक एफ.ए.आर.	अधिकतम एफएआर
			सामने	पार्श्व	पार्श्व	पीछे			
(i)	500 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 750 वर्गमीटर से कम	सैटबैक क्षेत्र के अन्दर	7.5	3.0	3.0	3.0	12 मी. अधिकतम भूतल एवं 2 मंजिले	1.33	**1.5**
(ii)	750 वर्गमीटर एवं अधिक किन्तु 1000 वर्गमीटर से कम	सैटबैक क्षेत्र के अन्दर	9.0	4.5	4.5	4.5	15 मी. अधिकतम भूतल एवं 3 मंजिले	1.33	**1.5**
(iii)	1000 वर्गमीटर एवं उससे अधिक किन्तु 1500 वर्गमीटर से कम	सैटबैक क्षेत्र के अन्दर	9.0	4.5	4.5	4.5	विनियम 8.11 के अनुसार	1.33	**1.5**

तालिका 1''अ'' के लिए टिप्पणी :–

(i) हॉस्टल/गेस्ट हाउस के लिए भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्ग मी0 एवं सडक की न्यूनतम चौडाई 18 मी. होगी।

(ii) हॉस्टल/गेस्ट हाउस उपयोग से लिए देय शुल्क आदि का निर्धारण पृथक से किया जावेगा।

(iii) बैसमेन्ट क्षे.त्र पार्किंग के लिए रखा जाना अनिवार्य होगा एवं विनियम 10.1 के अनुसार पार्किंग का प्रावधान कराना आवश्यक होगा।

(iv) **सभी नाप के भूखण्ड़ों पर स्टिल्ट पार्किंग अनुज्ञेय होगी एवं आवश्यक प्रक्रिया जैसे शपथ पत्र स्थानीय निकाय को धारा 10.1.8 के अनुसार प्रस्तुत करनी होगी। किन्तु भूतल+तीन मंजिला का निर्माण प्रस्तावित किये जाने पर पार्किंग हेतु स्टिल्ट फ्लोर निर्मित किया जाना अनिवार्य होगा।**

(v) योजना क्षेत्रों में योजना के मानदण्ड जैसे – सैटबैक, देय आच्छादन आदि लागू होंगे।

(vi) भूखण्ड में प्रत्येक 100 व.मी. क्षेत्रफल के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बडे वृक्ष जो कि 6 मी. या इससे अधिक ऊंचाई ग्रहण कर सकते हों, लगाने होंगे। इस प्रावधान की अनुपालना नहीं करने पर 100/– रूपयें प्रति वृक्ष की दर से राशि स्थानीय निकाय में जमा करानी होगी, जिस राशि का उपयोग उस भूखण्ड पर वृक्ष लगाने में किया जाएगा।

(vii) **अधिकतम एफएआर 1.5 अनुज्ञेय होगा। मानक एफ.ए.आर. के अतिरिक्त अनुज्ञेय एफ.ए.आर. के अन्तर के क्षेत्रफल पर 200/–रू. प्रति वर्गफीट अथवा आवासीय आरक्षित दर का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो बेटरमेन्ट लेवी का भुगतान करना होगा ।**

तालिका ''2''

फ्लेटस निर्माण हेतु मानदण्ड

(फ्लेटस 750 से अधिक परन्तु 5000 वर्गमीटर तक के भूखण्ड पर अनुज्ञेय होंगे उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डो पर ग्रुप हाउसिंग के प्रावधान लागू होगें)

क्र. सं.	स्थिति	भूखण्ड का न्यूनतम आकार	अधिकतम आच्छादित क्षेत्र	न्यूनतम सैट बेक्स (मी.)				अधिक तम ऊँचाई	मानक एफ.ए. आर.	अधिकत म एफ. ए.आर.
				सामने	पार्श्व	पार्श्व	पीछे			
1.	फ्लेटस हेतु आरक्षित भूखण्ड	योजनानुसार	योजनानुसार	योजनानुसार	योजनानुसार	योजनानुसार	योजनानुसार	योजनानुसार	1.33	2.25
2.	योजना/गैर योजना क्षेत्रों में स्वतंत्र आवास के भूखण्ड	**(i)** 750 व.मी. एवं अधिक परन्तु 1000 व. मी. से कम	सैट बेक क्षेत्र के अन्दर	9.0	4.5	4.5	4.5	15.00 मी.	1.33	2.25
		(ii) 1000 व. मी. एवं अधिक परन्तु 1500 व. मी. से कम	सैट बेक क्षेत्र के अन्दर	9.0	4.5	4.5	4.5	विनियम 8.11 के अनुसार	1.33	2.25
		(iii) 1500 व. मी. एवं अधिक परन्तु 2500 व. मी.से कम	सैट बेक क्षेत्र के अन्दर	12.0	6.0	6.0	6.0	विनियम 8.11 के अनुसार	1.33	2.25
		(iv) 2500 व. मी. एवं अधिक परन्तु 5000 व. मी. तक	35%	12.0	9.0	9.0	9.0	विनियम 8.11 के अनुसार	1.33	2.25

तालिका ''2'' हेतु टिप्पणियां :–तालिका के क्रम संख्या–2 बिन्दु संख्या (iv) में अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 5 प्रतिशत तक अतिरिक्त अनुज्ञेय किया जा सकेगा। अतिरिक्त आच्छादित क्षेत्र पर 75 रूपये प्रति वर्ग फीट अथवा आरक्षित दर का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो की दर से बेटरमेन्ट लेवी ली जावेगी। लेकिन अधिकतम एफएआर व टी.डी.आर. के उपयोग की स्थिति में बेटरमेंटलेवी पुनः नहीं ली जावेगी।

(i) **15 मीटर से अधिक ऊंचाई (स्टील्ट सहित)के भवन प्रस्तावित किये जाने पर भवन में लिफ्ट एवं अग्निशमन का प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार करने होंगे।**

(ii) **गैर योजना क्षेत्र में पृथक भूखण्ड होने की स्थिति में सामने का सैटबेक (कोने के भूखण्ड में छोटी सड़क की ओर का सैटबेक मौके की स्थिति के अनुसार होगा) तालिका अनुसार अथवा आस–पास की स्वीकृत/अनुज्ञेय भवन रेखा के अनुसार जो भी अधिक हो, निर्धारित किया जावेगा। एक से अधिक सडक पर स्थित कोर्नर भूखण्ड होने पर चौडी सडक की ओर एवं दोनों सडकों की चौडाई समान होने पर भूखण्ड की अधिक गहराई की ओर का सेटबेक अग्र सेटबेक माना जाएगा।**

(iii) योजना क्षेत्र में स्वतंत्र आवास का भूखण्ड होने की स्थिति में सामने का सैटबेक (कोने के भूखण्ड में बडी सड़क की तरफ का सैटबेक) तालिका अनुसार अथवा योजना

अनुसार जो भी अधिक हो देय होगा। कोने के भूखण्ड में छोटी सड़क की तरफ का सैटबेक योजना अनुसार रहेगा।

(iv) कुल स्वीकृत योग्य एफ.ए.आर. क्षेत्र का 3 प्रतिशत दुकानों के लिए उपयोग किया जा सकता है। जो कि केवल स्टिल्ट फ्लोर पर देय है दुकानों के क्षेत्रफल पर आवासीय आरक्षित दर का 40 प्रतिशत शुल्क देय होगा परन्तु इन दुकानों में ऐसी कोई गतिविधि अनुज्ञेय नहीं होगी जो भवन निवासियों के लिये हानिकारक एवं संकटमय हो। यह कुल देय एफ.ए.आर. में ही देय होगा।

(v) **मानक एफएआर से अधिक एफएआर निम्न शर्तो पर अनुज्ञेय किया जा सकेगा :–**

(क) यदि आवेदक द्वारा टी.डी.आर. का उपयोग करना प्रस्तावित हो तो (75 प्रतिशत टी.डी.आर. में समायोजित होगा व शेष 25 प्रतिशत नगद लिया जायेगा) अथवा एफ. ए.आर. के अन्तर के क्षेत्रफल पर 30 मीटर ऊँचाई तक का निर्माण प्रस्तावित होने पर 75/– रू प्रति वर्गफिट अथवा आवासीय आरक्षित दर का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो, बेटरमेंट लेवी के रूप में जमा कराने होंगे। 30 मीटर से अधिक उंचाई (स्टील्ट को छोड़कर) का निर्माण प्रस्तावित होने पर 30 मीटर से अधिक अतिरिक्त ऊंचाई पर 300/– रू प्रति वर्गफीट अथवा आरक्षित दर का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो देय होगा।

(ख) भवन की प्रस्तावित ऊँचाई अनुज्ञेय ऊँचाई से अधिक ना हो।

(vi) भूखण्ड में बेसमेन्ट एवं स्टिल्ट को छोड़कर स्वयं के निवास का 25 प्रतिशत अथवा 100 वर्गमीटर जो भी कम हो निम्न प्रकार के स्वनियोजन व्यवसाय के लिये उपयोग में लिया जा सकता है।

(क) एडवोकेट (ख) इंजीनियर (ग) डॉक्टर (घ) वास्तुविद (ड.) चार्टर्ड एकाउन्टेंट/वित्तीय सलाहकार (च) मीडिया प्रोफेशनल का कार्यालय (छ) नगर नियोजक का कार्यालय एवं (ज) अन्य उक्त प्रकार के स्वनियोजन व्यवसाय परन्तु निम्न गतिविधियां अनुज्ञेय नहीं होगीः–

(1) खुदरा दुकानें (2) थोक व्यापार दुकान (3) मरम्मत हेतु दुकान (4) सर्विस शॉप्स (5) गोदाम/भण्डारण (6) ऐसी अन्य गतिविधि जो भवन में निवासकर्ताओं के लिये हानिकारक एवं संकटमय हो जैसा कि भवन मानचित्र समिति द्वारा निर्धारित किया जाये।

(vii) भूखण्ड के सामने की सड़क की चौडाई 12 मी. से कम होने पर देय एफ.ए.आर. 1.2 तक सीमित होगा। 18 मीटर से कम लेकिन 12 मीटर व उससे अधिक चौडी सडकों पर स्थित भूखण्डों में मात्र मानक एफएआर ही अनुज्ञेय होगा।

(viii) तालिका ''1'' में स्वतंत्र आवासीय पर फ्लेटस बनाने पर योजना के पूर्व निर्धारित सैटबेक या तालिका में प्रस्तावित सैटबेक्स में से जो भी अधिक हो लागू होंगे।

(ix) बहुमंजिले परिसर न्यूनतम 18 मी. चौडी सड़क पर ही अनुज्ञेय होंगे।

(x) **बहुमंजिले परिसर 1000 वर्गमीटर के भूखण्ड पर ही अनुज्ञेय होगे। 1000 वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिक लेकिन 5000 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के आवासीय फ्लेट्स के भूखण्ड़ों पर 5 प्रतिशत भूमि पर लेण्ड स्केपिंग/हरियाली क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा एवं प्रत्येक 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिए कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में वृक्ष जो 6 मीटर या इससे अधिक उंचाई ग्रहण कर सकते हो लगाने होंगे।**

(xi) भवन की ऊँचाई 30.00 मी. से अधिक होने की स्थिति में पार्श्व एवं पीछे के न्यूनतम सैटबैक्स तालिका ''7'' में उल्लेखानुसार होंगे। 15 मीटर से 30 मीटर तक के ऊँचे भवन प्रस्तावित होने की दशा में पार्श्व व पृष्ठ सेटबेक न्यूनतम 6 मीटर होंगे।

(xii) प्रत्येक 100 व.मी. क्षेत्रफल के लिए कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बडे वृक्ष जो 6 मी. या इससे अधिक ऊंचाई ग्रहण कर सकते हों, लगाने होंगे। इस प्रावधान की अनुपालना नहीं करने पर 100/– प्रति वृक्ष की दर से राशि नगर विकास न्यास/नगर पालिका/नगर परिषद् में जमा करानी होगी, जिस राशि का उपयोग उस भूखण्ड पर वृक्ष लगाने में किया जाएगा।

(xiii) सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए प्रत्येक 30 फ्लेट्स अथवा उसके अंश पर 2 कचरापात्र का प्रावधान आवश्यक होगा, जिसमें एक पात्र 0.67 क्यूबिक मीटर का नॉन बायोडिग्रेडेबल तथा 1.33 क्यूबिक मीटर का दूसरा पात्र बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हेतु होगा। इन्हें भूतल पर ऐसे स्थान पर रखा जावेगा जहाँ से सफाई कर्मचारी द्वारा आसानी से उठाया जा सके।

तालिका ''3''
ग्रुप हाउसिंग हेतु मानदण्ड

क्र. सं.	भूखण्ड का आकार	अधिकतम आच्छादन	न्यूनतम सैटबैक				अधिकतम ऊँचाई	मानक एफ.ए.आर.	अधिकतम एफ.ए.आर.
			अग्र	पार्श्व–I	पार्श्व–II	पीछे			
1	5000 व. मी. से अधिक	35%	15	9	9	9	8.11 के अनुसार	1.33	2.25

तालिका ''3'' हेतु टिप्पणी :–

अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 5 प्रतिशत तक अतिरिक्त अनुज्ञेय किया जा सकेगा। अतिरिक्त आच्छादित क्षेत्र पर 75 रूपयें प्रति वर्ग फीट अथवा आरक्षित दर का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो की दर से बेटरमेन्ट लेवी ली जावेगी, लेकिन उपरोक्त राशि मानक एफएआर की स्थिति में आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर लागू होगी लेकिन अधिकतम एफएआर व टी. डी.आर. के उपयोग की स्थिति में बेटरमेंटलेवी पुनः नहीं ली जावेगी।

1. मानक एफएआर से अधिक एफएआर निम्न शर्तो पर अनुज्ञेय किया जा सकेगा :–

(क) **यदि आवेदक द्वारा टी.डी.आर. का उपयोग करना प्रस्तावित हो तो (75 प्रतिशत टी. डी.आर. में समायोजित होगा व शेष 25 प्रतिशत नगद लिया जायेगा) अथवा**

एफ.ए.आर. के अन्तर के क्षेत्रफल पर 30 मीटर उंचाई तक का निर्माण प्रस्तावित होने पर 75/– रू प्रति वर्गफिट अथवा आवासीय आरक्षित दर का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो, बेटरमेंट लेवी के रूप में जमा कराने होंगे। 30 मीटर से अधिक उंचाई (स्टील्ट को छोड़कर) का निर्माण प्रस्तावित होने पर 30 मीटर से अधिक अतिरिक्त ऊंचाई पर 300/– रू प्रति वर्गफीट अथवा आरक्षित दर का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो देय होगा।

(ख) भवन की प्रस्तावित उचाई अनुज्ञेय उचाई से अधिक ना हो।

2. ग्रुप हाउसिंग हेतु प्रस्तावित भूखण्ड का आकार 5000 व. मी. से अधिक होगा जो कि न्यूनतम 18.00 मी. चौडी सडक पर स्थित होगा।
3. 18 मीटर से कम परन्तु 12 मीटर या अधिक चोडी सडक पर स्थित भूखण्ड पर अधिकतम एफ.ए.आर 1.20 तक देय होगा।
4. कुल प्रस्तावित/उपयोग में लिए गए एफ.ए.आर. का 3 प्रतिशत व्यावसायिक उपयोग हेतु एवं 3 प्रतिशत नर्सरी/प्ले स्कूल/क्रेच एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए किया जा सकेगा। केवल व्यावसायिक उपयोग हेतु आवासीय आरक्षित दर का 40 प्रतिशत शुल्क देय होगा। परन्तु इन सुविधाओं में ऐसी कोई गतिविधि अनुज्ञेय नहीं होगी जो भवन निवासियों के लिए हानिकारक एवं संकटमय हो। यह कुल देय एफ.ए.आर. में ही देय होगा।
5. ग्रुप हाउसिंग की योजना में आंतरिक विकास यथा जल वितरण, ड्रैनेज, सीवरेज, विद्युत वितरण, सडकें, टेलीफोन लाईन, वर्षा जल संग्रहण, संरचना आदि का कार्य विकासकर्ता द्वारा करवाया जावेगा।
6. ग्रुप हाउसिंग की योजनाओं में सेटबेक अथवा सेटबेक के अतिरिक्त अन्य खुले क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग व आवागमन हेतु एकतरफा पार्किंग का प्रावधान होने अथवा प्रवेश व निकास पृथक–पृथक होने पर न्यूनतम 3.60 मीटर सड़क/रास्ता/गलियारा एवं दोनों ओर पार्किंग का प्रावधान होने पर अथवा प्रवेश व निकास एक ही होने पर न्यूनतम 5.5 मीटर चौड़ी सड़क/रास्ता/गलियारा का प्रावधान अनिवार्य होगा ।
7. 5000 वर्गमीटर एंव अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड़ों पर 10 प्रतिशत भूमि पर लेण्ड स्केपिंग/हरियाली क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा। यदि विकास कर्ता द्वारा स्टील्ट/पोडियम/बेसमेन्ट की छत पर लेण्ड स्केपिंग प्रस्तावित की जाती है तो न्यूनतम 20 प्रतिशत लेण्ड स्केपिंग रखना अनिवार्य होगा, जिससे न्यूनतम 5 प्रतिशत लेण्ड स्केपिंग क्षेत्र भूखण्ड की भूमि पर रखना अनिवार्य होगा। भूखण्ड पर सेटबेक क्षेत्र में प्रत्येक 100 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल पर कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में वृक्ष जो 6 मीटर या इससे अधिक उंचाई ग्रहण कर सकते हो, लगाये जाने अनिवार्य होगे।
8. सार्वजनिक सुविधाऐं यथा सामुदायिक केन्द्र, क्लब हाउस आदि हेतु एफ.ए.आर. क्षेत्रफल के अतिरिक्त 5 प्रतिशत तक क्षेत्र अनुज्ञेय होगा। ये सुविधाएं पृथक भवन अथवा भवन इकाईयों के रूप में भी दी जा सकती है।

क्लब हाउस हेतु निम्न प्रावधान रखने होंगेः–

i. इन परियोजनाओं में क्लब का मालिकाना हक विकासकर्ता का होगा उसे सभी आवंटियों को उसका उपयोग करने हेतु प्राथमिकता पर सदस्य बनाना होगा, जिसके लिए वह निश्चित राशि लेने का अधिकारी होगा। इस प्रकार के क्लब हाउस का रख–रखाव विकासकर्ता अथवा रखरखाव कम्पनी द्वारा विकासकर्ता की देखरेख मे किया जायेगा, जिसमें समय–समय पर वहां के आवंटी भी सुझाव दे सकेगें।

ii. इस प्रकार के क्लब में विकासकर्ता के पास कुल इकाईयों के बराबर सदस्यता आरक्षित रहेगी, तथा इकाईयो के बराबर अतिरिक्त सदस्यता अन्य व्यक्तियों को आवंटित कर सकेगा।

iii. इस प्रकार के भवनों के रखरखाव विकासकर्ता बिना लाभ–हानि के करेगा यदि दोनों की आपसी सहमति होगी तो विकासकर्ता आवंटी समिति को भी रखरखाव हेतु अधिकृत कर सकेगा।

9. ग्रुप हाउसिंग के मानचित्र अनुमोदित करते समय अनुमोदित एफ.ए.आर. का 5 प्रतिशत के बराबर बिल्टअप क्षेत्रफल ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. श्रेणी के फ्लेट्स हेतु आरक्षित रखने होंगे। ई.डब्ल्यू.एस के लिये न्यूनतम बिल्टअप क्षेत्रफल 285 वर्गफीट (325 वर्गफीट सुपर बिल्टअप एरिया) तथा एल.आई.जी. के लिये 435 वर्गफीट (500 वर्गफीट सुपर बिल्टअप एरिया) रखना होगा, जैसाकि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 में प्रावधान है। यदि विकासकर्ता द्वारा उसी भूखण्ड़/योजना मे ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. श्रेणी के आवासीय इकाई बनाया जाना संभव नहीं हो तो मुख्य भवन(ग्रुप हाउसिंग का भूखण्ड़) के मानचित्र अनुमोदन के आवेदन के साथ आवश्यक रूप से अन्य भूमि पर ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. इकाईयों का प्रस्ताव देना होगा। विकासकर्ता मास्टर प्लान के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में स्वंय के स्वामित्व की आवासीय भूमि या अन्य विकासकर्ता की अनुमोदित योजना में उनके साथ ज्वाईन्ट वेचर अथवा सहभागिता पर अन्य विकासकर्ता से ऐसी इकाईयां क्रय कर उपलब्ध करा सकेगा । बशर्ते प्रस्तावित भूमि पर पहुंच के लिये सम्पर्क सड़क तथा बाहय आधारभूत सुविधायें उपलब्ध हो। ग्रुप हाउसिंग के भुखण्डों के सम्बन्ध में नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत शासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 02.05.2012 एवं समय–समय पर जारी आदेशों के प्रावधान भी लागू होगे

10. पार्क, खुले क्षेत्र, सामुदायिक केन्द्र व सडकों हेतु आरक्षित क्षेत्र संबंधित स्थानीय आर.डब्लू.ए को संचालन व रख–रखाव के लिए समर्पित करना होगा।

11. 15 मीटर से अधिक ऊंचाई (स्टील्ट सहित)के भवन प्रस्तावित किये जाने पर भवन में लिफ्ट एवं अग्निशमन का प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार करने होंगे।

12. सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए प्रत्येक 30 फ्लेट्स/निवास इकाईयों अथवा उसके अंश पर 2 कचरापात्र का प्रावधान आवश्यक होगा, जिसमें एक पात्र 0.67 क्यूबिक मीटर का नॉन बायोडिग्रेडेबल तथा 1.33 क्यूबिक मीटर का दूसरा पात्र बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हेतु

होगा। इन्हें भूतल पर ऐसे स्थान पर रखा जावेगा जहाँ से सफाई कर्मचारी द्वारा आसानी से उठाया जा सके।

13. भूखण्ड में बेसमेन्ट एवं स्टिल्ट को छोड़कर स्वयं के निवास का 25 प्रतिशत अथवा 100 वर्गमीटर जो भी कम हो निम्न प्रकार के स्वनियोजन व्यवसाय के लिये उपयोग में लिया जा सकता है।

(क) एडवोकेट (ख) इंजीनियर (ग) डॉक्टर (घ) वास्तुविद (ड.) चार्टर्ड एकाउन्टेंट/वित्तीय सलाहकार (च) मीडिया प्रोफेशनल का कार्यालय (छ) नगर नियोजक का कार्यालय एवं (ज) अन्य उक्त प्रकार के स्वनियोजन व्यवसाय परन्तु निम्न गतिविधियां अनुज्ञेय नहीं होगीः–

(1) खुदरा दुकानें (2) थोक व्यापार दुकान (3) मरम्मत हेतु दुकान (4) सर्विस शॉप्स (5) गोदाम/भण्डारण (6) ऐसी अन्य गतिविधि जो भवन में निवासकर्ताओं के लिये हानिकारक एवं संकटमय हो जैसा कि भवन मानचित्र समिति द्वारा निर्धारित किया जाये।

14. दो ब्लॉक्स के बीच की दूरी ऊँचे ब्लॉक की ऊँचाई का 1/4 होगी।

15. भवन की ऊॅचाई 30.00 मी. से अधिक होने की स्थिति में पार्श्व एवं पीछे के न्यूनतम सैटबैक्स तालिका ''7'' में उल्लेखानुसार होंगे।

16. 15 मीटर से ऊँचे भवन प्रस्तावित होने की दशा में पार्श्व व पृष्ठ सेटबेक न्यूनतम 6 मीटर होंगे।

17. **व्यवसायिक/नर्सरी/प्लेस्कूल/क्रेच/स्वास्थ्यसंबंधी सुविधाऐं/ क्लब हाउस तथा योजना में अनुज्ञेय आवासीय, व्यवसायिक व अन्य उपयोग किसी भी बिल्डींग ब्लॉक के किसी भी फ्लोर पर अथवा अलग–अलग ब्लॉक्स में देय होंगे जो कि कुल देय आच्छादित क्षेत्र में शामिल होंगे।**

8.3 व्यावसायिक भवनः

व्यावसायिक भवनों के लिये भवन निर्माण बाबत भूखण्ड का क्षेत्रफल, सैट बेक की न्यूनतम आवश्यकता, अधिकतम आच्छादित क्षेत्र, अधिकतम ऊंचाई एवं एफ.ए.आर. की सीमायें तालिका ''4'' के अनुसार होगी।

तालिका ''4''

व्यावसायिक (योजना एवं गैर योजना) भवनों हेतु मानदण्ड

क्र.सं. 1	उपयोग का प्रकार/ भूखण्ड का क्षेत्रफल 2	अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 3	न्यूनतम सैट बेक्स (मी.)				अधिकतम ऊँचाई 8	मानक एफ.ए.आर. 9	अधिकतम एफ.ए.आर. 10
			सामने 4	पार्श्व 5	पार्श्व 6	पीछे 7			
1.	लघु व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकानें								
(i)	50 व.मी. तक	सैट बेक क्षेत्र के अन्दर	––	––	––	––	8 मी.	जो भी प्राप्त हो	जो भी प्राप्त हो
(ii)	50 व.मी. से अधिक परन्तु 100 व.मी. तक	सैट बेक क्षेत्र के अन्दर	––	––	––	––	8 मी.	जो भी प्राप्त हो	जो भी प्राप्त हो

(iii)	100 व.मी. से अधिक परन्तु 150 व.मी. तक	सैट बेक क्षेत्र के अन्दर	3	––	––	2.5	12.5 मी.	जो भी प्राप्त हो	जो भी प्राप्त हो
(iv)	150 व.मी. से अधिक परन्तु 225 व.मी. तक	सैट बेक क्षेत्र के अन्दर	4.5	––	––	2.5	12.5 मी.	जो भी प्राप्त हो	जो भी प्राप्त हो
(v)	225 व.मी. से अधिक परन्तु 350 व.मी. तक	सैट बेक क्षेत्र के अन्दर	4.5	3.0	––	3.0	12.5 मी.	जो भी प्राप्त हो	जो भी प्राप्त हो
(vi)	350 व.मी. से अधिक परन्तु 500 व.मी. तक	सैट बेक क्षेत्र के अन्दर	6.0	3.0	––	3.0	12.5 मी.	जो भी प्राप्त हो	जो भी प्राप्त हो
(vii)	500 व.मी. से अधिक परन्तु 750 व.मी. से कम	सैट बेक क्षेत्र के अन्दर	7.5	3.0	3.0	3.0	12.5 मी.	जो भी प्राप्त हो	जो भी प्राप्त हो
(viii)	750 व. मी. एवं अधिक परंतु 1000 व. मी. से कम	सैटबैक क्षेत्र के अंदर	9.0	4.5	4.5	4.5	15.00 मी.	1.33	2.25
2.	व्यवसायिक परिसर (बहुमंजिले भवन)								
(i)	1000व.मी. एवं अधिक परन्तु 1500 व.मी. से कम	सैट बेक क्षेत्र के अन्दर	9	4.5	4.5	4.5	विनिमय 8.11 के अनुसार	1.33	2.25
(ii)	1500 व.मी. एवं अधिक परन्तु 2500 व.मी. से कम	सैट बेक क्षेत्र के अन्दर	12.0	6.0	6.0	6.0	विनिमय 8.11 के अनुसार	1.33	2.25
(iii)	2500 व.मी. एवं अधिक परन्तु 5000 व.मी. से कम	40%	12.0	9.0	9.0	9.0	विनिमय 8.11 के अनुसार	1.33	2.25
(iv)	5000 व.मी. एवं अधिक परन्तु 1 हैक्टेयर तक	35%	15.0	9.0	9.0	9.0	विनिमय 8.11 के अनुसार	1.33	2.25
(v)	1 हैक्टेयर से ज्यादा	35%	18	9	9	9	विनिमय 8.11 के अनुसार	1.33	2.25
3.	मोटल	20%	30.0	15.0	15.0	15.0	9 मी.	0.4	0.4
4.	**रिसोर्ट**	**20%**	**30.0**	**15.0**	**15.0**	**15.0**	**9 मी.**	**0.4**	**0.4**
5.	थोक व्यापार केन्द्र एवं वेयर हाउसिंग	35%	12.0	9.0	9.0	9.0	12 मी.	1.0	1.0
6.	एम्यूजमेन्ट पार्क /गोल्फ कॉर्स	10%	30	10.0	10.0	10.0	30 मी.	0.1	0.2
7.	सिनेमा	35%	18	6	6	6	विनिमय 8.11 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
8.	मल्टीप्लेक्स	35%	18	6	6	6	विनिमय 8.11 के अनुसार	1.33	2.25

तालिका ''4'' हेतु टिप्पणीः तालिका–4 के बिन्दु संख्या 2 (iii), (iv) व (v) में अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 5 प्रतिशत तक अतिरिक्त अनुज्ञेय किया जा सकेगा। अतिरिक्त आच्छादित क्षेत्र पर 150 रूपयें प्रति वर्गफीट अथवा व्यवसायिक आरक्षित दर का 25

प्रतिशत जो भी अधिक हो की दर से बेटरमेन्ट लेवी ली जावेगी। लेकिन उपरोक्त राशि मानक एफएआर की स्थिति में आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर लागू होगी लेकिन अधिकतम एफएआर व टी.डी.आर. के उपयोग की स्थिति में बेटरमेंटलेवी पुनः नहीं ली जावेगी।

(अ) सामान्यः

(i) जहाँ व्यावसायिक भूखण्डों हेतु टाईप डिजाइन स्वीकृत है वहाँ उसी स्वीकृत टाईप डिजाईन के भवन मानदण्ड लागू होंगे। अर्थात् उतनी ही मंजिलें एवं उतना ही निर्मित क्षेत्र उसी ऊंचाई तक देय होगा। आन्तरिक संरचना टाईप डिजाइन से भिन्न भी हो सकती है।

(ii) भूखण्ड यदि किसी व्यावसायिक योजना का भाग है तो उस योजना के प्रावधान लागू होंगे तथा किसी भूखण्ड पर यदि भूतल पर शत प्रतिशत निर्माण अनुज्ञेय है तथा योजना में सार्वजनिक पार्किंग का प्रावधान रखा गया है तो वहाँ पार्किंग का प्रावधान करना आवश्यक नहीं होगा अर्थात् पार्किंग की पूर्ति हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(iii) उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या–1 के बिन्दु संख्या (i) से (iii) को छोड़कर शेष क्षेत्रों में पार्किंग के प्रावधान 10.1 के अनुसार लागू होगें।

(iv) **15 मीटर से अधिक ऊंचाई (स्टील्ट सहित)के भवन प्रस्तावित किये जाने पर भवन में लिफ्ट एवं अग्निशमन का प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार करने होंगे। बहुमंजिलें भवनों में अग्निशमन वाहन के संचालन हेतु न्यूनतम 3.6 मीटर चौडा गलियारा उपलब्ध कराना होगा। परन्तु यदि 3.6 मीटर चौड़ा रेम्प पार्श्व व पीछे सेटबेक में बनाया जाता है, जो कि किसी भी तरह से ढका हुआ न हो तो उसे अग्निशमन वाहन के आवागमन हेतु गलियारा माना जा सकता है। परन्तु कॉर्नर के भूखण्डों/दो तरफ सडक पर स्थित भूखण्डों में चारदीवारी का निर्माण नहीं करने पर सडक की ओर यह अनिवार्यता नहीं होगी।**

(v) मानक एफएआर से अधिक एफएआर निम्न शर्तो पर अनुज्ञेय किया जा सकेगा :–

(क) **यदि आवेदक द्वारा टी.डी.आर. का उपयोग करना प्रस्तावित हो तो (75 प्रतिशत टी.डी.आर. में समायोजित होगा व शेष 25 प्रतिशत नगद लिया जायेगा) अथवा एफ.ए.आर. के अन्तर के क्षेत्रफल पर 30 मीटर उंचाई तक का निर्माण प्रस्तावित होने पर 150/– रू प्रति वर्गफिट अथवा व्यवसायिक आरक्षित दर का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो, बेटरमेंट लेवी के रूप में जमा कराने होंगे। 30 मीटर से अधिक (स्टील्ट को छोड़कर) उंचाई का निर्माण प्रस्तावित होने पर 30 मीटर से अधिक अतिरिक्त ऊंचाई पर 300/– रू प्रति वर्गफीट अथवा व्यवसायिक आरक्षित दर का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो देय होगा।**

(ख) भवन की प्रस्तावित उचाई अनुज्ञेय उचाई से अधिक ना हो।

(vi) होटल निर्माण हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 750.00 व. मी. तथा भूखण्ड न्यूनतम 18.00 मी. चौडी सडक पर स्थित होगा। 2000 व.मी. से अधिक के होटल भूखण्डों पर अधिकतम एफ.ए.आर. 2.25 के स्थान पर 3.0 तक देय होगा, किन्तु मानक एफएआर 1.33 के पश्चात् नियमानुसार बेटरमेन्ट लेवी देय होगी।

(vii) भूखण्ड व्यावसायिक योजना का हिस्सा होने पर योजना के प्रावधान/पैरामीटर्स लागू होंगे एवं जिन पैरामीटर्स का उल्लेख योजना में नहीं है वे उपरोक्त तालिका अनुसार होंगे। सडक की न्यूनतम चौडाई जैसी शर्तें लागू नहीं होगी। अर्थात किसी योजना में 12 मी. से कम चौडी सडक पर यदि दुकानें प्रस्तावित है तो उस पर निर्माण स्वीकृति दी जा सकती है अन्यथा 18 मी. से कम चौडी सडक पर व्यावसायिक अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

(viii) 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से बडे व्यावसायिक/पर्यटन ईकाई/होटल/मल्टीप्लेक्स प्रयोजनार्थ भूखण्ड पर लोअर ग्राउण्ड फ्लोर में वाणिज्यिक कार्यालय/भण्डारण/ पर्यटन ईकाई संबंधित प्रयोजनार्थ निम्न शर्तों के साथ अनुज्ञेय किये जा सकेंगे :–

- पार्किंग का नियमानुसार अपेक्षित प्रावधान भूखण्ड में किया जाना होगा।
- अग्निशमन वाहन के संचालन हेतु न्यूनतम 3.6 मी. गलियारा बहुमंजिलें भवन के चारों ओर उपलब्ध हो।
- लोअर ग्राउण्ड को वातानुकूलित/मेकेनिकल वेंटिलेशन का प्रावधान किया जावे।
- वर्षा जल, ड्रैनेज, सीवरेज आदि के निकास की समुचित व्यवस्था की जावे।
- लोअर ग्राउण्ड फ्लोर सडक स्तर से 2.00 मी. से अधिक नीचा नहीं हो।

(ix) **व्यावसायिक भूखण्ड पर मिश्रित भू–उपयोग (वाणिज्यिक+ ग्रुपहाउसिंग, वाणिज्यिक + होटल/ मल्टीप्लेक्स /कार्यालय/ एन्टरटेनमेंट कॉम्पलेक्स) अनुज्ञेय होंगे। मिश्रित उपयोग के भूखण्डों पर प्रस्तावित उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्ड अनुज्ञेय होंगे, लेकिन व्यावसायिक भूखण्ड के मूल पैरामीटर्स यथावत रहेंगे। मानक एफ.ए.आर. से अतिरिक्त एफ.ए.आर. पर बेटरमेन्ट लेवी वास्तविक प्रस्तावित उपयोग के अनुसार देय होगी अर्थात् व्यावसायिक भूखण्ड के ऊपर की मंजिलों पर आवासीय उपयोग का निर्माण प्रस्तावित होने पर बैटरमेन्ट लेवी आवासीय उपयोग की दर से ही ली जावेगी। भवन निर्माण स्वीकृति व अन्य समस्त देय शुल्क भी भवन में प्रस्तावित वास्तविक उपयोग के अनुसार ही देय होगे।**

(x) ऐसे व्यावसायिक भूखण्ड जिस पर अधिकतम ऊॅचाई 12.5 मी. अनुज्ञेय है ऐसे भूखण्डों पर पार्किंग हेतु स्टिल्ट प्रस्तावित किये जाने पर अधिकतम ऊॅचाई 15.00 मी. तक अनुज्ञेय की जा सकेगी।

(xi) सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए प्रत्येक 500 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र अथवा उसके अंश पर 2 कचरापात्र का प्रावधान आवश्यक होगा, जिसमें एक पात्र 1.33 क्यूबिक मीटर का नॉन बायोडिग्रेडेबल तथा 0.67 क्यूबिक मीटर का दूसरा पात्र बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हेतु होगा। इन्हें भूतल पर ऐसे स्थान पर रखा जावेगा जहाँ से सफाई कर्मचारी द्वारा आसानी से उठाया जा सके।

(ब) लघु व्यावसायिक प्रतिष्ठान/दुकानें

(i) 150 व.मी. क्षेत्रफल तक के भूखण्ड, जो 30 मीटर से अधिक चौडी सडकों पर स्थित हो, में यदि पार्किंग व्यवस्था प्रदान करना संभव नहीं है तो वहां इस पार्किंग की पूर्ति हेतु नगर विकास न्यास/ नगर पालिका/नगर परिषद् द्वारा निर्धारित दर पर राशि जमा करानी होगी।

(स) व्यावसायिक परिसर (बहुमंजिल भवन)

(i) 24 मी. से कम चौडी सडक पर बहुमंजिले भवन अनुज्ञेय नहीं होंगे।

(ii) उपरोक्त (i) के अनुसार सड़क की न्यूनतम चौड़ाई उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में न्यूनतम 12 मीटर की सडक उपलब्ध हाने पर ही देय अधिकतम एफ.ए.आर. 1.5 तथा ऊंचाई 15 मीटर तक ही सीमित होगी। 1000 व.मी. से कम क्षेत्रफल पर व्यावसायिक परिसर (बहुमंजिले भवन) अनुज्ञेय नहीं होंगे।

(iii) भूखण्ड तालिका ''6'' में वर्णित सड़कों पर स्थित होने पर विनियम 8.8 में वर्णित सैट बेक के प्रावधान लागू होंगे।

(iv) भवन की प्रस्तावित ऊॅचाई 30.00 मी. से अधिक होने की स्थिति में पार्श्व एवं पीछे के न्यूनतम सैटबैक्स तालिका ''7'' में उल्लेखानुसार होंगे।

(द) मोटल/रिसोर्ट

(i) मोटल्स एवं रिसोर्ट्स पारिस्थितिकी (Ecological zone)/ग्रामीण क्षेत्र/पेरीफेरियल बेल्ट में भी अनुज्ञेय होंगे।

(ii) रिसोर्ट के लिए भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1 हैक्टेयर होगा एवं मोटल्स हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 व.मी. होगा।

(iii) मोटल 18 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर अनुज्ञेय नहीं होंगे।

(iv) मोटल्स एवं रिसोर्ट के भूखण्ड में प्रत्येक 100 व.मी. क्षेत्रफल के लिए कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बडे वृक्ष जो 6 मी. या इससे अधिक ऊंचाई ग्रहण कर सकते हों, लगाने होंगे।

(य) थोक व्यापार केन्द्र एवं वेयर हाउसिंग

(i) भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 व.मी. होगा। योजना क्षेत्र में भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल योजनानुसार मान्य होगा।

(ii) सड़क की न्यूनतम चौडाई 24 मी. होगी।

(र) एम्यूजमेन्ट पार्क :

(i) भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर होगा व सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 18 मी. होगी।

(ii) खुले क्षेत्र में लगाये जाने वाले मनोरंजन के उपकरण/झूले ऊंचाई तथा आच्छादन में शामिल नहीं किये जायेंगे। प्रत्येक 100 व.मी. क्षेत्रफल के लिए कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बडे वृक्ष जो 6 मी. या इससे अधिक ऊंचाई ग्रहण कर सकते हों, लगाने होंगे।

(ल) सिनेमा/मल्टीप्लेक्स

(i) सिनेमा का निर्माण ''राजस्थान सिनेमा (रेग्यूलेशन) एक्ट 1952'' एवं ''राजस्थान सिनेमा (रेग्यूलेशन) नियम, 1959 के प्रावधानों के अनुरूप होगा।

(ii) सिनेमा हेतु भूखण्ड का क्षेत्रफल स्कीम के अनुसार अथवा 500 सीटों तक के सिनेमा घर हेतु न्यूनतम 1500 व.मी. होगा। 500 सीटों के पश्चात् प्रत्येक 25 सीटों या उसके भाग के लिये भूखण्ड का अतिरिक्त क्षेत्रफल 75 व.मी. होगा। मल्टीप्लेक्स हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर होगा। प्रत्येक 100 व.मी. क्षेत्रफल के लिए कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बडे वृक्ष जो 6 मी. या इससे अधिक ऊंचाई ग्रहण कर सकते हों, लगाने होंगे।

(iii) भूखण्ड स्कीम के अनुसार अथवा न्यूनतम 30 मी. चौड़ी सड़क पर स्थित होगा।

(iv) यदि सिनेमा के भूखण्ड में सिनेमा के अनुषंगी उपयोग के अलावा अन्य वाणिज्यिक उपयोग जैसे दुकानें, वाणिज्यिक कार्यालय, होटल आदि प्रस्तावित हैं तो ऐसे वाणिज्यिक उपयोग मल्टीप्लेक्स हेतु प्रत्येक 50 व.मी. निर्मित क्षेत्र, जो कि एफ.ए.आर. में गणना योग्य हो, पर एक ई.सी.यू. की दर से एवं सिनेमा के लिए प्रत्येक दस सीट पर एक ई.सी.यू. की दर से पार्किंग सुविधा विनियम 10.1 के अनुसार प्रदान करनी होगी।

(v) सिनेमा हेतु प्रवेश व निकास द्वार पृथक–पृथक होंगे तथा इनकी संख्या का निर्धारण इस प्रकार किया जावेगा कि निकटतम द्वार किसी सीट से 15 मीटर से अधिक दूरी पर ना हो।

(व) पेट्रोल पम्प व फिलिंग स्टेशनः

(i) पेट्रोल पम्प व फिलिंग स्टेशन के भवनों की निर्माण अनुज्ञा केन्द्रीय सडक एवं भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित मानदण्डों के मानक स्तर के अनुसार दी जा सकेगी। पेट्रोल पम्प एवं फिलिंग स्टेशन हेतु तकनीकी मानदण्ड निम्नानुसार होंगेः–

(क) अधिकतम आच्छादित क्षेत्र — 20 प्रतिशत

(ख) एफ.ए.आर. — 0.2

(ग) ऊँचाई — 7 मीटर

(घ) पार्श्व व पृष्ठ में सैटबैक — 3.0 मीटर न्यूनतम

(ii) यदि पैट्रोलपम्प/डीजल पम्प बिना सर्विस स्टेशन के बनाया जाना प्रस्तावित है तो ऐसे भूखण्ड के लिए सडक के साथ चौडाई न्यूनतम 20.00 मी. होगी तथा गहराई न्यूनतम 20.00 मी. होगी।

(iii) यदि पेट्रोल/डीजल पम्प सर्विस स्टेशन के साथ बनाया जाना प्रस्तावित है तो ऐसे भूखण्ड की सड़क के साथ चौडाई न्यूनतम 36 मी. होगी तथा गहराई भी 36 मी. होगी।

(iv) सड़क की न्यूनतम चौडाई योजना के अनुसार अथवा 24 मी. होगी। प्रस्तावित पेट्रोल पम्प की इन्टरसेक्शन से दूरी निम्नानुसार होगीः–

(क) 24 मीटर तक चौडी सडक के इन्टरसेक्शन हेतु दूरी – 50 मीटर

(ख) 24 मीटर से अधिक चौडी सडक के इन्टरसेक्शन हेतु दूरी – 100 मीटर

8.4 संस्थागत भवनः

संस्थागत भवनों के लिए भवन निर्माण बाबत् भूखण्ड का क्षेत्रफल सैट बेक की न्यूनतम आवश्यकता, ऊंचाई तथा एफ.ए.आर. की सीमायें तालिका ''5'' के अनुसार होंगे।

तालिका ''5''
संस्थागत भवनों हेतु मानदण्ड

क्र.सं.	क्षेत्रफल	अधिकतम आच्छादित क्षेत्र	न्यूनतम सैट बेक्स				अधिकतम ऊँचाई	मानक एफ.ए.आर.	अधिकतम एफ.ए.आर.
			सामने	पार्श्व	पार्श्व	पीछे			
(i)	500 व.मी. तक	सैट बेक क्षेत्र के अन्दर	योजना में योजना के अनुसार व अन्य क्षेत्रों में तालिका 1 के अनुसार सैटबेक्स				12 मी.	जो भी प्राप्त हो	जो भी प्राप्त हो
(ii)	500 व.मी. से अधिक परन्तु 750 व.मी. से कम	सैट बेक क्षेत्र के अन्दर	7.5	3.0	3.0	3.0	12 मी.	1.00	2.0
(iii)	750 व.मी. एवं अधिक परन्तु 1000 व.मी. से कम	सैट बेक क्षेत्र के अन्दर	9	4.5	4.5	4.5	12 मी.	1.00	2.0
(iv)	1000 व.मी. एवं अधिक परन्तु 1500 व.मी. से कम	सैट बेक क्षेत्र के अन्दर	9	4.5	4.5	4.5	विनियम 8.11 के अनुसार	1.00	2.0
(v)	1500 व.मी. एवं अधिक परन्तु 2500 व.मी. से कम	सैट बेक क्षेत्र के अन्दर	12.0	6.0	6.0	6.0	विनियम 8.11 के अनुसार	1.00	2.0

(vi)	2500 व.मी. एवं अधिक परन्तु 4000 व.मी. से कम	40%	12.0	9.0	9.0	9.0	विनियम 8.11 के अनुसार	1.00	2.0
(vii)	4000 व.मी. एवं अधिक परन्तु 1 हैक्टेयर से कम	35%	15.0	9.0	9.0	9.0	विनियम 8.11 के अनुसार	1.00	2.0
(viii)	1 हैक्टेयर से अधिक	35%	18	9	9	9	विनियम 8.11 के अनुसार	1.00	2.0

तालिका "5" हेतु टिप्पणीः अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 5 प्रतिशत तक अतिरिक्त अनुज्ञेय किया जा सकेगा। अतिरिक्त आच्छादित क्षेत्र पर 75 रूपयें प्रति वर्ग फीट अथवा आवासीय आरक्षित दर का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो की दर से बेटरमेन्ट लेवी ली जावेगी। लेकिन उपरोक्त राशि मानक एफएआर की स्थिति में आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर लागू होगी, लेकिन अधिकतम एफएआर व टी.डी.आर. के उपयोग की स्थिति में बेटरमेंटलेवी पुनः नहीं ली जावेगी।

(1) भूखण्ड यदि योजना में संस्था के लिये निर्धारित है तो योजना के प्रावधान प्रभावी होंगे। सड़क की न्यूनतम चौडाई जैसी शर्तों की अनिवार्यता नहीं होगी। यदि भूखण्ड योजना में संस्था के लिये निर्धारित नहीं है तो भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर एवं सडक की न्यूनतम चौडाई 18.00 मी. होगी परंतु नर्सिंगहोम 18.00 मी. से कम परंतु न्यूनतम 12.00 मी. चौडी सडक पर भी अनुज्ञेय होंगे।

(2) मानक एफएआर से अधिक एफएआर निम्न शर्तो पर अनुज्ञेय किया जा सकेगा :–

(क) **यदि आवेदक द्वारा टी.डी.आर. का उपयोग करना प्रस्तावित हो तो (75 प्रतिशत टी.डी.आर. में समायोजित होगा व शेष 25 प्रतिशत नगद लिया जायेगा) अथवा एफ.ए.आर. के अन्तर के क्षेत्रफल पर 30 मीटर ऊँचाई तक का निर्माण प्रस्तावित होने पर 75/– रू प्रति वर्गफिट अथवा आवासीय आरक्षित दर का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो, बेटरमेंट लेवी के रूप में जमा कराने होंगे। 30 मीटर से अधिक उंचाई (स्टील्ट को छोड़कर) का निर्माण प्रस्तावित होने पर 30 मीटर से अधिक अतिरिक्त ऊंचाई पर 300/– रू प्रति वर्गफीट अथवा आरक्षित दर का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो देय होगा।**

(ख) भवन की प्रस्तावित ऊँचाई अनुज्ञेय उचाई से अधिक ना हो।

(3) 1000 व. मी. से बडे भूखण्डों का उपयोग सूचना तकनीक हेतु प्रस्तावित होने पर अधिकतम एफ.ए.आर. 2.50 तक इस शर्त पर दिया जा सकेगा, (क) यदि आवेदक द्वारा टी.डी.आर का उपयोग करना प्रस्तावित हो (75 प्रतिशत टीडीआर में समायोजित होगा व शेष 25 प्रतिशत नगद लिया जायेगा) अथवा एफएआर

के अन्तर के क्षेत्रफल पर 75 रूपयें प्रति वर्ग फीट अथवा आवासीय आरक्षित दर का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो बेटरमेन्ट लेवी के रूप में जमा करायें।

(ख) भवन की प्रस्तावित उचाई अनुज्ञेय उचाई से अधिक ना हो।

(4) विनियम 10.1 के अनुसार पार्किंग का प्रावधान कराना आवश्यक होगा।

(5) **15 मीटर से अधिक ऊंचाई (स्टील्ट सहित)के भवन प्रस्तावित किये जाने पर भवन में लिफ्ट एवं अग्निशमन का प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार करने होंगे। अग्निशमन वाहन के संचालन हेतु न्यूनतम 3.6 मी0 चौडा गलियारा उपलब्ध कराना होगा। परन्तु यदि 3.6 मी. चौडा रेम्प पार्श्व सैट बैक में बनाया जाता है, जो कि किसी भी तरह से ढका हुआ न हो तो उसे अग्निशमन वाहन के आवागमन गलियारा माना जा सकता है।**

(6) संस्थागत बहुमंजिले भवन 1000 व. मी. अथवा उससे अधिक बडे भूखण्डों पर देय होंगे। 30 मीटर से ऊँचे भवनों में सैटबैक तालिका "7" व 8.8 (vii) के प्रावधानों के अनुसार छोडने होंगे।

(7) प्रत्येक 100 व.मी. क्षेत्रफल के लिए कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बडे वृक्ष जो 6 मी. या इससे अधिक ऊंचाई ग्रहण कर सकते हों, लगाने होंगे।

(8) 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से बडे संस्थागत उपयोग के भूखण्ड पर लोअर ग्राउण्ड फ्लोर निम्न शर्तों के साथ अनुज्ञेय किये जा सकेंगे :–

- पार्किंग का नियमानुसार अपेक्षित प्रावधान भूखण्ड में किया जाना होगा।
- अग्निशमन वाहन के संचालन हेतु न्यूनतम 3.6 मी. गलियारा बहुमंजिले भवन के चारों ओर उपलब्ध हो। परन्तु कॉर्नर के भूखण्डों/दो तरफ सड़क पर स्थित भूखण्डों में चारदीवारी का निर्माण नहीं करने पर सडक की ओर यह अनिवार्यता नहीं होगी।
- लोअर ग्राउण्ड को वातानुकूलित/मेकेनिकल वेंटिलेशन का प्रावधान किया जावे।
- वर्षा जल, ड्रैनेज, सीवरेज आदि के निकास की समुचित व्यवस्था की जावे।
- लोअर ग्राउण्ड फ्लोर सडक स्तर से 2.00 मी. से अधिक नीचा नहीं हो।

(9) सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए प्रत्येक 1000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर 2 कचरापात्र का प्रावधान आवश्यक होगा, जिसमें एक पात्र 1.33 क्यूबिक मीटर का नॉन बायोडिग्रेडेबल तथा 0.67 क्यूबिक मीटर का दूसरा पात्र बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हेतु होगा। इन्हें भूतल पर ऐसे स्थान पर रखा जावेगा जहाँ से सफाई कर्मचारी द्वारा आसानी से उठाया जा सके।

(10) सरकारी व अर्द्धसरकारी भवनों में अतिरिक्त एफएआर की बेटरमेन्ट लेवी देय नहीं होगी।

(11) वर्षा जल संग्रहण की राशि हेतु यह अन्डरटेकिंग ले ली जावेगी कि भवन में वर्षा जल संग्रहण का प्रावधान किया जायेगा।

(12) 15 मीटर से ऊँचे भवन प्रस्तावित होने की दशा में पार्श्व व पृष्ठ सेटबेक न्यूनतम 6 मीटर होंगे।

8.5 औद्योगिक भवनः

रीको औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक भवन हेतु निर्माण के मानदण्ड ''रीको'' के प्रचलित नियमों/विनियमों आदि में संबंधित प्रावधानों के अनुरूप होंगे, परन्तु रीको औद्योगिक क्षेत्र के बाहरी क्षेत्रों में औद्योगिक भवनों हेतु नगर निगम/नगर परिषद्/विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास द्वारा अपने स्तर पर अलग से मानदण्ड निर्धारित कर सकेंगे।

8.6 विशेष प्रकृति के भवनः

अन्य विशेष प्रकृति के भवन जो कि आवासीय/वाणिज्यिक/संस्थागत/औद्योगिक भवन की प्रकृति में नहीं आते हैं जैसे मिश्रित भू उपयोग तथा जिनके बारे में यहां मानदण्ड निर्धारित नहीं है ऐसे भवनों में भवन निर्माण के मानक स्तर भवन मानचित्र समिति/सक्षम अधिकारी द्वारा गुणावगुण निर्धारित किये गये अनुसार होगा।

8.7 विशेष सड़कों पर रिहायशी/वाणिज्यिक/संस्थागत आदि भवनों हेतु प्रावधानः

तालिका ''6'' में वर्णित सड़कों पर निर्माण के मानदण्ड निम्नानुसार होंगेः–

(क) देय एफ.ए.आर. सम्बन्धित तालिकाओं के अनुसार होगा।

(ख) अधिकतम ऊंचाई 20.0 मी. होगी।

(ग) अधिकतम आच्छादन 50 प्रतिशत या योजनानुसार जो भी कम हो वह देय होगा।

(घ) सैट बेक मौका स्थिति अनुसार अथवा तालिका अनुसार/विनियम 8.8 के अनुसार जो भी अधिक हो निर्धारित किये जावे।

(ड.) देय ऊंचाई अधिकतम होगी चाहे एफ.ए.आर. प्राप्त होता हो अथवा नहीं। उँचाई में कोई शिथिलता नहीं दी जावेगी।

तालिका ''6''

(संबंधित नगर पालिका/नगर परिषद्/नगर विकास न्यास द्वारा उनके क्षेत्र में मुख्य सड़के अपने स्तर पर निर्धारित की जा कर तालिका ''6'' में जोडी जायेगी।)

8.8 सैटबेकः

(i) सैटबेक का निर्धारण भूखण्ड की बाउण्ड्री से होगा।

(ii) यदि भूखण्ड का आकार इस प्रकार है जिससे भूखण्ड की बाउण्ड्री से फ्रन्ट सैट बैक की लाइन निर्धारित करने में समीपस्थ भूखण्डों के लिए निर्धारित फ्रन्ट सैट बैक लाईन से समरूपता नहीं बनती है तो सक्षम अधिकारी द्वारा फ्रन्ट सैटबेक आसपास के भवनों के फ्रन्ट सैटबेक को देखते हुए अलग से

निर्धारित किया जा सकेगा। सामान्य तौर पर भूखण्ड का अग्र सेटबेक चौडी सडक की ओर होगा व भवन की प्रस्तावित ऊँचाई का निर्धारण उसी सडक के परिप्रेक्ष्य में किया जा सकेगा।

(iii) **सैटबेक भूमि समर्पण के पश्चात् समर्पित भूमि की चौडाई के बराबर कम माना जायेगा ताकि भवन रेखा पूर्वानुसार अर्थात् यथावत रहे। साथ ही मूल भूखण्ड का क्षेत्रफल किसी उपयोग के लिये न्यूनतम क्षेत्रफल हेतु आधार माना जायेगा। जैसे रिसोर्ट हेतु किसी भूखण्ड का भू पट्टी समर्पण से पूर्व क्षेत्रफल 1.2 हेक्टेयर था परन्तु भू पट्टी समर्पण के पश्चात् (चाहे सड़क चौडी करने के लिये हो) भूखण्ड का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से कम हो जाता है तो भी ऐसे भूखण्ड पर रिसोर्ट हेतु अनुमति देय होगी बशर्ते भूखण्ड अन्य शर्तें पूरी करता हो।**

(iv) जिन भूखण्डों में एक से अधिक सड़क लगती हो उसके लिए प्रावधानः

सैटबेक फ्लेट्स, ग्रुप हाउसिंग, व्यावसायिक भवन एवं संस्थागत भवन हेतु मुख्य सड़क अर्थात् चौड़ी सड़की की ओर का सैटबेक सम्बन्धित तालिका अथवा योजनानुसार जो भी अधिक हो देय होगा। अन्य सड़क की ओर का सैटबेक मौके की स्थिति के अनुसार अथवा योजना होने की स्थिति में योजनानुसार होगा। गैर योजना क्षेत्र में मुख्य सड़क की ओर का सैटबेक आसपास की भवन रेखा के अनुसार अथवा सम्बन्धित तालिका के अनुसार जो भी अधिक हो रखा जायेगा। अन्य सड़क की ओर का सैटबेक योजनानुसार अथवा तालिकानुसार जो भी अधिक हो अनुज्ञेय होगा। भूखण्ड के दो से अधिक सड़क समान चौड़ाई की होने पर किसी एक को मुख्य सड़क मानते हुए अग्र सैटबैक संबंधित तालिका अथवा योजनानुसार जो भी अधिक हो देय होगा। अन्य सड़क की ओर का सैटबैक मौके की स्थिति के अनुसार अथवा योजना होने की स्थिति में योजनानुसार होगा, जिसे पार्श्व सैटबैक के अनुरूप माना जावेगा।

(v) यदि किसी भूखण्ड पर देय सैटबेक्स के कारण तालिका में अंकित अधिकतम आच्छादित क्षेत्रफल एवं एफ.ए.आर. प्राप्त नहीं होता है तो उससे निम्न श्रेणी के भूखण्ड के सैटबेक्स की सीमा तक उस भूखण्ड के सैटबेक्स (अग्र सैटबेक्स को छोड़कर अन्य) में शिथिलता देय होगी जिससे तालिका में अंकित आच्छादित क्षेत्रफल एवं एफ.ए.आर. प्राप्त किया जा सके।

(vi) विभिन्न आकार के भूखण्डों के आगे विभिन्न तालिकाओं में जो सैटबेक अग्र सैटबेक के रूप में दिए हैं वह संबंधित सड़क की चौडाई पर भी निर्भर करेंगे। वह निम्नलिखित से कम नहीं होंगेः–

सड़क की चौडाई	अग्र सैटबेक
18 मी. से कम	3.0 मी.
18 मी. से 24 मी. तक	4.5 मी.
24 मी. से अधिक	6.0 मी.

लेकिन भवन मानचित्र समिति अथवा सक्षम अधिकारी मौके की स्थिति को देखते हुए अथवा स्थल के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए भिन्न सैटबेक भी निर्धारित करने के लिए अधिकृत है।

(vii) 30 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्र सैटबैक्स संबंधित तालिका अथवा योजना में दिये गये सैटबैकस में से जो भी अधिक हो के अनुसार एवं पार्श्व एवं पीछे के सैटबैक्स तालिका ''7'' अथवा तालिका के नीचे दी गई टिप्पणी के अनुसार छोडनें होंगे। इनमें शिथिलता देय नहीं होगी।

(viii) तालिका ''1'', ''1'' (अ), ''2'', ''3'', ''4'', एवं ''5'' में 15 मीटर से अधिक ऊँचें भवनों में दोनों पार्श्व एवं पीछे के सैटबैक्स न्यूनतम 6.0 मीटर होंगे। 30 मीटर से उँचे भवनों के लिए संबंधित तालिका ''7'' के प्रावधान लागू होंगे।

(ix) अग्र व साइड सेटबेक में अग्निशमन वाहन के आवागमन के लिए स्पष्ट 3.6 मीटर ऊंचाई छोडने के बाद भवन से निकलता हुआ यदि कोई आर्किटेक्चरल एलीमेंट बनाया जाता है, जिसका उपयोग केवल भवन की सुदरता बढाने के लिए किया गया हो, बनाया जा सकता है। इस प्रकार के एलीमेंट को किसी भी उपयोग में नहीं लिया जा सकेगा, जो कि सेटबेक दूरी का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(x) **''किसी भूखण्ड़ का एक से अधिक भागों में उपविभाजन प्रस्तावित होने पर, उपविभाजित भूखण्ड़ों के लिए मुख्य सड़क की ओर के अग्रसेट बेक योजनानुसार तथा गेर योजना क्षेत्र होने पर आस–पास की भवन रेखा के अनुसार निर्धारित किये जायेंगे एवं अन्य सेटबेक तालिका में भूखण्डों के आकार के अनुसार रखे जावेगें। सेटबेक्स का निर्धारण भवन मानचित्र समिति/सक्षम अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। उपविभाजित भूखण्डों में उंचाई, एफ.ए.आर. मूल भूखण्ड़ों में अनुज्ञेय अनुसार ही निर्धारित किये जायेंगे।**

तालिका ''7''

आवासीय/व्यावसायिक/संस्थागत भवन जो 30 मीटर से अधिक ऊंचे निर्माण हेतु प्रस्तावित हो तो निम्न प्रावधान लागू होंगे। (पार्किंग के उपयोग हेतु प्रस्तावित स्टिल्ट/सर्विस फ्लोर को भवन की उंचाई में गणना की जायेगी परन्तु एफ.ए.आर. की गणना में छूट होगी। लेकिन बेटरमेन्ट लेवी की गणना हेतु भवन की ऊँचाई पार्किंग हेतु उपयोग में लिये गये बेसमेन्ट/स्टील्ट फ्लोर के ऊपर से की जावेगी।)

क्र. सं.	भवनों की ऊँचाई (मीटर)	दोनों पार्श्व एवं पीछे के सैटबैक्स (मीटर)
(i)	30.00 मी. से अधिक 35.00 मी. तक	11
(ii)	35.00 मी. से अधिक 40.00 मी. तक	12
(iii)	40.00 मी. से अधिक 45.00 मी. तक	14
(iv)	45.00 मी. से अधिक 50.00 मी. तक	16
(v)	50.00 मी. से अधिक	17

तालिका ''7'' हेतु टिप्पणी :–

1. उपरोक्त तालिका के विकल्प के रूप में 30 मीटर तक की ऊंचाई के लिए न्यूनतम सेटबेक संबंधित तालिका के अनुसार लागू होंगे। लेकिन 30 मीटर के ऊपर के सेटबेक उपरोक्त तालिका के अनुसार लागू होंगे। 30 मीटर से ऊपर सेटबेक अधिक होने पर जो खुला क्षेत्र 30 मीटर की छत पर मिलेगा। उस पर किसी कमरे या फ्लेट से पहुँच नही होगी। लेकिन ऊपरी मंजिलों पर नियमानुसार ऑपन बालकनी देय होगी।
2. तालिका में वर्णित सैटबैक में कमी होने पर ऊपरी मंजिलों पर अधिक सैटबैक छोडनें होंगे, जिससे की भूतल पर एवं ऊपर की मंजिल पर छोडे गये सैटबैक को जोडने पर तालिका ''7'' में वर्णित प्राप्त होंगे अर्थात् तालिका ''7'' के सैटबैक छोडना सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार ऊपरी मंजिल पर छोडे गये सैटबैक क्षेत्र को किसी फ्लैट अथवा कमरे से पहुंच प्राप्त नहीं होनी चाहिए (Non Accessible)
3. 2 हैक्टेयर से बड़े क्षेत्रफल की ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में एक से अधिक ब्लॉक्स प्रस्तावित किये जाने पर अलग–अलग ब्लॉक्स की उंचाई के आधार पर उक्त तालिका 7 के प्रावधान अनुसार साईड अथवा पीछे का सेटबेक अलग–अलग (जो भी लागू हो) रखे जा सकेगे । लेकिन न्यूनतम सेटबेक भूखण्ड क्षेत्रफल के अनुसार तालिका 3 के अनुसार रखा जाना आवश्यक होगा तथा स्टील्ट फ्लोर केवल पार्किंग हेतु प्रस्तावित करने पर भूखण्ड के लिए तालिका 3 के अनुसार आवश्यक सेटबेक लाईन तक देय होगा। किसी ब्लाक के सेटबेक निर्धारण हेतु ब्लॉक्स की कुल उंचाई सडक स्तर से मानी जाएगी।

8.9 आच्छादित क्षेत्रः

(क) देय आच्छादन

(i) किसी भी प्रकार के भवन हेतु देय आच्छादन संबंधित तालिका के अनुरूप अथवा जहां भवन मानचित्र समिति तय करने के लिए अधिकृत है वहां भवन मानचित्र समिति के निर्णयानुसार देय होगा।

(ख) आच्छादित क्षेत्र की गणना में निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जावेगाः–

(i) यदि आच्छादित नहीं हो तो उद्यान, रॉकरी, कुआ और कुएं की संरचना, खुला वाटरपूल एवं स्विमिंग पूल एवं उनकी संरचनाऐं जो कि सड़क की सतह से 2.1 मी. से अधिक नहीं हो, आग से बचाव हेतु जीना, वृक्ष का गट्टा (प्लेटफार्म) टैंक, फव्वारा, बैंच, ऊपर से खुला हुआ चबुतरा एवं इनके समरूप संरचना।

(ii) कम्पाउण्ड वाल, गेट, बिना मंजिल पोर्च या पोर्टिको, स्लाईड, स्विंग, छज्जा, खुला रेम्प (जो स्टिल्ट के धरातल अथवा स्टिल्ट न होने की दशा में भूतल पर जाने के लिये हो) इत्यादि भागों से आच्छादित क्षेत्र। स्टिल्ट से बेसमेन्ट तथा अन्य मंजिलों पर जाने के लिए रेम्प।

(iii) बालकनी जो कि भवन से बाहर 1.2 मीटर या सैटबेक दूरी का 1/3 जो भी कम हो, तक निकली हुई हो।

(iv) 500 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्रफल के भूखण्डों में सभी प्रवेश द्वारों पर प्रत्येक 6.25 वर्गमीटर तक का चौकीदार के कमरें।

(v) **भवन की सुविधाओं जैसे ट्रान्सफार्मर, जनरेटर रूम, पम्प रूम, इलेक्ट्रिक पैनल रूम, स्विच रूम, पी.बी.एक्स व वातानुकूलन के उपकरण ड्रेनेज, कल्वर्ट, कन्डयूट, कैच, चेम्बर, गटर गार्वेज शुट, चौकीदार का कमरा/कमरे, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट, गैस बैंक, स्वीमिंग पूल फिल्टरेशन प्लांट इत्यादि हेतु भवन के कुल एफ.ए.आर. क्षेत्र का 7 प्रतिशत अतिरिक्त आच्छादित क्षेत्र की गणना में शामिल नहीं होगा।**

(vi) **बेसमेंट तथा अन्य मंजिलों पर जाने के लिए रेम्प सेट बैक्स में देय होगा, बशर्ते अग्निशमन वाहन के आवागमन हेतु न्यूनतम 3.6 मीटर स्पष्ट रास्ता भूतल पर उपलब्ध हो रेम्प को अग्निशमन के आवागमन हेतु उपयोग में नहीं लिया जा सकता, तथा बेसमेन्ट में जाने हेतु रेम्प अग्र सेटबेक में भूखण्ड की बाउन्ड्री से 3.60 मीटर छोडने के बाद देय है। यदि 3.60 मीटर चौड़ा रेम्प पार्श्व व पीछे सेट बैक में बनाया जाता है जो कि किसी भी तरह से ढका हुआ न हो तो उसे अग्निशमन वाहन के आवागमन हेतु गलियारा माना जा सकता है।**

(vii) 9.13 में वर्णित अनुज्ञेय प्रक्षेप।

(viii) सेटबेक्स में घरेलू उपयोग तथा अग्निशमन के लिए आवश्यकतानुसार भूमिगत पानी का टेंक व पम्प रूम नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा आवश्यकता अनुसार सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान का प्रावधान किया जा सकता है।

8.10 एफ.ए.आर.:– विभिन्न उपयोगों के भवनों हेतु मानक एफएआर निम्नानुसार होंगे –

(i)	आवासीय	–	1.20
(ii)	आवासीय फ्लेट्स/ग्रुप हाउसिंग	–	1.33
(iii)	व्यवसायिक	–	1.33
(iv)	संस्थागत	–	1.00

उक्त निर्धारित एफएआर से अधिक एफएआर तालिकानुसार अधिकतम अथवा अन्यथा प्रस्तावित सीमा तक निम्न शर्तों पर अनुज्ञेय किया जा सकेगा :–

(क) **<u>यदि आवेदक द्वारा टी.डी.आर का उपयोग करना प्रस्तावित हो (75 प्रतिशत टीडीआर में समायोजित होगा व शेष 25 प्रतिशत नगद लिया जायेगा) अथवा एफएआर के अन्तर के क्षेत्रफल पर सम्बन्धित तालिका की टिप्पणियों में उल्लेखित दरों पर बेटरमेन्ट लेवी देय होगी।</u>**

(ख) भवन की प्रस्तावित उचाई अनुज्ञेय उचाई से अधिक ना हो।

(1) किसी भूखण्ड में एफ.ए.आर. की गणना में तहखाना, स्टिल्टस व मध्यवर्ती मंजिल का निर्मित क्षेत्र तथा भवन की अन्य सभी मंजिलों का सकल आच्छादित क्षेत्र शामिल होगा परन्तु विनियम 8.10 (2) के अनुसार छूट देय होगी। तालिकाओं में उल्लेखित एफ.ए.आर. अधिकतम है परन्तु विनियम 8.10 (3) के प्रावधानों के अनुसार भूपट्टी समर्पण पर तालिकाओं से अधिक एफ.ए.आर. प्राप्त हो सकता है।

(2) निम्न वर्णित निर्माण क्षेत्र को एफ.ए.आर. की गणना से छूट दी जा सकेगी:–

(i) बेसमेन्ट व स्टिल्टस का वह भाग जो पार्किंग के लिए प्रस्तावित किया गया हो।

(ii) किन्हीं दो मंजिलों के बीच 2.2 मीटर की ऊंचाई तक सर्विस फ्लोर का क्षेत्रफल जो केवल भवन से सम्बन्धित सर्विसेज के उपयोग में लिया जाये।

(iii) 9.13 में उल्लेखित अनुज्ञेय प्रक्षेप।

(iv) आग से बचाव हेतु खुली सीढी जो कि भवन के साथ अथवा सैटबेक क्षेत्र में भवन से दूर हो तथा अग्निशमन वाहनों/यंत्रों के आवागमन में बाधा उत्पन्न ना करे।

(v) भवन की सुविधाओं जैसे ट्रान्सफार्मर, जनरेटर रूम, पम्प रूम, इलेक्ट्रिक पैनल रूम, स्विच रूम, पी.बी.एक्स व वातानुकूलन के उपकरण ड्रेनेज, कल्वर्ट, कन्डयूट, कैच, चेम्बर, गटर गार्वेज शुट, चौकीदार का कमरा, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट व गैस बैंक का क्षेत्रफल भवन के अनुज्ञेय एफ.ए.

आर. क्षेत्र का 7 प्रतिशत तक। ये सुविधाएँ भवन में बेसमेंट स्टिल्ट अथवा अन्य तल पर प्रस्तावित की जा सकती है।

(vi) (क) पार्किंग क्षेत्र में पहुंचने हेतु वाहनों के लिये प्रस्तावित रेम्प (ख) अस्पताल एवं नर्सिंग होम में रूग्णों को लाने ले जाने के लिए रेम्प (ग) सार्वजनिक भवनों में विकलांगों के लिये रेम्प जो कि 1.5 मी. से ज्यादा चौड़ा नहीं हो।

(vii) केवल ग्रुप हाउसिंग/फ्लेटस के प्रकरणों में एफ.ए.आर. में गणना योग्य प्रत्येक 100 व.मी. निर्मित क्षेत्र पर 3 व.मी. घरेलू स्टोर के लिये एफ.ए.आर. में छूट दी जा सकेगी।

(viii) लिफ्ट वेल एवं लिफ्ट मशीन का कमरा, जीना/सीढी/एस्केलेटर तथा सीढी कक्ष पर गुमटी।

(ix) आवासीय उपयोग के भवनों में एफ.ए.आर. क्षेत्र का अधिकतम 15 प्रतिशत तथा व्यावसायिक उपयोग के भवनों में एफ.ए.आर. क्षेत्र का अधिकतम 20 प्रतिशत के कोरिडोर का क्षेत्रफल एफ.ए.आर. की गणना से मुक्त होगा। सांस्थानिक, पर्यटन ईकाई व होटल उपयोग के भवनों में कॉरीडोर के क्षेत्रफल की कोई सीमा निर्धारित नहीं होगी तथा यह कोरीडोर एफ.ए.आर. से मुक्त होगा।

(3) नगर पालिका /नगर विकास न्यास की मांग पर किसी भूखण्ड में से बिना क्षतिपूर्ति के नगर पालिका/नगर विकास न्यास को भूपट्टी समर्पित की जाने पर मूल भूखण्ड पर स्वीकृत योग्य एफ.ए.आर. के अतिरिक्त समर्पित की जाने वाली भू–पट्टी के क्षेत्रफल के बराबर एफ.ए.आर. उसी भूखण्ड में स्वीकृत किया जा सकेगा।

(4) **यदि सडक की चौडाई बढाने हेतु अथवा मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क हेतु किसी भूखण्ड की भूमि/गैर रूपान्तरित कृषि भूमि निःशुल्क समर्पित कराई जाती है तो समर्पित करवायी जाने वाली भू–पट्टी के क्षेत्रफल के बराबर एफ.ए.आर. उस शेष भूखण्ड/शेष रूपान्तरित भूमि पर अनुज्ञेय मानक एफ.ए.आर. के अतिरिक्त देय होगा। यदि उक्त अतिरिक्त देय एफ.ए.आर. उस भूखण्ड पर प्राप्त नहीं होता है तो इस अतिरिक्त एफ.ए.आर. का उपयोग टीडीआर के प्रावधानों के अनुरूप किया जा सकेगा।**

(5) किसी भूखण्ड के लिए अनुज्ञेय एफ.ए.आर. से अधिक एफ.ए.आर. प्राप्त होने की स्थिति में अतिरिक्त एफ.ए.आर. नियमानुसार betterment levy देय होगी, अथवा टी.डी.आर अनुज्ञेय होने की स्थिति में टी.डी.आर का समायोजन किया जा सकेगा परन्तु भू–उपयोग परिवर्तन की स्थिति में भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क ही देय होगा।

(6) छोटे भू–खण्डों के पुनर्गठन के प्रकरणों में देय सेट बैक्स व एफएआर मूल भू–खण्डों के अनुसार ही रखे जायेंगे। यदि एफ.ए.आर. इससे अधिक प्रस्तावित किया जाता है तो सैट बैक पुनर्गठित भू–खण्डों के क्षेत्रफल के अनुसार रखे जाने होंगे एवं अतिरिक्त एफ.ए.आर. क्षेत्रफल पर बेटरमेन्ट लेवी आवासीय आरक्षित दर के 25 प्रतिशत की दर से अथवा रूपये 75 प्रति वर्ग फीट, जो भी अधिक हो, देय होगी। पुनर्गठन के फलस्वरूप यदि भूखण्ड का क्षेत्रफल 1500 वर्गमीटर से अधिक होता है तो राज्य सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

(7) ऐसी योजनाओं जिनमें स्वतंत्र आवासीय तथा फ्लेट्स दोनों प्रकार के भूखण्ड प्रस्तावित हो तो ऐसी योजनाओं में सम्पूर्ण योजना क्षेत्रफल पर 1.2 अनुज्ञेय ग्लोबल एफ.ए.आर. की गणना की जावेगी तथा स्वतंत्र आवासीय भूखण्डों के कुल क्षेत्रफल पर एफ.ए.आर. अधिकतम 1.5 के अनुसार गणना की जाकर अनुज्ञेय ग्लोबल एफ.ए.आर. का शेष भाग फ्लेटेड विकास के भूखण्डों पर अनुज्ञेय होगा। जिन विकासकर्ताओं द्वारा राजस्थान टाउनशिप पोलिसी 2010 के तहत योजना अनुमोदित कर निर्माण किया जाएगा या टाउनशिप पोलिसी 2002 के तहत योजना स्वीकृत की गई होगी। उन योजनाओं पर भी ग्लोबल एफ.ए.आर. लागू होगा। ऐसी योजनाओं में पुर्नगठन कर (छोटे भूखण्डों का) बड़े भूखण्ड (फ्लेटेड विकास हेतु) को भी इस सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। यदि ग्लोबल एफ.ए.आर का शेष भाग ऐसे भूखण्डों पर देय अधिकतम एफ.ए.आर से कम होगा तो विकासकर्ता अधिकतम एफ.ए.आर. के लिए शेष एफ.ए.आर. का बेटरमेन्ट लेवी प्रदान करेगा। अनुमोदित ले–आउट प्लान में एफ.ए.आर. अनुमोदन के समय निश्चित कर दिया जाएगा। पूर्व में स्वीकृत योजनाओं का भी पूर्ण एफ.ए.आर. ग्लोबल एफ.ए.आर. के तहत पुनः निर्धारित किया जा सकेगा। लेकिन ऐसा करते वक्त सम्पूर्ण ले–आउट प्लान का पुर्ननिरीक्षण किया जाकर सभी भूखण्डों का एक साथ एफ.ए.आर. निर्धारित करना होगा। किसी एक भूखण्ड पर ग्लोबल एफ.ए. आर. की गणना के पश्चात् बचा हुआ एफ.ए.आर. अन्य भूखण्ड पर देय होगा, परन्तु ग्रेटर भिवाड़ी भवन विनियम, 2011 के सभी मानदण्ड लागू होगें।

(8) स्थानीय निकायों को क्षेत्राधिकार हस्तान्तरित होने से पूर्व, राजस्थान आवासन मण्डल की योजनाओं के भूखण्डों में पुर्नगठन अनुज्ञेय नहीं किया जायेगा।

(9) ऐसे प्रकरण जिसमें भवन मानचित्र पूर्व के प्रचलित नियमो के अनुसार अनुमोदित किये गये है उनमें अनुज्ञेय एफएआर मानक एफएआर माना जायेगा। उदाहरणार्थ पूर्व नियमो में अनुज्ञेय एफएआर 1.2 / 1.67 / 1.80 मानक एफएआर माना जायेगा।

(10) यदि किसी भवन में पूर्व में अनुमोदित एफएआर के अनुरूप भवन निर्माण किया गया था और यदि अब भवन निर्माता वर्तमान भवन विनियमो के अनुसार अधिकतम एफएआर के लिए आवेदन करता है तो भवन विनियमो की अन्य शर्तो की पालना होने पर बेटरमेन्ट लेवी लेकर अधिकतम एफएआर अनुज्ञेय किया जा

सकता है। बैटरमेन्ट लेवी की गणना के लिए मानक एफएआर पूर्व में अनुज्ञेय एफएआर माना जावेगा।

(11) पूर्व में जारी लीजडीड के स्थल मानचित्रों में दर्शाये गये एफ.ए.आर. को मानक एफ.ए.आर. माना जावेगा उससे अधिक एफ.ए.आर. स्वीकृत करने पर नियमानुसार बैटरमेन्ट लेवी का भूगतान करना होगा। लीजडीड/साईट प्लान में एफएआर का उल्लेख नहीं होने पर प्रचालित भवन विनियमों के अनुसार देय एफएआर को मानक एफएआर माना जावेगा।

(12) 10 हैक्टेयर से बड़ी टाउनशिप योजनाओं में किसी एक भूखण्ड पर या सम्पूर्ण ले–आउट की ग्लोबल एफ.ए.आर. की गणना के पश्चात बचा हुआ एफ.ए.आर. अन्य भूखण्ड पर देय होगा। ग्लोबल एफ.ए.आर. के तहत अतिरिक्त एफ.ए.आर. केवल योजना के 750 वर्गमीटर से बडे भूखण्डो पर ही देय होगा। 750 वर्गमीटर से बड़े तथा 2000 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों पर अधिकतम एफ.ए. आर. 2.25 तथा 2000 वर्गमीटर व उससे बड़े भूखण्डों पर अधिकतम 3 एफ.ए. आर. एक भूखण्ड पर दिया जा सकेगा यह एफ.ए.आर. ग्लोबल एफ.ए.आर. का शेष भाग होगा अतः इस पर बेटरमेंट लेवी देय नहीं होगी। यदि ग्लोबल एफ.ए. आर. का शेष भाग ऐसे भूखण्डों पर देय अधिकतम एफ.ए.आर. से कम होगा तो विकासकर्ता अधिकतम एफ.ए.आर. के लिए शेष एफ.ए.आर. की बैटरमेंट लेवी प्रदान करेगा। योजना में 18 मीटर या उससे अधिक चौडी सडको पर स्थित 1000 वर्गमीटर से बड़े भूखण्डों पर ऊंचाई टाउनशिप योजना की मूल अप्रोच रोड के अनुसार अनुज्ञेय होगी। 18 मीटर से कम चौडी सडक पर स्थित व अन्य भूखण्डों में ऊंचाई भवन विनियमों के बिंदू संख्या 8.11 के अनुसार ही देय होगी। अन्य सभी मापदण्ड भवन विनियमों के अनुसार लागू होगे परंतु पूर्व में अनुमोदित परियोजनाओं मे 18 मीटर चौडी रोड को अनिवार्यता नही होगी।

8.11 ऊंचाईः

(i) 12.00 मी. से कम चौडी सडक पर स्थित भूखण्डों में भवनों की देय ऊॅचाई 12. 00 मी. तक (स्टिल्ट का प्रावधान किए जाने पर अधिकतम 15.00 मीटर तक) सीमित होगी। 12.00 मी. एवं इससे अधिक लेकिन 18.00 मी. से कम चौडी सडक पर अधिकतम ऊॅचाई 15 मीटर (स्टिल्ट सहित) तथा 18 मीटर एवं इससे अधिक एवं 30 मीटर से कम चौडी सडक पर अधिकतम ऊँचाई सडक की चौडाई का डेढ़ गुणा तक देय होगी। 30.00 मी. एवं इससे अधिक चौडी सडकों पर भवनों की ऊॅचाई सडक की चौडाई का डेढ गुणा एवं भूखण्ड के अग्र सैटबैक के योग के बराबर तक देय होगी। नगर विकास न्यास द्वारा 40 मी0 तक उचाई के भवन मानचित्र स्वीकृत किये जा सकेगे। यदि भवन की उचाई 40 मी0 से अधिक प्रस्तावित हो तो 40 मी0 तक की उचाई न्यास द्वारा

स्वीकृत की जा सकेगी तथा 40 मी0 से उचे भाग की स्वीकृत राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही दी जावेगी।

भवन में पार्किंग हेतु बेसमेंट का निर्माण किये जाने पर सामने की सडक के स्तर से कुर्सी तक की ऊॅचाई अधिकतम 1.2 मी. एवं पार्किंग हेतु स्टिल्ट का निर्माण किये जाने पर कुर्सी तल से स्टिल्ट की छत की बीमतल तक अधिकतम ऊॅचाई 2.8 मी. बेसमेंट एवं स्टिल्ट दोनों को पार्किग हेतु प्रस्तावित किये जाने पर दोनों की ऊँचाई को जोडकर भवन की ऊॅचाई की गणना में छूट दी जा सकेगी। मेकेनिकल पार्किंग की स्थिति में स्टिल्ट की ऊँचाई 9.8.4 के अनुरूप छूट अनुज्ञेय होगी। पार्किंग के उपयोग हेतु प्रस्तावित मंजिलों की अधिकतम 6 मीटर की ऊंचाई भवन की अनुज्ञेय ऊंचाई की गणना में शामिल नहीं की जायेगी।

किन्तु उपरोक्त ऊॅचाई के छूट के प्रावधान निम्न पर लागू नहीं होंगे :–

(क) तालिका ''6'' में वर्णित सड़कें।
(ख) तालिका 1, 2, 3, 4 एवं 5 में जहां ऊंचाई का विशिष्ट प्रावधान दर्शाया गया है।
(ग) पूर्व में स्वीकृत टाइप डिजाइन में जहां ऊंचाई का उल्लेख है।
(घ) योजना क्षेत्रों में यदि नीलामी की शर्तों में अधिक ऊंचाई दी जाती/गई है।
(ड.) देय ऊंचाई हेतु सड़क की मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान की प्रस्तावित चौडाई आधार होगी।

(ii) भवनों की ऊंचाई का निर्धारण भूखण्ड/भवन के सामने की सड़क के उच्चतम स्तर अथवा जहां यह सम्भव न हो वहां आस पास के औसत भूमितल को आधार मानकर होगा।

(iii) सभी प्रकार के उपयोग एवं आकार के भूखण्डों हेतु निम्नलिखित अनुलग्न संरचनाएँ भवन की ऊंचाई में सम्मिलित नहीं की जायेंगी।

छत पर पानी का टेंक और उनकी सहायक संरचनाएँ जो ऊंचाई से 3.00 मीटर से अधिक न हो, यदि पानी का टेंक सीढी कक्ष की गुमटी पर बनाया जाता है तो (गुमटी को शामिल करते हुये) ऊंचाई 5.0 मी. से अधिक नहीं हो, संवातन, वातानुकूलन, लिफ्ट कक्ष और ऐसे सर्विस उपकरण, सीढी, जो गुमटी से आच्छादित हो तथा जो 3.00 मीटर से अधिक ऊंची न हो, लिफ्ट कक्ष जो 7.75

मीटर से अधिक ऊंचा न हो। चिमनी और पैरापेट वाल (मुंडेर) तथा ऐसे संरचनाएँ जो भवन की सौन्दर्य वृद्धि (Architectural elements) हेतु निर्मित की जाये तथा जो 4.50 मीटर से अधिक न हो। सौर ऊर्जा द्वारा पानी गरम करने का संयत्र।

(iv) जिन भूखण्डों में एक से अधिक सड़क लगती हो उनके लिए देय ऊंचाई एवं अन्य प्रावधान जैसे एफ.ए.आर. आदि चौडी सडक को आधार मानकर देय होंगे।

(v) टाउन शिप पॉलिसी 2010 अथवा पूर्व की टाउन शिप पॉलिसी के तहत स्वीकृत ऐसी योजनाओं जिनमें स्वतंत्र आवासीय भूखण्ड तथा फ्लेट्स के भूखण्डों दोनों प्रकार के भूखण्डों प्रस्तावित हो तो ऐसी योजना में फ्लेटेड भाग हेतु आवासीय भूखण्डों में अधिकतम ऊँचाई योजना की संपर्क सड़क का 1.5 गुणा + फ्रन्ट सेटबेक अनुज्ञेय की जा सकेगी। ग्लोबल एफ.ए.आर. के तहत अतिरिक्त एफ.ए.आर. का उपयोग केवल 2000 व.मी. व बड़े भूखण्ड पर ही लागू होगा।

(vi) हॉस्पिटल/होटल/शॉपिंग मॉल्स के प्रकरणों में भवन की प्रत्येक 30 मीटर ऊँचाई तक एक सर्विस फ्लोर की ऊँचाई (2.2 मीटर) भवन की कुल ऊँचाई की गणना में शामिल नहीं होगी।

8.12 मुख्य सड़कों के दोनों ओर अनुज्ञा की शर्तें एवं प्रतिबन्धः–

नगरीय क्षेत्र में से गुजरने वाले राष्ट्रीय राज मार्ग एवं राज्य राज मार्ग के दोनो ओर मास्टर प्लान के प्रस्तावो के अनुरूप दर्शाये गई वृक्षारोपण पट्टी में मास्टर प्लान में अनुज्ञेय निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के निर्माण नहीं किया जा सकेगा ।

जिसमें केवल भूखण्ड के डिमारकेशन के लिए सडक के तल से 0.6 मीटर तक सोलिड बाउन्ड्री वाल अनुज्ञेय होगी एवं उक्त सोलिड बाउन्ड्री वाल पर ग्रिल अनुज्ञेय होगी लेकिन ग्रिल सहित बाउन्ड्री वाल की अधिकतम उॅचाई सडक तल से 1.5 मी0 ऊचांई तक अनुज्ञेय की जा सकेगी।

8.13 भूखण्डों के भवन मानचित्र योजना में दर्शाये गये भूखण्डों के उपयोग के अनुरूप ही स्वीकृत किये जायेंगे । यदि पूर्व में अनुमोदित योजना के किसी भूखण्ड, जिसका भू उपयोग योजना में निर्धारित किया जा चुका है, के भू उपयोग में भू स्वामी परिवर्तन हेतु आवेदन करता है तो उसका निष्पादन निम्न प्रकार किया जायेगाः–

यदि आवेदित भू उपयोग योजना के उपयोग जिसके लिये योजना बनाई है में उल्लेखित भू उपयोग के अनुसार है तो वह योजना में परिवर्तन का प्रकरण होगा। जिसका परीक्षण के पश्चात् निर्णय सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। अन्यथा प्रकरण को भू उपयोग परिवर्तन का मानकर तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।

8.14 वर्षा के पानी द्वारा भू–गर्भ का जल स्तर बढानाः

300 वर्गमीटर अथवा ज्यादा क्षेत्रफल के भूखण्डों में सेटबेक क्षेत्र में उपयुक्त स्थान पर वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिये एक गडडे का निर्माण अनिवार्य रूप से किया जायेगा, जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल 1 व.मी. व गहराई 1 मी. होगी। इसमें आधे मीटर गहराई तक पत्थर अथवा ईंट के टुकड़े तथा बजरी भरे जायेंगे ताकि पानी छनकर ढके हुए दूसरे गहरे गडडे जो कि 1 x 1 x 1 मी. का हो, में जा सके। इस गडडे से वर्षा के पानी को इकटठा करने के लिए समुचित नालियों की संरचना की

जायेगी। प्रथम गडडे को लोहे की जाली से ढका जायेगा ताकि समय–समय पर इसकी सफाई की जा सके। दूसरे गडडे को पाइप के जरिये 6 इंच व्यास की टयूबवेल संरचना से जोड़ा जायेगा। प्रत्येक 6 इंच व्यास के टयूबवेल की न्यूनतम गहराई 15 मी. होगी। इस प्रकार के कम से कम 2 टयूबवेल होंगे, जिनमें आपस में 2 मी. की न्यूनतम दूरी होगी, जो आपस में जुड़े होंगे ताकि पानी सभी टयूबवेल में जा सके। इस प्रकार के गडडों को उस सतह तक खोदा जायेगा ताकि पानी रिसाव शीघ्र व अच्छी तरह से हो सके। इन गडडों को ऊपर से पूर्णरूप से ढकना होगा। इसमें यह भी व्यवस्था करनी होगी कि इनमें पानी अधिक भर जाने के कारण अतिरिक्त पानी नाली के माध्यम से स्वतः की बहकर भूखण्ड के बाहर निकल जाये। बड़े भूखण्डों में सक्षम अधिकारी द्वारा तय किये अनुसार वर्षा के पानी को इकटठा करने के लिये समुचित क्षमता का भूमिगत टैंक बनाया जावेगा तथा जल के रिसाव हेतु समुचित टयूबवेलनुमा संरचना की जावेगी। अथवा अन्य किसी विधि से जैसे छोटा तालाब/पौण्ड (pond) आदि से जल के रिसाव की व्यवस्था की जा सकेगी। 300 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों के लिए वर्षा जल संरक्षण की संरचना के लिए विनियम 14.14 की तालिका अनुसार अमानत राशि ली जावेगी तथा आवेदक द्वारा उक्त संरचना का निर्माण नहीं करने पर संबंधित निकाय उक्त राशि का उपयोग किसी एजेंसी के माध्यम से इसका निर्माण कराने हेतु स्वतंत्र होगा। इस राशि हेतु संबंधित निकाय पृथक से अकाउन्ट संधारित करेगा।

बहुमंजिला भवनों में वर्षाजल संग्रहण के प्रावधान की जिम्मेदारी विकासकर्ता/विकास समिति की होगी, जिसका कि समय–समय पर स्थानीय निकाय द्वारा निरीक्षण किया जायेगा।

8.15 5000 वर्ग मीटर तथा उस से बड़े भूखण्डों में स्नानागार तथा रसोई के अपशिष्ठ जल (Waste Water) के शुद्धीकरण हेतु रीसाईकिलींग की व्यवस्था करनी होगी इसमें टॉयलेट से निकलने वाला जल शामिल नहीं होगा। इस प्रकार शुद्धीकृत जल का उपयोग बागवानी तथा फ्लश के उपयोग में ही लिया जा सकेगा। स्नानागार तथा रसोई के अपशिष्ठ जल के शुद्धीकरण हेतु निम्नानुसार व्यवस्था करनी होगीः–

1. सेटलिंग (Settling-Tank) टेंक का निर्माण– सम्भावित अपशिष्ट जल की मात्रा से दुगनी क्षमता का टेंक बनाना होगा।
2. शुद्धीकरण (Disinfection) हेतु क्लोरिन अथवा आयोडिन का उपयोग किया जायेगा।
3. फिल्टर (Filters) अपशिष्ट जल की मात्रा के अनुसार फिल्टर लगाना होगा जो कि एक्टीव चारकोल, सेलूलोज, शिरामिक कॉटेरेज (Activated Charcoal, Cellulose or ceramic cartridge.) के उपयुक्त होगें। इस प्रकार के अपशिष्ट जल के लिए पृथक पाईप लाईन उपलब्ध करानी होगी। यह किसी भी दिशा में सीवर लाईन से नहीं मिलाई जायेगी। इस प्रकार शुद्धीकृत जल का उपयोग पीने

के पानी के रूप में नहीं किया जायेगा। उक्त व्यवस्था नहीं करने पर भवन निर्माता से 10/– रूपये प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर प्रतिवर्ष पेनल्टी ली जावेगी।

4. शोचालय के अपशिष्ट जल के शुद्धिकरण हेतु आवश्यकतानुसार सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित किया जाना होगा।
5. यदि किसी भवन में एक एसटीपी प्रस्तावित किया जाता है तो वेस्टवॉटर रिसाईक्लिंग के लिए अलग से एस.टी.पी बनाने की आवश्यकता नही होगी, बशर्त सभी प्रकार के वेस्टवॉटर का ट्रीटमेन्ट इस प्रकार किया जाये कि रिसाईकिल्ड वॉटर का उपयोग बागवानी तथा फलश के उपयोग में लिया जा सके।

8.16 सौर ऊर्जा से पानी गरम करनाः–

8.16.1 निम्न प्रकार के किसी भी प्रस्तावित भवन निर्माण में गर्म पानी करने हेतु सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना आवश्यक होगा –

(i) होस्पिटल एवं नर्सिंग होम

(ii) होटल, अतिथि गृह, विश्राम गृह, लॉज,

(iii) राजकीय अतिथिगृह, सभी प्रकार के छात्रावास,

(iv) 500 व.मी. अथवा ज्यादा क्षेत्रफल के आवासीय भूखण्डों में सशस्त्र बल, अर्द्धसैनिक बल एवं पुलिस बल के बेरेक्स

(v) सामुदायिक केन्द्र एवं इसी प्रकार के उपयोग हेतु अन्य भवन सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन।

उपरोक्त प्रकार के भवनों में निर्माण अनुज्ञा तभी देय होगी, जबकि भवन के डिजायन में छत से विभिन्न वितरण स्थलों तक, जहां गर्म पानी की आवश्यकता हो तापरोधक पाइपों का प्रावधान हो एवं भवन की छत पर सौर संयंत्र हेतु उपयुक्त स्थान हो।

8.16.2 संयंत्र की क्षमता एवं मानदण्डः सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने के संयंत्र की न्यूनतम क्षमता 25 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति स्नान हेतु एवं 10 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति रसोई घर होनी चाहिये बशर्त है कि छत का अधिकतम 50 प्रतिशत भाग ही सौर ऊर्जा संयंत्र के काम में लिया गया हो।

सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का संयंत्र एवं प्रणाली 'ब्येरो ऑफ इंडियन स्टेन्डर्ड (आई.एस. 12933/13129 एवं 12976) के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिये तथा जहां कहीं भी लगातार गर्म पानी की आवश्यकता हो वहां सौर ऊर्जा प्रणाली के साथ–साथ पानी गर्म करने हेतु अन्य व्यवस्था का प्रावधान किया जा सकता है।

8.16.3 विनियम संख्या–8.16.1 एवं 8.16.2 के प्रावधान अनुसार सौर ऊर्जा संयंत्र संबंधी व्यवस्था मौके पर सुनिश्चित नहीं किए जाने की दशा में सभी

उपयोगकर्ता से निर्मित क्षेत्रफल पर रू. 50/– प्रति वर्गमीटर (होटल हेतु 100 रूपयें प्रति वर्गमीटर) वार्षिक दर से पेनल्टी ली जाएगी।

8.17 जल संग्रहण हेतु टांका निर्माणः–

जल समस्या एवं संरक्षण के समाधान हेतु घरो में छत पर वर्षाजल संग्रहण के प्रावधान एवं टांको का निर्माण निम्नानुसार किया जावेगा।

1. निम्नानुसार भूखण्डों के आकार के अनुरूप टांका निर्माणः–

क्र. स.	भूखण्ड का आकार	टांके निर्माण हेतु न्यूनतम क्षमता
1.	300 वर्ग मीटर से अधिक व 1000 वर्ग मीटर तक	12 Cu.Mtr.
2.	1000 वर्ग मीटर से अधिक व 2000 वर्ग मीटर तक	36 Cu.Mtr.
3.	2000 वर्ग मीटर से अधिक व 3000 वर्ग मीटर तक	64 Cu.Mtr.
4.	3000 वर्ग मीटर से अधिक व 4000 वर्ग मीटर तक	100 Cu.Mtr.
5.	4000 वर्ग मीटर से अधिक व 5000 वर्ग मीटर तक	125 Cu.Mtr.
6.	5000 वर्ग मीटर से अधिक व 10000 वर्ग मीटर तक	150 Cu.Mtr.
7.	10,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भू–खण्डों पर प्रति 10,000 अथवा उसके अंश पर 150 Cu.Mtr. का टांके का निर्माण अतिरिक्त किया जाना होगा।	

2. टांको में जल संग्रहण किया जाकर उसका अधिकतम उपयोग किया जावें।
3. छत पर वर्षाजल संग्रहण के प्रावधान एवं टांका निर्माण की अनुपालना नहीं करने पर प्रति 1 क्यूबिक मीटर पर रूपये 1000/– पेनल्टी के रूप में देय होगी।
4. टांका निर्माण का स्ट्रक्चर डिजाईन उपलब्ध भूखण्ड के आधार पर स्वंय के स्तर पर निर्धारित किया जा सकता है।
5. एक या एक से अधिक टांकों का निर्माण क्षमता के आधार पर किया जा सकता है।
6. **ग्रुप हाऊसिंग व टाउनशिप योजनाओं में जल संग्रहण हेतु टैंक निर्माण अथवा वाटर रिचार्जिंग सिस्टम में से किसी एक का निर्माण करवाया जाना अनिवार्य होगा किन्तु ग्रुप हाऊसिंग व टाउनशिप योजनाओं में वर्षा जल संग्रहण व अपशिष्ट जल के शुद्धीकरण का कार्य आवश्यक रूप से किया जाना होगा।**

9. भवन निर्माण के लिए आवश्यक आंतरिक मानदण्डः–

9.1 खुले या आच्छादित पार्किंग के लिये बेसमेंट को छोड़कर निर्धारित क्षेत्र के फर्श की ऊंचाई आंगन के फर्श से कम से कम 0.15 मीटर होगी।

9.2 जलमल संबंधी विभिन्न व्यवस्थायें राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुरूप होगी।

9.3 कोने के भूखण्ड में सीमाभिती की ऊंचाई सड़के के मोड़ पर, मोड़ से सामने और पार्श्व में दोनों ओर 5 मी. की लम्बाई में 0.75 मी. तक सीमित रहेगी और शेष ऊंचाई रेलिंग लगाकर पूरी का जा सकेगी।

9.4 मोड़ (नुक्कड़) पर स्थित भवन का विनियमः–

सड़क पर खतरनाक अथवा असुविधाजनक मोड़ (नुक्कड़) होने पर नगर पालिका/ नगर विकास न्यास को नुक्कड़ के भवन के भवन के स्वामी को यह निर्देश देने का अधिकार होगा कि वह भवन के नुक्कड़ को अथवा मोड़ पर बाउण्ड्री की दीवार को ऐसा गोलाकार बना दे जैसा कि नगर पालिका/ नगर विकास न्यास द्वारा ठीक समझा जाये।

9.5 रेम्प का ढाल 1 : 8 से अधिक नहीं होगा, परन्तु 1 मी. की ऊंचाई तक पहुंचने के लिये रेम्प की ढाल ज्यादा भी हो सकता है। सड़क से भवन/भूखण्ड तक पहुंचने हेतु रेम्प/सीढ़ियां किसी भी अवस्था में सड़क के मार्गाधिकार में नहीं होगी। रैम्प आने व जाने के लिए अलग–अलग होने पर न्यूनतम चौडाई 3.3 मीटर एवं आने–जाने के लिए एक ही होने पर न्यूनतम चौडाई 6 मीटर रखनी होगी।

रैम्प का निर्माण सैटबैक में करते समय यह आवश्यक होगा कि रैम्प के अलावा बहुमंजिले भवन के चारों ओर न्यूनतम 3.6 मी. परिसंचालन हेतु स्पष्ट गलियारा उपलब्ध हो। रैम्प को इस गलियारे का भाग नहीं माना जावेगा। परन्तु यदि 3.6 मीटर चौड़ा रेम्प पार्श्व व पीछे सेटबेक में बनाया जाता है, जो कि किसी भी तरह से ढका हुआ न हो तो उसे अग्निशमन वाहन के आवागमन हेतु गलियारा माना जा सकता हें

9.6 भवनों में विभिन्न प्रकार के निर्माणों हेतु न्यूनतम सीमाएं निम्नानुसार होगीः–

तालिका "8"

भवन के विभिन्न अवयवों/उपयोग हेतु आवश्यक आंतरिक मानदण्ड

क्र.सं.	भवन के अवयव/उपयोग	न्यूनतम क्षेत्रफल (व.मी.)	न्यूनतम चौडाई (मी.)	न्यूनतम ऊंचाई (मी.)
(i)	वास योग्य कमरे	9.5	2.4	2.75
(ii)	रसोई घर	4.5	1.5	2.75
(iii)	स्नान घर	1.8	1.2	2.2
(iv)	टायलेट	2.8	1.2	2.2
(v)	शौचालय	1.1	1.0	2.2
(vi)	पेन्ट्री	3.0	1.4	2.75
(vii)	स्टोर	3.0	1.2	2.2

टिप्पणीः

(i) रिहायशी भवनों हेतु मानदण्ड 50 व.मी. से ज्यादा क्षेत्रफल के भूखण्डों पर लागू होंगे।

(ii) मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों से संबंध छात्रावासों के एक व्यक्ति के निवास हेतु आवासीय कमरे के लिये न्यूनतम आकार 7.5 व.मी. होगा।

(iii) यदि रसोई घर को भोजन कक्ष के रूप में भी काम में लिया जाना प्रस्तावित हो तो न्यूनतम क्षेत्रफल 4.5 व.मी. के बजाय 9.5 व.मी. होगा।

(iv) रसोई घर की ऊंचाई उस भाग में 2.75 मी. से कम हो सकती है जहां ऊपर के फर्श में पानी के निकास हेतु ट्रेप बनाया गया हो। रसोई का फर्श जलरोधी होगा।

(v) रसोई घर में न्यूनतम 1 व.मी. क्षेत्रफल की खिड़की होगी जो सीधे ही भीतरी या बाहरी खुले स्थान की तरफ हो, किन्तु विनियम 9.6 के (xii) शेप्ट में नहीं खुलती हो।

(vi) बहुमंजिले आवासीय भवनों में कचरा डालने के लिये शूटस् (shoots) का प्रावधान रखा जा सकेगा।

(vii) प्रत्येक स्नानघर, शौचालय, टायलेट इस प्रकार होगा कि उसकी कम से कम एक खिड़की बाहरी की तरफ अथवा ''डक्ट'' की तरफ खुले और खुलने का स्थान खिड़की या वातायन के रूप में न्यूनतम 0.4 व.मी. हो परन्तु यह सीमा 50 व.मी. से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर ही लागू रहेगी।

(viii) 12 मी. ऊंचाई तक आवासीय भवनों में जीने तथा पैसेज की न्यूनतम चौडाई क्रमशः 0.9 मी. व 1.0 मी. होगी। अन्य सभी प्रकार के भवनों में जीने तथा पैसेज की न्यनतम चौडाई क्रमशः 1.2 मी. व 1.5 मी. होगी।

(ix) अध्ययन कक्ष या शिक्षण हेतु प्रयुक्त कक्ष का न्यूनतम आकार 5.5 x 4.5 मी. होगा और ऐसे कमरे का कोई भाग अपेक्षित खुले भाग से लगने वाली बाहरी दीवार से 7.5 मी. से अधिक दूर नहीं होगा। ऐसे कमरों में न्यूनतम संवातन उसके फर्श के क्षेत्रफल का 1/5 तक होगा।

(x) होस्पिटल के जनरल वार्ड का क्षेत्रफल न्यूनतम 40 व.मी. से कम नहीं होगा और उसकी एक भुजा (साइड) 5.5 मी. से कम नहीं होगी।

(xi) बहुमंजिले भवनों के चारों ओर की चारदीवारी के साथ प्रत्येक 6 मी. के अन्तराल पर 6 मी. या इससे अधिक ऊंचाई ग्रहण कर सकते हो ऐसे वृक्ष लगाने होंगे, जैसा कि संबंधित तालिका में प्रावधान किए गए है।

(xii) फ्लश, शौचालय और स्नानघर संवातन हेतु यदि अग्र, पार्श्व, पृष्ठ और भीतरी खुले स्थानों में न खुले तो संवातन शैफ्ट में खुलेंगे, जिनका आकार निम्नलिखित से कम नहीं होगाः—

क्रमांक	भवन की ऊंचाई मीटरों में	संवातन शैफ्ट का आकार वर्ग मीटरों में	शैफ्ट की न्यूनतम भुजा मीटरों में
1.	10 मी. तक	1.2	0.9
2.	12 मी. तक	2.8	1.2
3.	18 मी. तक	4.0	1.5
4.	24 मी. तक	5.4	1.8
5.	30 मी. तक	8.0	2.4

(xiii) पूर्ण रूप से वातानुकूलित भवनों के लिए शोचालय व वास योग्य कमरों के लिए जिनमें संवातन के लिए मेकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम किया जावे वहाँ ऐसे शोचालयों एवं उक्त कमरों की खिडकी की संवातन शॉफ्ट में खुलने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

9.7 बेसमेंटः

9.7.1 भवन में बेसमेंट के निर्माण हेतु निम्नानुसार सीमाएं अनुज्ञेय होगीः–

(i) निर्धारित सैटबेक छोडने के पश्चात् शेष भाग पर बेसमेंट का निर्माण किया जा सकेगा, चाहे भवन का निर्माण तालिका निर्धारित सैटबैक से अधिक सैटबैक छोडकर किया गया हो, परन्तु 15 व.मी. से छोटे वाणिज्यिक भवनों में बेसमेंट देय नहीं होगा। यदि किसी भूखण्ड में पार्श्व (साइड) व पीछे का सैटबेक 2 मीटर से कम हो एवं प्रार्थी सैटबेक रेखा तक तहखाना बनाना चाहता है तो ऐसी दशा में नगर पालिका /नगर विकास न्यास के हित में क्षतिपूर्ति बंध पत्र देना होगा।

(ii) 1250 व. मी. या इससे से अधिक क्षेत्रफल पर दो बेसमेंट अनुज्ञेय किये जा सकेंगे जिनमें से कम से कम एक बेसमेट पार्किंग हेतु उपयोग में लिया जावेगा। 2000 व. मी. एवं उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर अधिकतम तीन बेसमेंट अनुज्ञेय किये जा सकेगे बशर्ते कम से कम दो बेसमेंट का उपयोग पार्किंग हेतु किया जावेगा। बेसमेंट में पर्याप्त वातायन एवं रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। पार्किंग के अलावा (8.10.(2)(V) में उल्लेखित उपयोगों को छोडकर) अन्य उपयोग में बेसमेंट का उपयोग किये जाने पर वह एफ.ए.आर. की गणना में शामिल किया जाएगा।

(iii) प्रत्येक बेसमेंट की ऊंचाई (फर्श से छत के नीचे की सतह या भीतरी छत तक) न्यूनतम 2.75 मी. तथा अधिकतम 4.2 मी. होगी, परन्तु बेसमेंट में मेकेनिकल पार्किंग का प्रावधान करने पर अधिकतम ऊँचाई 6.2 मीटर तक अनुज्ञेय की जा सकेगी।

(iv) भवन में बेसमेंट निर्धारित सैटबेक छोड़कर देय है तालिका में चाहे देय आच्छादन प्रतिशत से यह अधिक क्यों नहीं हो। यदि भवन की सीमाएं बेसमेंट की सीमा से भिन्न है तो भवन के बाहर स्थित बेसमेंट की छत सड़क के स्तर से 1.2 मीटर से अधिक ऊंची नहीं बनाई जावेगी।

(v) **1500 वर्गमीटर अथवा इससे बड़े आकार के भूखण्डों में केवल पार्किंग हेतु बेसमेन्ट प्रस्तावित किये जाने पर भूखण्ड़ की सीमा रेखा से सभी सडकों की ओर न्यूनतम 6 मीटर तथा अन्य दिशाओं में न्यूनतम 3.6 मीटर तक की चौड़ी भूपट्टी छोड़कर बेसमेन्ट का निर्माण किया जा सकेगा।**

9.7.2 बेसमेंट के निर्माण हेतु निम्न शर्तों की अनुपालना आवश्यक होगीः

(i) पर्याप्त वातायन की व्यवस्था की जानी होगी। वातायन का मानक वही होगा जो विनियम के अनुसार इस उपयोग हेतु अपेक्षित है।

(ii) इस प्रकार की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी कि सतह का पानी बहकर बेसमेंट में न घुसे।

(iii) दीवारें और फर्श जलरोधी बनाने होंगे और नमी रोधी उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

(iv) चार से अधिक मंजिलों वाले भवनों में उच्चतर मंजिलों से पहुंच और निकास के लिये की गई मुख्य एवं वैकल्पिक सीढ़ियों से भिन्न व्यवस्था द्वारा बेसमेंट में पहुंचने का रास्ता दिया जायेगा।

(v) कार्यालय और वाणिज्यिक उपयोग हेतु तहखाने में पर्याप्त संख्या में ऐसे निकास के रास्ते बनाये जायेंगे कि उनमें 15 मीटर से अधिक न चलना पडे।

9.7.3 बेसमेंट को निम्न उपयोग में नहीं लिया जा सकता हैः

(i) ज्वलनशील पदार्थ या हानिकारक माल के भण्डार हेतु।

(ii) अन्य कोई गतिविधि जो कि भवन में रहने वालों के लिये परिसंकटमय या हानिकारक हो।

9.7.4 इन विनियमों में बेसमेंट में अनुज्ञेय अन्य उपयोगों के अतिरिक्त निम्न उपयोग भी अनुज्ञेय होंगेः–

(i) यदि राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार पर्याप्त वातायन प्रदत्त किया जाता है तो तहखाना रिहायशी उपयोग हेतु भी काम में लिया जा सकता है। साथ ही रसोई व टायलेट भी अनुज्ञेय होंगे यदि गन्दे पानी की समुचित निस्तारण व्यवस्था हो।

(ii) पुस्तकालय, समिति कक्ष एवं व्यावसायिक प्रयोजन हेतु बशर्ते वातानुकूलन व्यवस्था हो।

9.8 स्टिल्ट फ्लोर :

9.8.1 किसी भूखण्ड में सैटबेक छोड़कर शेष बचे भाग पर एक अथवा अधिक स्टिल्ट निर्मित किया जा सकेगा, परन्तु स्टिल्ट के ऊपर निर्माण करते समय अधिकतम आच्छादित क्षेत्र की सीमा से अधिक के भाग पर लेण्ड स्केप के रूप में विकसित किया जाना होगा। स्टिल्ट फ्लोर के कुर्सी की ऊंचाई सड़क से न्यूनतम 0.5 मीटर होगी।

9.8.2 यदि प्रार्थी चाहे तो स्टिल्ट फ्लोर भू मंजिल के ऊपर भी पार्किंग हेतु ले सकता है। ऊपर की स्टिल्ट फ्लोर में जाने हेतु रैम्प का निर्माण साइड सेटबेक में किया जा सकता है। बशर्ते कि भूतल पर अग्निशमन वाहन के आवागमन के लिए 3.6 मीटर का गलियारा बना रहें।

9.8.3 केवल ग्रुप हाउसिंग/फ्लेटस के प्रकरणों में स्टिल्ट पर बने क्षेत्रफल में लिफ्ट तथा सीढी के उपयोग में आने वाले क्षेत्र को तथा यदि दुकानें प्रस्तावित है तो वह क्षेत्र को छोडकर शेष का उपयोग केवल पार्किंग के लिए होगा। परन्तु लिफ्ट दुकानें एवं सीढी के बाद स्टिल्ट तल के बचे हुए क्षेत्रफल का अधिकतम 20 प्रतिशत क्षेत्र निम्न उपयोग में किया जा सकेगा, जो कि एफ.ए.आर. में शामिल नहीं होगाः

(i) स्वागत कक्ष

(ii) सामुदायिक शौचालय

(iii) स्विच एवं गार्डरूम

(iv) भवन निवासकर्ताओं की समिति का कार्यालय 30 व.मी. अधिकतम

(v) भवन निवासकर्ताओं के लिये सामुदायिक हॉल/क्लब (ये सुविधाएं बेसमेंट, स्टिल्ट फ्लोर अथवा ऊपर की मंजिल पर भी अनुज्ञेय की जा सकेगी तथा उन्हें एफ.ए.आर. में शामिल नहीं किया जाएगा, जिससे स्टिल्ट फ्लोर पर पार्किंग हेतु अधिकतम क्षेत्र उपलब्ध हो सके)

9.8.4 कुर्सी तल से स्टिल्ट की छत की बीम तल तक अधिकतम ऊंचाई 2.8 मीटर होगी तथा बेसमेंट सहित स्टिल्ट की ऊंचाई भूमि तल से स्टिल्ट की छत तक अधिकतम 3.7 मीटर होगी ताकि स्टिल्ट के ऊपर फ्लोर में बालकनी का प्रावधान किया जा सके। स्टिल्ट पर भी मैकेनिकल पार्किंग अनुज्ञेय होगी। इस दशा में स्टिल्ट की अधिकतम ऊॅचाई 6.2 मी. होगी।

9.8.5 स्टिल्ट का उपयोग अनुज्ञेय उपयोगों के अलावा आशिंक रूप से पार्किंग व आशिंक रूप से आवासीय/व्यावसायिक करने पर ऊॅचाई की छूट देय नहीं होगी।

9.9 सर्विस फ्लोर

किन्हीं दो मंजिलों के बीच में विभिन्न प्लम्बिंग, सेनेटरी एवं अन्य मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल सुविधाओं के पाइप, डक्ट आदि के लिये उपयोग के सर्विस फ्लोर बनाया जा सकेगा, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 2.2 मीटर होगी।

9.10 गैराजः

(क) पार्श्व सैटबेक में केवल एक निजी गैराज उन रिहायशी भूखण्डों में अनुज्ञेय होगा, जहां यह सैटबेक न्यूनतम 3 मीटर होगा। गैराज का अधिकतम क्षेत्रफल 20 व.मी. होगा। गैराज आच्छादित क्षेत्रफल व एफ.ए.आर. की गणना में शामिल होगा। गैराज का निर्माण भूखण्ड की पिछली सीमा से 9 मीटर के भीतर किया जा सकता है। गैराज के ऊपर केवल प्रथम तल पर उतने ही क्षेत्र का निर्माण किया जा सकता है। जो कि एफ.ए.आर. में शामिल किया जायेगा। 750 व.मी. से बड़े आवासीय भूखण्डों में यदि एफ.ए.आर. 1.2 से अधिक प्रस्तावित है तो सेटबेक में गैराज देय नहीं होगा।

(ख) उपविभाजित आवासीय भूखण्डों में यदि पार्श्व सैटबेक 3.0 मी. या उससे अधिक है तो ऐसे प्रत्येक भूखण्ड में एक गैराज उपरोक्त वर्णित शर्तों के पूर्ण होने पर दिया जा सकता ळें

9.11 पोर्च :

9.11.1 पोर्च साइड सैटबेक या अग्र सैटबेक में खम्बों के सहारे टिका हुआ या अन्यथा देय होगा लेकिन आवासीय उपयोग के भवनों में अग्र सैटबेक में पोर्च तभी देय हो सकता है जब अग्र सैटबेक 6.0 मी. या उससे अधिक हो तथा साइड सैटबेक में पोर्च तभी देय होगा जब साइड सैटबेक न्यूनतम 3 मी. हो। पोर्च के ऊपर किसी भी प्रकार का निर्माण देय नहीं होगा। सामान्यतया एक भूखण्ड में एक पोर्च ही देय होगा। किन्तु विशेष परिस्थितियों में बडे भवनों में दो पोर्च भवन मानचित्र समिति द्वारा स्वीकृत किये जा सकते है। सभी प्रकार के भवनों में जहाँ एक से अधिक बिल्डिंग टॉवर प्रस्तावित हों, वहाँ प्रत्येक टॉवर में एक पोर्च देय होगा।

9.11.2 पोर्च का आकार आवासीय भवनों में अधिकतम 18 व.मी. तथा चौडाई 3.0 मी. से अधिक नहीं होगी।

9.11.3 आवासीय उपयोग को छोड़कर अन्य उपयोग के भवनों में जिनमें अग्र सैटबेक 12 मी. या अधिक हो तो उनमें अग्र सैटबेक में पोर्च अनुज्ञेय होगा, जिसका क्षेत्रफल 40 व.मी. व चौडाई 6.0 मीटर से अधिक नहीं होगी।

9.11.4 विशेष भवनों में पोर्च का क्षेत्रफल यदि आवश्यक हो तो 40 व.मी. से अधिक व ऊँचाई 7 मीटर तक अनुज्ञेय हो सकती है जिसकी स्वीकृति भवन मानचित्र समिति से लेना आवश्यक होगा।

9.12 बालकनीः

(क) **बालकनी खुले सेटबेक क्षेत्र में अथवा अन्य खुले क्षेत्रों में खुली होगी।**

(ख) **बालकनी 6 मीटर तक के सैटबेक में सेटबेक दूरी का एक तिहाई या 1.2 मीटर जो भी कम हो देय होगी। 6 मीटर से अधिक 12 मीटर तक के सेटबेक में बालकनी 1.5 मीटर तक तथा 12 मीटर से अधिक सेटबेक में 1.8 मीटर दी जा सकेगी। ग्रुप हाउसिंग की परियोजनाओं में सेटबेक के अतिरिक्त अन्य खुले क्षेत्रों में भी उपरोक्तानुसार बालकनी अनुज्ञेय की जा सकेगी। किसी भी भवन में प्रस्तावित आंतरिक खुले स्थल/चोक में अधिकतम 1.2 मी. चौड़ाई की ही बालकनी अनुज्ञेय होगी। उपरोक्त बालकनियाँ एफएआर की गणना से मुक्त रहेगी। बालकनी की चौड़ाई (उपरोक्त से ज्यादा) भवन रेखा से अन्दर की तरफ (अर्थात् भवन की तरफ) बढाई जा सकती है लेकिन इस अतिरिक्त चौडाई से संबंधित क्षेत्रफल की गणना एफ.ए.आर. व आच्छादित क्षेत्र में की जायेगी।**

(ग) यदि भवन में किसी तरफ का सैटबेक 6.0 मी. से अधिक हो तो उस तरफ बालकनी क्षेत्र को भवन के अन्दर/कमरों के अन्दर शामिल किया जा सकता है। परन्तु इस प्रकार का आच्छादन भूमि तल से 3.5 मी. से ऊपर देय होगा, लेकिन यदि बहुमंजिलें भवन में अग्निशमन वाहन के संचालन हेतु 3.6 मीटर चौडा गलियारा कवर प्रोजेक्शन के उपरान्त प्रस्तावित किया जाता है तो 3.5 मीटर की ऊॅचाई की बाध्यता नहीं होगी।

9.13 अनुज्ञेय प्रक्षेप (प्रोजेक्शन):

(क) छज्जा, जिसकी चौड़ाई 0.6 मी. या सैटबेक दूरी का एक–तिहाई जो भी कम हो तथा भूमि तल से 2.1 मी. से कम की ऊंचाई पर न हो।

(ख) सीढी का मध्यवर्ती ठहराव (लेडिंग) जो कि चौडाई में 1.0 मी. या सैटबेक दूरी का एक–तिहाई, जो भी कम हो एवं भूमि तल से 2.4 मी. से कम की ऊंचाई पर न हो। इसे जाली या ग्रिल से ढका जा सकता है। यह एफ.ए. आर. तथा आच्छादित क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होगा।

(ग) अलमारी, जो कि प्रत्येक रिहायशी कमरे पर 2.0 मी. लम्बाई एवं 0.6 मी. चौडाई की हो तथा भूमि तल से 3.5 मी. से कम की ऊंचाई पर न हो।

(घ) बालकनी, 9.12 (ख) के प्रावधान अनुसार होगी तथा भूमि तल से कम से कम 3.5 मी. की ऊंचाई पर हो। यदि बहुमंजिले भवनों में अग्निशमन वाहन के संचालन हेतु 3.6 मीटर चौडा गलियारा बालकनी प्रोजेक्शन के उपरान्त प्रस्तावित किया जाता है, तो 3.5 मीटर की ऊँचाई की बाध्यता नहीं होगी।

9.14 भू उपयोग उपान्तरण :

01. भू उपयोग उपान्तरण के पश्चात् भूखण्ड पर अग्र सैटबेक योजना का हिस्सा होने की स्थिति में योजनानुसार तथा गैर योजना क्षेत्रों में आसपास की भवन रेखा के अनुसार देय होगा। अन्य सेटबेक्स, आच्छादन व ऊँचाई मूल भूखण्ड अथवा तालिका अनुसार जो भी अधिक हो, अनुज्ञेय होगा। एफ.ए.आर तालिका अनुसार परिवर्तित उपयोग हेतु अनुज्ञेय किया जा सकेगा। भू उपयोग उपान्तरण के प्रकरण में आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक को लागू आवासीय आरक्षित दर के आधार पर भू उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना कर राशि वसूल की जाएगी।

02. यदि किसी भूखण्ड की लीजडीड व्यावसायिक उपयोग हेतु जारी की गई तो ऐसे भूखण्ड पर आवासीय निर्माण बिना भू–उपयोग परिवर्तन कराये अनुज्ञेय किया जा सकेगा अनुमोदन शुल्क भवन के प्रस्तावित उपयोग के आधार पर लिया जावेगा परन्तु अधिकतम एफएआर आवासीय उपयोग हेतु निर्धारित एफएआर की सीमा में ही अनुज्ञेय किया जायेगा तथा बैटरमेन्ट लेवी की गणना प्रस्तावित उपयोग के मानक एफएआर के आधार पर की जायेगी।

03. यदि मास्टर प्लान में किसी भूमि का भू–उपयोग व्यावसायिक दर्शाया गया है तो आवेदक उस पर आशिक व्यवसायिक तथा आशिक आवासीय उपयोग प्रस्तावित कर सकेगा। ऐसे भूखण्डो पर मिश्रित भू–उपयोग हेतु लीजडीड जारी की जा सकेगी तथा भवन मानचित्र अनुमोदन/अन्य शुल्क अनुमोदित मानचित्र के उपयोग के अनुपात में लिए जावेगे।

10. भवनों के लिए अपेक्षित सुविधाएं :

10.1 पार्किंग सुविधा :

10.1.1 भवन निर्माण हेतु निम्नानुसार पार्किंग सुविधा आवश्यक होगीः

(क) आवासीय एवं अन्य उपयोग (वाणिज्यिक भवनों, सिनेमा एवं थियेटरों के अलावा) : एक समतुल्य कार इकाई (ई.सी.यू.) प्रति 75 वर्गमीटर एफ.ए.आर. क्षेत्र देय होगी लेकिन 500 वर्गमीटर एवं उससे छोटे आवासीय एवं संस्थागत भूखण्डों पर पार्किंग की अनिवार्यता नहीं होगी, किन्तु उक्त क्षेत्रफल के भूखण्डों में तीन से अधिक आवासीय ईकाई प्रस्तावित करने पर नियमानुसार पार्किंग प्रावधान कराना आवश्यक होगा। 500 वर्ग मीटर से अधिक के स्वतंत्र आवासीय भवन का प्रस्ताव होने की दशा में एक समतुल्य कार ईकाई (ईसीयू) प्रति 150 वर्ग मीटर एफएआर क्षेत्र पर देय होगी।

(ख) सिनेमा, थियेटर आदि : प्रति दस सीट पर एक समतुल्य कार इकाई।

(ग) वाणिज्यिक भवनों के लिए एक समतुल्य कार इकाई (ई.सी.यू.) प्रति 50 वर्ग मीटर एफ.ए.आर. क्षेत्र पर देना आवश्यक होगा साथ ही तालिका ''4'' के नीचे दी गई टिप्पणी में से पार्किंग से संबंधित प्रावधान भी लागू होंगे।

(घ) फ्लेटस् / ग्रुप हाउंसिंग/संस्थागत तथा व्यावसायिक उपयोग के भवनों में कुल पार्किंग की गणना का 25 प्रतिशत अतिरिक्त पार्किंग आगन्तुको के लिए उपलब्ध करानी होगी।

10.1.2 **एक इकाई ई.सी.यू. के लिए खुले में 23 वर्गमीटर, भूतल पर आच्छादित में 28 व.मी. तथा बेसमेंट में 32 व.मी. क्षेत्र आवश्यक होगा।**

10.1.3 पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराते हुए कुल ई.सी.यू. का न्यूनतम 75 प्रतिशत कार पार्किंग के लिए ही निर्धारित होगा तथा 20 प्रतिशत स्कूटर पार्किंग एवं 5 प्रतिशत साईकिल पार्किंग के लिए होगा।

10.1.4 10.1.1 (क), (ख) एवं (ग) में वर्णित आवश्यक पार्किंग की गणना के लिए वह क्षेत्रफल आधार माना जायेगा जो एफ.ए.आर. में सम्मिलित किया जाता है।

10.1.5 **विभिन्न वाहनों के लिये पार्किंग का स्थान निम्न प्रकार होगा**

कार	**2.5 मीटर x 5.00 मीटर**
दुपहिया वाहन/स्कूटर	**1 मीटर x 2 मीटर**
साईकिल	**0.5 मीटर x 2 मीटर**

बिन्दु संख्या 10.1.2 अथवा बिन्दु संख्या 10.1.5 दोनों में से किसी भी एक पद्वति से पार्किंग का प्रावधान मानचित्र में प्रस्तावित करना होगा। लेकिन 10. 1.5 के अनुसार पार्किंग प्रस्तावित करने पर वाहनों के आवागमन हेतु एकतरफा पार्किंग का प्रावधान होने अथवा प्रवेश व निकास पृथक–पृथक होने पर न्यूनतम 3.60 मीटर सड़क/रास्ता/गलियारा एवं दोनों ओर पार्किंग का प्रावधान होने पर अथवा प्रवेश व निकास एक ही होने पर न्यूनतम 5.5 मीटर चौडी सड़क/रास्ता/गलियारा का प्रावधान अनिवार्य होगा।

10.1.6 प्रस्तावित भवन की कुल ई. सी. यू. का 25 प्रतिशत अतिरिक्त आगन्तुक पार्किंग के लिए प्रावधान किया जाना आवश्यक होगा।

10.1.7 तालिका ''6'' में वर्णित सड़कों पर एवं 150 व.मी. क्षेत्रफल तक के वाणिज्यिक भूखण्डों जो न्यूनतम 30 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित हो, में यदि पार्किंग सुविधा प्रदान करना संभव नहीं हो तो पार्किंग की कमी की पूर्ति हेतु निर्धारित शुल्क लिया जायेगा तथा अन्य क्षेत्रों में वांछित पार्किंग उपलब्ध न कराने पर अनुज्ञेय एफ.ए.आर. उसी अनुपात में कम देय होगा।

10.1.8 विकासकर्ता द्वारा अनुमोदित भवन मानचित्रों में बेसमेंट, स्टिल्ट एवं खुले क्षेत्र के जिस भाग को पार्किंग के उपयोग में दर्शाया गया है जिसके लिए भवन निर्माता नगर पालिका/नगर विकास न्यास के हक में एक अण्डरटेकिंग तथा शपथ पत्र देगा कि इसे केवल पार्किंग हेतु उपयोग में लिया जावेगा। विकासकर्ता द्वारा आवासीय भवनों में पार्किंग क्षेत्र को अधिकार पत्र के माध्यम से निवासकर्ता के पार्किंग उपयोग हेतु आवंटन शुल्क लेकर आवंटित कर सकेगा। इसका पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग पाये जाने पर नगर पालिका/नगर विकास न्यास बिना किसी सूचना के तोड़ने का हकदार होगा एवं तोड़ने का हर्जा–खर्चा संबंधित क्रेता जिसने पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग किया है से वसूला जा सकता है। शपथ पत्र में उपरोक्त के अलावा यह भी लिखा होगा कि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर नगर पालिका/नगर विकास न्यास तोडफोड के लिए हर्जा–खर्चा वसूलने तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही जैसे आर्थिक दण्ड (नगर पालिका/नगर विकास न्यास राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर उस दर से) वसूला जा सकेगा एवं भवन क्रेता इसे देने के लिये बाध्य होगा।

10.1.9 वाहनों की अधिक से अधिक पार्किंग भूखण्डों के अंदर उपलब्ध कराने की दृष्टि से बेसमेंट में तथा स्टील्ट पर मैकेनिकल पार्किंग अनुज्ञेय होगी। कुल पार्किंग का अधिकतम 25 प्रतिशत पार्किंग मैकेनिकल पार्किंग के रूप में अनुज्ञेय होगा। सेटबेक्स में मैकेनिकल पार्किंग अनुज्ञेय नहीं होगी।

10.1.10 पुनर्गठित भूखण्डों में नियमों के अन्तर्गत निर्धारित पार्किंग खुले क्षेत्र में अथवा बेसमेंट में पूर्ण हो जाती हो तो स्टिल्ट फ्लोर पर पार्किंग की अनिवार्यता नहीं होगी।

10.1.11 पार्किंग हेतु अलग से टावर का निर्माण भवन की ऊॅचाई के अनुरूप प्रस्तावित होने पर ही 10 प्रतिशत अतिरिक्त आच्छादन तालिका में अनुज्ञेय आच्छादन से अतिरिक्त देय होगा।

10.1.12 2500 वर्गमीटर व इससे बड़े क्षेत्रफल के भूखण्ड पर बहुमंजिला पार्किंग फ्लोर अनुज्ञेय होगा। ऐसे बहुमंजिला पार्किंग फ्लोर में पार्किंग हेतु आरक्षित मंजिलों के उपर बहुमंजिला फ्लेट्स/वाणिज्यिक/संस्थानिक भू–उपयोग (जैसा कि अनुज्ञेय उपयोग हो) अनुज्ञेय किया जा सकेगा। भवन की प्रस्तावित ऊंचाई (मय पार्किंग मंजिला) के अनुसार, तालिका–7 के अनुरूप सैटबेक रखे जाने होंगे। उदाहरणार्थ भवन की ऊंचाई मय पार्किंग मंजिला 48 मीटर है तो तालिका–7 के अनुसार पार्श्व एवं पीछे का सैटबेक 14 मीटर प्रस्तावित भवन में रखा जाना होगा।

10.1.13 **फ्लेट्स/ग्रुप हाउसिंग के भवनों में न्यूनतम निम्नानुसार पार्किंग का प्रावधान किया जाना अनिवार्य होगा।**

100 वर्गमीटर से कम एफएआर क्षेत्र के फलेट्स इकाई पर दो स्कूटर की पार्किंग, 100 से 200 वर्गमीटर तक एफएआर क्षेत्र के फलेट्स पर एक कार व एक स्कूटर की पार्किंग तथा 200 वर्ग मी. से अधिक एफ.ए.आर. क्षेत्र के फलेट्स पर दो कार व एक स्कूटर पार्किंग का प्रावधान रखा जाना अनिवार्य होगा। पार्किंग हेतु गणना विनियम 10.1.1 (क) व (घ) के अनुसार तथा उपरोक्तानुसार फलेट्स इकाईयों के आधार पर की जाकर जो भी अधिक हो, रखी जानी आवश्यक होगी।

10.2 निकास की व्यवस्था :

निकास की व्यवस्था हेतु निम्न व्यवस्थाएं आवश्यक होंगी :

(i) भवन में निकास की पर्याप्त व्यवस्था की जावेगी जिससे आग लगने या अन्य आपातस्थिति आने पर लोग इनमें से सुरक्षित रूप से बचकर निकल सकें।

(ii) सभी बाहर निकलने के रास्ते बाधाओं से मुक्त होंगे।

(iii) प्रत्येक मंजिल पर पहुंचने एवं वहां से निकास करने के मार्ग स्पष्ट रूप से अंकित और चिन्हित किये जाने होंगे।

(iv) सभी बाहर निकलने के रास्ते में उचित रूप से रोशनी की व्यवस्था होगी।

(v) सभी निकास मार्ग भवन के बाहर खुले स्थान तक, जहां से सड़क पर पहुंचा जा सके, स्पष्ट रूप से निर्धारित किये जावेंगे।

(vi) सभी भवनों में निकास की इस प्रकार की व्यवस्था की जानी होगी कि भवन के प्रत्येक भाग से बिना गुजरे आसानी से बाहर निकला जा सके।

(vii) 15 मी. से अधिक ऊंचे भवनों में आग से बचाव हेतु अलग प्रावधान किये जायेंगे।

10.3 विद्युत सेवाएं :

10.3.1 विद्युत सेवा हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के आबंधों में वर्णित प्रावधान का पालन आवश्यक होगा।

10.3.2 मीटर या स्विच रूम इत्यादि के लिये राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की आवश्यकताओं के अनुरूप भवन में स्थान चिन्हित किया जाना होगा।

10.3.3 भवन में विद्युत आवश्यकता हेतु राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा निर्धारित नियमानुसार केनेक्टेड लोढ की गणना करते हुए यदि 50 केवीए से अधिक लोढ की पात्रता बनती है तो भूखण्ड की सीमा में पार्श्व या पीछे के सैटबेक में मुख्य भवन से 3 मी. की स्पष्ट दूरी पर कम से कम 20 वर्गमीटर

क्षेत्रफल का स्थान ट्रांसफार्मर/सब स्टेशन हेतु चिन्हित किया जाना आवश्यक होगा। कनेक्टेड लोढ की गणना निम्न आधार पर की जायेगी

आवासीय प्रयोजन : 100 व.मी. निर्मित क्षेत्र पर 8 के.डब्लू.

अन्य प्रयोजन प्रत्येक : 100 व.मी. निर्मित क्षेत्र पर 10 के.डब्लू.

10.3.4 भवन में विद्युत आवश्यकता हेतु राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा निर्धारित नियमानुसार केनेक्टेड लोढ 500 किलोवॉट अथवा कॉन्ट्रेक्ट डिमाण्ड 500 के. वी.ए. या उससे अधिक होने पर एनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड के प्रावधान लागू होंगे। इस बाबत आवेदक से शपथ पत्र लिया जायेगा।

10.4 नलकारी एवं जल, मल निकास सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुरूप होंगी।

10.5 भवन निर्माण में आंतरिक मानदण्ड बाबत में जिन विषयों पर ब्यौरा यहां नहीं दिया गया है उन बाबत् मानदण्ड नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होंगे।

नोटः यदि प्राधिकृत अधिकारी/भ.मा.स. द्वारा आवश्यक समझा जाये तो पंजीकृत तकनीकीविद् को यह प्रमाणित करना होगा कि भवन मानचित्रों में उपरोक्तानुसार सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया है।

11. भवन संरचनात्मक संबंधी अन्य आवश्यकतायें:

11.1 भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सुरक्षा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगा।

11.2 इलेक्ट्रिक लाइन से दूरीः आच्छादित क्षेत्र की परिसीमाओं एवं ओवर हैड इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन के बीच निम्नानुसार न्यूनतम दूरी आवश्यक रहेगी।

लाइन का प्रकार	**खड़ी दूरी मी.**	**क्षेतिज दूरी मी.**
(क) कम और मध्यम वोल्टेज लाइन तथा सर्विस लाइन	2.5	1.2
(ख) उच्च वोल्टेज लाइन 11000 वोल्ट तक	3.7	12
(ग) उच्च वोल्टेज लाइन 11000 वोल्ट से अधिक 33000 वोल्ट तक	3.7	2.0
(घ) अति उच्च वोल्टेज लाइन 33000 वोल्ट से अधिक	3.7 (प्रत्येक 33000 वोल्ट व उसके अंश पर 0.30 मीटर अतिरिक्त)	2.0 (प्रत्येक 33000 वोल्ट व उसके अंश पर 0.30 मीटर अतिरिक्त)

परन्तु यह दूरी समय–समय पर इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी कोड के अन्तर्गत निर्धारित किये गये मानदण्डों से कम होने की दशा में इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी कोड के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम दूरी प्रभावशील होगी।

11.3 डैम्प साइट्स का उपचारः जहां पर भूखण्ड स्थल पर आर्द्रता है वहां भवन निर्माण से पूर्व निर्माण स्थल पर डैम्प प्रुफिंग या अन्य सुरक्षात्मक उपाय किया जाना आवश्यक होगा।

11.4 अनुज्ञाधारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि भवन के निर्माण में संरचनात्मक एवं अन्य सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं पूरी की जाती है।

12. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये विशेष सुविधाः

सार्वजनिक कार्यालय एवं जन उपयोग के वाणिज्यिक भवनों जैसे सिनेमा, ड्रामा थियेटर (रंगशाला), होस्पिटल, प्रसूति गृह तथा जन उपयोगी भवन, सार्वजनिक सुविधा स्थल आदि में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु निम्न सुविधा प्रदान करना होगा :–

12.1 प्रवेश पथ / उप पथ : भवन परिसर द्वार तथा भूतल पार्किंग से भवन के प्रवेश द्वार तक पथ समतल, सीढियां–रहित और न्यूनतम 1800 मि.मी. चौडा होगा। यदि कोई ढलान बनायी जाती है तो उसकी ढाल 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। फर्श निर्माण में ऐसी सामग्री का इस्तेमाल किया जायेगा, जो कमजोर नजर वाले व्यक्तियों को भली भांति प्रेरित या निर्देशित करने वाली हो (ये फर्श सामग्री रंगीन होगी, जिसका रंग एव चमक आसपास के क्षेत्र की सामग्री से भिन्न हो और जिसमें कमजोर नजर वाले व्यक्तियों के पथदर्शन के लिये भिन्न प्रकार के ध्वनि संकेतों का प्रावधान हो)। धरातल फिसलन रहित होगा तथा उसकी बनावट ऐसी होगी जिस पर पहियेदार कुर्सी आसानी से चल सके, जो भी मोड़ बनाये जायेंगे सामान्य धरातल के अनुरूप होंगे।

12.2 वाहन ठहराव (पार्किंग) स्थल : विकलांग व्यक्तियों के वाहनों की पार्किंग हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की जाएगीः

(क) अशक्त व्यक्तियों के वाहनों के लिये परिसर प्रवेश के निकट, दो कारों के लायक भूतल पार्किंग बनाया जाएगा, जो भवन के प्रवेश द्वार से अधिकतम 30.0 मीटर की पैदल दूरी पर होगा।

(ख) पार्किंग जगह की न्यूनतम चौडाई 3.6 मीटर होगी।

(ग) उस स्थान पर ''पहियेदार कुर्सी प्रयोक्ताओं हेतु आरक्षित'' होने की सूचना बडे साफ अक्षरों में लिखी जाएगी।

(घ) पार्किंग स्थल पर ऐसा कोई संकेत या यंत्र लगाया जाएगा, जो कमजोर नजर वाले व्यक्तियों के मार्गदर्शन हेतु ध्वनि सूचना देने वाली हो अथवा इसी प्रयोजन वाली कोई अन्य व्यवस्था की जाएगी।

12.3 भवन संबंधी अपेक्षाएं :

शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिये भवन संबंधी संगत सुविधायें इस प्रकार होगी :

(i) कुर्सी तल तक पहुंच मार्ग

(ii) विकलांगों के लिये प्रवेश/निकास द्वारों को जोड़ने का गलियारा

(iii) सीढी मार्ग

(iv) लिफ्ट

(v) शौचालय

(vi) पेयजल

12.3.1 कुर्सी तल तक पहुंच मार्ग :

सार्वजनिक कार्यालय एवं जन उपयोग के वाणिज्यिक भवनों, जैसा ऊपर उल्लेखित है में विकलांग के आने जाने के लिये एक प्रवेश द्वार अवश्य होना चाहिए और उसे स्पष्ट रूप से संकेतों के साथ दर्शाया जाना चाहिए। इस प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिये ढलान–सह सीढीदार रास्ता बनाया जाएगा।

(क) ढलानदार पहुंच मार्ग : भवन में प्रवेश हेतु ढलान तल खुरदरी सामग्री से बनाया जाएगा। ढलान की चौडाई अधिकतम 1:12 ढाल देते हुए, न्यूनतम 1800 मि.मी. की होगी, ढलान की लम्बाई 9.0 मीटर से अधिक नहीं होगी, तथा इसके दोनों किनारों पर 800 मि.मी. ऊंची रेलिंग होगी, जो ढाल के ऊपरी व निचले सिरे से 300 मि.मी. बाहर निकली हुई होगी। निकट की दीवार से रेलिंग के बीच 50 मि.मी. तक का फासला होगा।

(ख) सीढीदार पहुंच मार्ग : सीढीदार पहुंच मार्ग हेतु पैडी (सीढी पर पैर रखने की जगह) 300 मि.मी. से कम नहीं होगी और पैड़ी की ऊंचाई 150 मि.मी. तक की होगी। ढलानदार पहुंच मार्ग की ही तरह सीढीदार प्रवेश मार्ग के दोनों तरफ 800 मि.मी. ऊंची रेलिंग लगायी जायेगी।

(ग) प्रवेश/निकास द्वारः प्रवेश द्वारा कर न्यूनतम फाट (खुलाव) 900 मि.मी. होगा तथा व्हील चेयर के आसान आवागमन की दृष्टि से उसमें कोई पैडी–पायदान नहीं होगा। दहलीज 12 मि.मी. से अधिक उठी हुई नहीं होगी।

(घ) वाहन से उतरना–चढ़ना : वाहन से उतरने–चढ़ने का स्थल ढलान के निकट रखा जाएगा, जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल 1800 x 2000 मि.मी. होगा। ढलान संलग्न उतरने–चढने का स्थल ऐसी फर्श सामग्री का होगा, जो कमजोर नजर वाले व्यक्तियों को प्रेरित/निर्देशित कर सके (ये फर्श सामग्री रंगीन होगी, जिसकी रंग एव ंचमक आस पास के क्षेत्र की फर्श सामग्री से भिन्न हो और जिसमें कमजोर नजर वाले व्यक्तियों के पथदर्शन के लिये भिन्न प्रकार के ध्वनि संकेतों का प्रावधान हो)।

12.3.2 विकलांगों हेतु प्रवेश/निकास द्वारों को जोड़ने वाला गलियारा : विकलांगों हेतु प्रवेश/निकास द्वारों को जोड़ने तथा सीधे बाहर की ओर उस स्थान तक ले जाने वाला गलियारा, जहां पर कमजोर नजर वाले व्यक्तियों को संबंधित भवन के उपयोग की जानकारी या तो किसी व्यक्ति द्वारा या संकेतों द्वारा मुहैया कराई जा सकती हो, इस प्रकार का होगाः

(क) उसमें कमजोर नजर वाले व्यक्तियों के दिशा निर्देशन हेतु तल पर ही ''पथ दर्शी'' ध्वन्यात्मक व्यवस्था की जाए या कोई यंत्र लगाया जाए, जिससे ध्वनि संकेत दिये जा सके।

(ख) गलियारे की न्यूनतम चौडाई 1500 मि.मी. होगी।

(ग) ऊंचा नीचा तल बनाये जाने की स्थिति में 1:12 ढाल वाले ढलान बनाये जायेंगे।

(घ) ढलानों/ढलान मार्गों पर रेलिंग लगायी जायेगी।

12.3.3 सीढीदार मार्ग : सीढी वाले मार्गों में से विकलांगों हेतु प्रवेश/निकास द्वार के निकट के मार्ग में निम्नलिखित प्रावधान होंगे।

(क) न्यूनतम चौडाई 1350 मि.मी. होगी।

(ख) सीढी की ऊंचाई और चौडाई क्रमशः 150 मि.मी. व 300 मि.मी. से अधिक नहीं होगी और पैडी के सिरे चिकने–नुकीले नहीं होंगे।

(ग) एक उठान–सीढी (नसेनी) में 1:12 से अधिक सीढियां नहीं होगी।

(घ) सीढियों के दोनों तरफ रेलिंग लगायी जायेगी तथा ये पूरी सीढी पर ऊपर से नीचे तक 300 मि.मी. बाहर निकली हुई होगी।

12.3.4 लिफ्टें : जहां कहीं इन विनियमों के अनुसार लिफ्टें आवश्यक हैं, वहां कम से कम एक लिफ्ट पहियेदार कुर्सी प्रयोक्ता हेतु होगी। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 13 व्यक्तियों की क्षमता वाली इस लिफ्ट के लिए संस्तुत ढांचा विस्तार इस प्रकार होगा।

अन्दर की गहराई – 1100 मि.मी.

अन्दर की चौड़ाई – 2000 मि.मी.

प्रवेश द्वार की चौडाई – 900 मि.मी.

(क) फर्श तल से 1000 मि.मी. ऊपर नियंत्रण–फलक के निकट 600 मि.मी. लम्बी रेलिंग लगायी जाए।

(ख) लिफ्ट के कूप की अन्दरूनी माप 1800X1800 मि.मी. या अधिक होगी।

(ग) लिफ्ट द्वार के स्वचालित रूप से बन्द होने का न्यूनतम समय 5 सैकंड होगा तथा बन्द होने की गति 0.25 मीटर प्रति सैकेंड से अधिक नहीं होगी।

(घ) लिफ्ट के अन्दर ध्वनि संकेत होंगे, जो लिफ्ट पहुंचने वाले तल तथा लिफ्ट से बाहर–भीतर जाने–आने हेतु लिफ्ट द्वार के खुलने या बन्द होने का संकेत देंगे।

12.3.5 शौचालयः शौचालय–सेट में एक कमोडदार शौचालय विकलांगों के लिये होगा, जिसमें विकलांगों की सुविधा के अनुसार, शौचालय द्वार के निकट वाश बेसिन होगा।

(क) इस शौचालय का न्यूनतम आकार 1500X1750 मि.मी. होगा।

(ख) दरवाजे का न्यूनतम फाट 900 मि.मी. होगा तथा यह बाहर की ओर खुलेगा।

(ग) शौचालय में दीवार से 50 मि.मी. की दूरी पर अच्छी तरह खडी/समानान्तर रेलिंग लगी होगी।

(घ) कमोड की सीट धरातल से 500 मि.मी. ऊंची होगी।

12.3.6 पेयजलः विकलांगों के लिये पेयजल की व्यवस्था उनके इस्तेमाल वाले शौचालयों के निकट ही की जाएगी।

12.3.7 बच्चों के लिये भवन डिजाइने : पूर्णतः बच्चों के उपयोग के भवनों (बाल भवनों) में बच्चों के कद आदि को ध्यान में रखकर रेलिंग व सजावटी सुविधा साधनों में घट–बढ़ करना जरूरी होगा।

13. भवन निर्माण अनुज्ञा :

13.1 विनियम 4 के अनुसार जहां सक्षम अधिकारी से पूर्व लिखित स्वीकृति अपेक्षित है वहां अनुज्ञा हेतु सक्षम अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जाना होगा। जहां पूर्व लिखित अनुमति में छूट दी गई है वहां प्रस्तावित निर्माण की सूचना सक्षम अधिकारी को विनियम 4 (i) में दिये गये अनुसार उपलब्ध करवानी होगी।

13.2 इन विनियमों के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु भवन मानचित्र पंजीकृत तकनीकीविद द्वारा तैयार किये एवं प्रमाणित किये जाने आवश्यक होंगे।

13.3 प्रथम मंजिल तक के आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु नगर पालिका/नगर विकास न्यास में पंजीकृत तकनीकीविद अधिकृत है। वास्तुविद जो कि विनियम 18 (i) से 18 (iv) तक में वर्णित तकनीकी अर्हताये रखते हैं उन्हें 18.1 के अनुसार पंजीकृत करना आवश्यक नहीं है लेकिन ऐसे वास्तुविद विनियम 18.4 के अनुसार स्वयं को पंजीकृत कराने पर ही मानचित्र को विनियम 13.3 के अनुसार स्वीकृत करने के लिये अधिकृत होंगे। इस हेतु प्रार्थी नगर पालिका/नगर विकास न्यास से अदेय प्रमाण पत्र तथा स्वामित्व की जांच हेतु नगर पालिका/नगर विकास न्यास में इस कार्य के लिये विशेष रूप से पंजीकृत वकीलों (जो बार कौंसिल का सदस्य हो एवं जिसे 10 वर्ष का अनुभव हो) से स्वामित्व का प्रमाण पत्र प्राप्त कर पंजीकृत तकनीकीविद

को सौंपेगा। यदि भूखण्ड नगर पालिका/नगर विकास न्यास की योजना का हिस्सा है तो प्रार्थी नाम हस्तान्तरण पत्र प्राप्त करेगा एवं इसे भी पंजीकृत तकनीकीविद को सौंपेगा। इसके पश्चात् तकनीकीविद स्वीकृति प्रदान करने के पांच दिवस के भीतर इसे मानचित्रों की तीन प्रतियों के साथ उक्त दस्तावेज निर्धारित शुल्क के साथ सक्षम अधिकारी को जमा करायेगा जिसकी प्राप्ति रसीद दी जायेगी। पंजीकृत तकनीकीविद का यह दायित्व होगा कि वह इन विनियमों के प्रावधानों अनुसार भवन निर्माण मानचित्र अनुमोदित कर तदानुसार मौके पर निर्माण करायें। निर्माण नियमों के विपरीत पाये जाने की स्थिति में तकनीकीविद तथा स्वामित्व विवादग्रस्त पाये जाने की स्थिति में संबंधित वकील के विरुद्ध नगर पालिका/नगर विकास न्यास द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी।

13.4 राजकीय/अर्द्धराजकीय भवनों, सार्वजनिक/संस्थानिक प्रयोजनार्थ भवनों, पर्यटन इकाई, अस्पताल, सामाजिक, धार्मिक एवं शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भवनों (निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र सहित) हेतु संस्थान द्वारा भूखण्ड पर प्रस्तावित निर्माण के मानचित्र पंजीकृत वास्तुविद् के माध्यम से सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने एवं आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति के पश्चात् भूखण्ड पर निर्माण कार्य, भवन विनियमों के मानदण्ड अनुसार प्रारम्भ किया जा सकेगा तथा नियमानुसार स्वीकृति योग्य निर्माण किये जाने पर ऐसे निर्माण को बिना स्वीकृति के निर्माण की श्रेणी में नही माना जावेगा। संस्थान द्वारा निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाएगे तथा भवन निर्माण अनुमोदन शुल्क एवं मलबा शुल्क राशि मांग पत्र जारी किये जाने के पश्चात् निर्धारित अवधि में जमा कराया जाना अनिवार्य

होगा। कुर्सी स्तर से ऊपर का निर्माण नियमानुसार भवन मानचित्र जारी कराने के पश्चात् ही किया जा सकेगा। भूखण्ड पर कुर्सी स्तर तक के निर्माण में भवन विनियमों का उल्लंघन होने पर नियमों के विपरीत किये गये निर्माण को हटाया एवं बिना स्वीकृति निर्माण माना जाकर इस निर्माण हेतु नियमानुसार शास्ती जमा होने एवं मानचित्र अनुमोदन के पश्चात् ही कर्सी स्तर से ऊपर का निर्माण किया जा सकेगा।

13.5 राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित निवेश नीतियों के अन्तर्गत समस्त प्रकार के उपयोगों हेतु आवंटित/प्रस्तावित भूखण्डों अथवा निवेशकर्ता की निजी भूमि पर राज्य सरकार की निवेश नीतियों के तहत प्रस्तावित भवनों हेतु पंजीकृत वास्तुविद् के माध्यम से भवन मानचित्र, आवश्यक दस्तावेजों एवं स्वः गणना के आधार पर भवन विनियम के तहत् देय समस्त शुल्क भवन निर्माण अनुमोदन शुल्क, मलबा शुल्क आदि डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रारम्भ किया जा

सकेगा। कुर्सी स्तर से ऊपर का निर्माण नियमानुसार भवन मानचित्र जारी कराने के पश्चात् ही किया जा सकेगा। भूखण्ड पर कुर्सी स्तर तक के निर्माण में भवन विनियमों का उल्लंघन होने पर नियमों के विपरीत किये गये निर्माण को हटाया एवं बिना स्वीकृति निर्माण माना जाकर इस निर्माण हेतु नियमानुसार शास्ती जमा होने एवं मानचित्र अनुमोदन के पश्चात् ही कुर्सी स्तर से ऊपर का निर्माण किया जा सकेगा।

14. भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये प्रक्रियाः

14.1 भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु निम्न प्रक्रिया रहेगी

14.2 सक्षम अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

मानचित्र अनुमोदन हेतु आवेदक से दो प्रतियो में पत्रावली ली जावेगी जिसमें एक पत्रावली प्रशासनिक परीक्षण हेतु तथा दूसरी पत्रावली तकनीकी परीक्षण हेतु संबंधित शाखा को प्रेषित किया जावेगा व दोनो पत्रावलीयो पर समानान्तर कार्यवाही कर प्रकरण अनुमोदनार्थ भवन मानचित्र समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करते हुए समस्त प्रविष्टियां उचित और सही भरकर भवन मानचित्र/स्थल मानचित्र जैसी स्थिति हो, की 3 प्रतियों के साथ (अनुमोदन पश्चात् अनुमोदित मानचित्र जारी किये जाने हेतु 4 प्रतिया क्लोथ माउन्टेड हो प्रस्तुत करने होगें), निम्न दस्तावेज तथा सूचनाओं के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

(क) स्थल मानचित्र जिसमें भूखण्ड का भौतिक विवरण, यदि प्रार्थी द्वारा नगर पालिका/नगर विकास न्यास के पंजीकृत वकील द्वारा प्रमाणित स्वामित्व का प्रमाण पत्र मय दस्तावेज दिया जाता है तो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वामित्व की जांच की आवश्यकता नहीं होगी अन्यथा प्रार्थी स्वामित्व संबंधी दस्तावेज जमा करा सकता है। पट्टा एवं जहां पट्टा जारी न हो वहां प्राधिकरण या पट्टा जारी करने वाले सक्षम अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र, विक्रय पत्र इत्यादि प्रार्थी द्वारा संलग्न किया जायेगा।

(ख) यदि आवश्यक है तो भूखण्ड के सामने सड़क को चौडा करने के उद्देश्य से सड़क के साथ भूखण्ड में से भू पट्टी समर्पित की जाने के संबंध में सरण्डर डीड तथा कब्जा संभलवाये जाने का प्रमाण पत्र।

(ग) यदि आवंटन शर्तों/पट्टा शर्तों में से किसी शर्त के विपरीत मानचित्र प्रस्तुत किये गये हैं तो सक्षम अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

(घ) यदि प्रार्थी प्रस्तावित भवन को मास्टर प्लान में स्वीकृत भू उपयोग के विपरीत भवन निर्माण करना चाहता है तो सक्षम अधिकारी द्वारा भू उपयोग परिवर्तन के संबंध में प्रमाण पत्र।

(ड.) हेजार्डस भवन के मामलों में चीफ कन्ट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव एवं चीफ फायर ऑफिसर का सुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र।

(च) यदि प्रस्तावित भवन में तहखाना पडौसी के भूखण्ड की सीमा के 2 मीटर की दूरी से कम पर बनाया जाता है तो नगर पालिका/नगर विकास न्यास के हित में इन्डेमिनिटी बॉण्ड।

(छ) हवाई अड्डे की सीमा से 2 कि.मी. की दूरी तक प्रस्तावित बहुमंजिले भवन की ऊंचाई के संबंध में नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

(ज) स्वीकृत स्थल मानचित्र की प्रति।

(झ) अन्य कोई सूचना या दस्तावेज जो सक्षम अधिकारी द्वारा चाही जावे।

(ञ) भवन निर्माण स्वीकृति चाहने हेतु प्रार्थी आवेदन में अपेक्षित सभी दस्तावेज पूर्ण करने के पश्चात् नियमों में वर्णित प्रक्रिया अनुसार आवेदन करेगा। इस प्रकार पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवस में नगर पालिका/नगर विकास न्यास अथवा प्राधिकृत अधिकारी स्वीकृति/अस्वीकृति/राशि जमा कराने हेतु मांग पत्र या अनुमोदन हेतु आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को सूचित करेगा। ऐसा न करने पर आवेदक सक्षम अधिकारी को 30 दिवस का नोटिस देगा तथा सूचित करेगा कि वह इस अवधि के पश्चात् उसके आवेदन पर निर्णय नहीं होने की स्थिति में भवन विनियमों के प्रावधान अनुसार संलग्न मानचित्र के अनुरूप निर्माण प्रारम्भ कर रहा है। उक्त अवधि के पश्चात् आवेदक को सूचना देने में विफल होने की स्थिति में आवेदक इसे नगर पालिका/नगर विकास न्यास की दी हुई अनुज्ञा मानते हुये निर्माण भवन विनियमों के प्रावधानानुसार प्रारम्भ कर सकेगा। प्रार्थी को समस्त देय राशि की स्वतः गणना कर डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न कर नगर पालिका/नगर विकास न्यास में जमा कराना होगा।

14.3 प्रार्थी द्वारा भवन अनुज्ञा प्रार्थना पत्र के साथ जांच फीस व अन्य प्रभार जमा करवाने होंगे, जिन्हें समय–समय पर राज्य सरकार, नगर पालिका/नगर विकास न्यास, या भवन मानचित्र समिति व सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाये। इसके प्रमाण स्वरूप चालान की एक प्रति प्रार्थना पत्र के साथ जमा करवानी होगी।

14.4 मानचित्र में रंग निम्न व्यवस्था के अनुसार भरे जायेंगेः

क्र.सं.	कार्य का विवरण	रंग
1.	प्रस्तावित निर्माण कार्य	लाल
2.	हटाये जाने के लिये प्रस्तावित कार्य	पीला
3.	विद्यमान निर्मित कार्य	नीला
4.	अनुज्ञेय निर्माण प्रगति पर	हरा
5.	खुला क्षेत्र	रंग नहीं भरा जाना है।
6.	यदि सम्पूर्ण निर्माण नया प्रस्तावित है तो कोई रंग भरना आवश्यक नहीं है।	

14.5 आवेदन पत्र के साथ दिया जाने वाला स्थल मानचित्र एक हैक्टेयर क्षेत्र तक के लिये 1:500 से कम के स्केल में तथा एक हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रों के लिये 1:1000 से कम के स्केल में नहीं होगा अथवा उस स्केल में हो सकता है जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके और उसमें निम्नलिखित ब्यौरे दर्शाये जावेंगे।

(क) लगती हुई भूमि/स्थल की सीमा।

(ख) आसपास के पथ व उसके संबंध में स्थल की स्थिति।

(ग) पथ का नाम जहां पर कि भवन निर्मित किया जाना है।

(घ) स्थल पर व उसके ऊपर और उसके नीचे समस्त विद्यमान भवन।

(ड.) भवन तथा समस्त अन्य भवनों को जिस भूमि पर आवेदक निर्माण करना चाहता है, की निम्नलिखित के संबंध में स्थिति

(अ) स्थल की सीमाएं और जहां स्थल का विभाजन कर दिया है वहां आवेदक के स्वामित्व वाले भाग की सीमाएं तथा साथ ही दूसरों के स्वामित्व वाले भाग की सीमाएं।

(ब) (क) में वर्णित के साथ लगते हुए समस्त पथ, भवन (मंजिलों सहित), 12 मीटर की दूरी तक के भीतर स्थित परिसरों, और

(स) यदि स्थल से 12 मीटर की दूरी के भीतर कोई पथ नहीं हो तो निकटतम विद्यमान पथ।

(च) पथ से भवन तथा समस्त अन्य भवनों, जो कि प्रार्थी (क) में वर्णित अपनी संलग्न भूमि पर निर्मित करना चाहते हैं, में जाने के लिये मार्ग।

(छ) वायु के निर्बाध आवागमन, प्रकाश के प्रवेश तथा सफाई के आयोजनों के लिये रास्ते को सुनिश्चित करने के लिए भवन के भीतर और चारों ओर छोडा गया स्थान और खुले स्थानों के ऊपर आगे निकले हुए भाग के विवरण (यदि कोई हो)।

(ज) प्रस्तावित भवन के सामने के पथ (यदि कोई हो) और उसके पार्श्व के (यदि कोई हो) या उसके पीछे के पथ की चौडाई।

(झ) भवन के मानचित्र के संबंध में उत्तरी दिशा का निर्देश चिन्ह।

(ञ) स्थल पर स्थित भौतिक संरचनाएं जैसे कुएं, नालियां, बिजली और टेलीफोन की लाइनें इत्यादि।

(ट) निकास बिन्दु तक मलवाही तथा जल निकास लाइनें और जल प्रदाय लाइनें।

(ठ) ऐसे अन्य विवरण जो नगर पालिका/ नगर विकास न्यास द्वारा निर्धारित किये जायें।

(ड) प्रस्तावित भूखण्ड की संख्या का मानचित्र में अंकन करना होगा।

14.6 आवेदन पत्र के साथ लगाये जाने वाले मानचित्र जैसे प्लान, एलिवेशन एवं सैक्शन 1:100 से कम के माप के नहीं होंगे अथवा उस माप के हों जिसमें स्थिति स्पष्ट हो। भवन अधिकारी आवश्यकतानुसार स्केल पर प्रार्थी को मानचित्र देने के लिये निर्देश दे सकता है। मानचित्रः

(क) में सभी तलों के तल चित्र (प्लान) आच्छादित क्षेत्र को दर्शित करते हुए और भवन संरचना के आधार, उनकी नाप, कमरों के आकार, सीढ़ियों, रपटों (रेम्पों) तथा लिफ्टवैल, स्नानागार, शौचालय इत्यादि की स्थिति, आकार और स्थान को स्पष्टतः दिखाया जावेगा।

(ख) भवन के सभी मार्गों के उपयोग या अधिवास, दिखाये जायेंगे।

(ग) सैक्शन के मानचित्र जिनमें भूमिगत तल की दीवार की मोटाई, फ्रेम संरचना व उसके अवयवों का आकार और स्थान, तलों के फर्श (स्लेब) और छत के स्लेबों तथा दरवाजों, खिड़कियों और अन्य बाहर की ओर खुलने वाले स्थान व उनकी नाप को स्पष्ट रूप से दिखाया गया हो सैक्शन में भवन और कमरों की ऊंचाई, साथ ही पैरापेट की ऊंचाई तथा जल निकास और छत के ढलान सभी दर्शित किये जायेंगे। कम से कम एक सैक्शन सीढी से होकर होगा।

(घ) सभी ओर के बाहरी स्वरूप (एलीवेशन) दर्शाये जायेंगे।

14.7 बहुमंजिले/विशिष्ठ भवनों के लिये मानचित्र में निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना दी जायेगी/दर्शित की जावेगी

(क) वाहनों के घूमने के सर्किल के ब्यौरे सहित अग्निशमन उपकरणों, वाहनों के लिये मार्ग तथा भवन के चारों और मोटरयान के लिय मार्ग।

(ख) मुख्य तथा वैकल्पिक सीढ़ियों का आकार (चौडाई) तथा उसके साथ बालकनी से प्रवेश, गैलरी या हवादार लॉबी से प्रवेश।

(ग) लिफ्ट के लिये स्थान और ब्यौरे।

(घ) ''फायर'' लिफ्ट का स्थान और आकार।

(ड.) धुआं रोकने के लिये लॉबी द्वार, जहां दिया जाये।

(च) वाहनों के मार्ग एवं वाहन खडे करने के स्थल, दिखाते हुए मानचित्र।

(छ) बचाव के स्थल, यदि कोई हो।

(ज) भवन सेवाओं के ब्यौरे, वातानुकूल प्रणाली व उसके साथ फायर डैम्पर्स, यांत्रिक वायु प्रवाह प्रणाली, विद्युत सेवाएं, बायलर, गैस पाइप इत्यादि की स्थिति।

(झ) अस्पताल तथा विशेष जोखिम वाले भवनों में निकास के ब्यौरे, रपटों (रैम्पस) की व्यवस्था सहित।

(ञ) जनरेटर, ट्रांसफार्मर और स्विचगीयर कक्ष की स्थिति।

(ट) धूम निकास प्रणाली, यदि कोई हो।

(ठ) स्वचालित आग चेतावनी व्यवस्था का प्रावधान एवं उससे प्रभावित स्थान की सूचना अग्निशमन केन्द्र भिजवाने की व्यवस्था।

(ड) आग से बचाव हेतु हर समय पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भवन के छत पर समुचित क्षमता के दो टैंक बनाये जायेंगे। इसमें से एक टैंक अग्निशमन व्यवस्था के पाइपों की प्रणाली से जुड़ा होगा। दूसरा टैंक भवन के निवासकर्ताओं के लिये पानी की आपूर्ति के लिये बनाया जायेगा एवं इस टैंक को भरने हेतु अग्निशमन टैंक के ढक्कन के 30 सेंटीमीटर नीचे से पाइप इस टैंक में जोडा जायेगा। भवन के निवासकर्ताओं के लिए बनाये जाने वाले इस टैंक में पानी की आपूर्ति हेतु अन्य कोई कनेक्शन नहीं रखा जायेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि अग्निशमन हेतु टैंक हमेशा भरा रहे।

(ढ) बहुमंजिले भवनों के लिए भूकम्परोधी प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड के पार्ट–vi के प्रावधानों के अनुरूप प्रार्थी एवं पंजीकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर से घोषणा पत्र तथा संरचनात्मक सुरक्षा हेतु पंजीकृत इंजिनियर का निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र।

14.8 केवल पंजीकृत तकनीकीविद द्वारा ही तैयार किये गये मानचित्र स्वीकार किये जायेंगे। पंजीकृत तकनीकीविद् मानचित्र पर अपना नाम, पता और पंजीयन संख्या अंकित करते हुए हस्ताक्षर करेंगे।

14.9 भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा अन्य सूचना चाहे जाने पर उसे उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

14.10 भवन अनुज्ञा की अवधि पांच वर्ष होगी। परंतु निर्माण पूर्ण नहीं होन पर अनुज्ञा की अवधि भवन मानचित्र समिति द्वारा केवल आवेदन की कीमत एवं अनुज्ञा शुल्क का 10 प्रतिशत राशि लेकर सामान्यतया दो वर्ष के लिए बढाई जा सकेगी। बशर्ते चाही गई स्वीकृति में छोटे आंतरिक परिवर्तनों के अलावा फेरबदल नहीं दर्शाया हो।

14.11 निर्माण स्वीकृति जारी करने से पूर्व अनुज्ञा शुल्क तथा अन्य शुल्क जो संबंधित संस्था जैसे नगर पालिका/नगर विकास न्यास द्वारा तय किये अनुसार लिये जायेगा।

14.12 भू धारक द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र अनुमोदित होने की अवस्था में मांग पत्र जिसमें विभिन्न मदों के पेटे लिये जाने वाले शुल्क व प्रभारों का विवरण हो जारी किया जावेगा। भू धारक से मांगी गई राशि नगर पालिका/नगर विकास न्यास कोष में जमा कराये जाने की सूचना संबंधित को प्रस्तुत करने की तिथि से 15 दिवस में भवन निर्माण अनुज्ञा जारी की दी जावेगी।

14.13 बहुमंजिले भवनों में निम्न प्रावधानों की पालना आवश्यक रूप से करनी होगी :–

(क) रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण

(ख) एन.बी.सी. के प्रावधानों के अनुसार अग्निशमन एवं भूकम्परोधी प्रावधान।

(ग) नियमानुसार ग्रीनरी तथा प्लान्टेशन की उपलब्धता।

(घ) भवन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार पार्किंग का प्रावधान।

14.14 उपरोक्त प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकाय द्वारा भवन स्वीकृति जारी करने से पूर्व अमानत राशि व वर्षाजल संग्रहण हेतु अमानत राशि नकद/बैंक ड्राफ्ट के रूप में भवन निर्माता को जमा कराने होंगे। यह राशि कम्पलीशन सर्टिफिकेट जारी करते समय उपरोक्त चारों प्रावधानों की पूर्ति सुनिश्चित करने के पश्चात् भवन निर्माता को लौटाई जा सकेगी।

अमानत राशि भूखण्ड के आकार के अनुपात में निम्नानुसार ली जावेगी :–

क्र. सं.	भूखण्ड का आकार (वर्ग मीटर)	अमानत राशि (रूपये) रिफन्डेबल	वर्षाजल संग्रहण हेतु राशि	कुल राशि
1.	300 व. मी. से 500 व. मी. तक	–	50,000 रूपये	50,000 रूपये
2.	500 व. मी. से अधिक एवं 750 व. मी. तक	–	75,000 रूपये	75,000 रूपये
3.	750 व. मी. से अधिक एवं 1000 व. मी. तक	–	1 लाख	1 लाख
4.	1000 व. मी. से 2500 व. मी. तक	5 लाख	1 लाख	6 लाख
5.	2500 व. मी. से अधिक एवं 4000 व. मी. तक	10 लाख	2 लाख	12 लाख
6.	4000 व. मी. से अधिक एवं 10,000 व. मी. तक	15 लाख	3 लाख	18 लाख
7.	10,000 व. मी. से अधिक	20 लाख	5 लाख	25 लाख

नोटः अमानत राशि नगद/बैंक ड्राफ्ट के रूप में अथवा पांच वर्ष की अवधि की बैंक गारंटी अथवा सावधी जमा (एफ.डी) के रूप में ली जा सकेगी।

14.15 भवन मानचित्र अनुमोदन में होने वाले विलम्ब को रोकने के लिए यह मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाने वाली पत्रावली में एक चैक लिस्ट का प्रपत्र लगाया जायेगा। प्रार्थी इस चैक लिस्ट को भरकर देगा। अनुमोदन हेतु पत्रावली लेते समय संबंधित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा उक्त चैक लिस्ट के अनुसार समस्त दस्तावेजों की जांच करने के उपरांत हरी पत्रावली (मानचित्र) स्वीकार की जायेगी। दस्तावेज कम होने पर उसी समय प्रार्थी को कमियों के बारे में सूचित कर दिया जायेगा।

15. निर्माण कार्य के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रियाः

15.1 अनुज्ञा प्राप्ति के दो वर्ष के भीतर अथवा कार्य प्रारंभ करने के छः माह के अन्दर, जो भी कम हो, अनुज्ञाधारी को भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने के आशय की सूचना सक्षम अधिकारी को देनी होगी।

15.2 आवेदक द्वारा भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जाएगा जिसमें नगर विकास न्यास के सचिव तथा अतिक्रमण निरोधक अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किए जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्तें अंकित की जाएगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जाएगी।

15.3 प्लिन्थ लेवल तक निर्माण की सूचना पंजीकृत वास्तुविद से प्रमाणित कर न्यास को सूचित करेंगे। सही निर्माण पाए जाने पर आगे निर्माण जारी रखा जाएगा अन्यथा अनुमोदित/प्रस्तुत मानचित्र (13.4 व 13.5 के प्रावधान में आने वाले प्रकरणों के लिए प्रस्तुत मानचित्र) के विपरीत निर्माण पाए जाने पर संबंधित अतिक्रमण निरोधक अधिकारी द्वारा अवैध निर्माण हटवाने की कार्यवाही की जाएगी।

15.4 प्लिन्थ लेवल से ऊपर G+1 निर्माण की जाँच संयुक्त रूप से संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/सहा0 अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता एवं वरिष्ठ नगर नियोजक/उप नगर नियोजक/सहायक नगर नियोजक के स्तर पर अधिकतम सात दिवस में सुनिश्चित की जाएगी।

15.5 संबधित अधिशाषी अभियन्ता/सहा0 अभियन्ता /कनिष्ठ अभियन्ता एवं वरिष्ठ नगर नियोजक/उप नगर नियोजक/सहायक नगर नियोजक द्वारा समय–समय पर भवन निर्माण का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा बहुमंजिले एवं अन्य विशेष प्रकृति के भवनों में अतिरिक्त सूचना निर्माण कार्य के दौरान सक्षम अधिकारी द्वारा यदि आवश्यक समझा जाये तो मांगी जा सकती है।

15.6 भवन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।

16. कम्पलीशन प्रमाण पत्र :

16.1 15 मीटर से ऊंचे/15 मीटर से कम किन्तु 5000 वर्गमीटर से अधिक निर्मित क्षेत्रफल के भवनों के निर्माण पूरा होने पर भवन निर्माणकर्ता को कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करना आवश्यक होगा।

16.2 कम्पलीशन सर्टिफिकेट जारी करने हेतु राज्य सरकार /न्यास द्वारा कमेटी गठित की जाएगी। अनुज्ञाधारक द्वारा निर्माण पूर्ण होने की सूचना सम्बन्धित कमेटी को मय मौका स्थिति के मानचित्र (4 सेट) में प्रस्तुत की जायेगी। ये सूचना निर्धारित प्रपत्र में दी जाएगी।

कम्पलीशन सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

(क) अनुमोदित भवन मानचित्र के अनुसार किया गया निर्माण :–

(i) कमेटी द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर मौका निरीक्षण करने हेतु दिनांक एवं समय तय कर अनुज्ञाधारक को सूचित कर संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण किया जायेगा (उक्त दिनांक आवेदन प्रस्तुति के अधिकतम 15 दिवस के अन्तराल पर होगा)।

(ii) भवन का निर्माण अनुमोदित भवन मानचित्र के अनुसार पाये जाने पर कमेटी द्वारा नगर विकास न्यास को कम्पलीशन सर्टिफिकेट जारी करने की अनुशंसा 10 दिवस के भीतर प्रेषित कर दी जायेगीं उक्त अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात् नगर विकास न्यास द्वारा 10 दिवस के अन्दर कम्पलीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जायेगा।

(iii) अनुज्ञाधारक द्वारा आवेदन करने के पश्चात् 30 दिवस में यदि कमेटी अनुज्ञाधारक को अपने निर्णय की सूचना प्रेषित नहीं करती है तो अनुज्ञाधारक 15 दिवस का पुनः नोटिस नगर विकास न्यास को देगा। इसके उपरान्त भी कम्पलीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किये जाने पर डिम्ड कम्प्लीशन सर्टिफिकेट माना जावेगा।

(ख) अनुमोदित मानचित्र से विचलन तत्समय प्रचलित भवन विनियम के अन्तर्गत किया गया निर्माण :–

(i) उपरोक्त "क" (i) की प्रक्रिया के अनुसार कमेटी द्वारा मौका मुआयना कर अनुमोदित मानचित्र से विचलन लेकिन तत्समय प्रचलित भवन विनियम के अन्तर्गत किये गये निर्माण के सम्बन्ध में कमेटी द्वारा आवेदक को 10 दिवस में सूचित करने पर आवेदक द्वारा 15 दिवस में संबंधित निकाय को संशोधित मानचित्र प्रस्तुत कर दिये जायेंगे। निकाय द्वारा B.P.C. की बैठक में संशोधित मानचित्र 15 दिवस के अन्तर्गत अनुमोदित कर नियमन हेतु देय राशि का मांग पत्र अनुज्ञाधारक को प्रेषित कर दिया जायेगा। अनुज्ञाधारक द्वारा निर्धारित राशि जमा कराये जाने के पश्चात् 10 दिवस में अनुमोदित मानचित्र एवं कम्पलीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जायेगा।

(ii) अनुज्ञाधारक द्वारा नियमन हेतु निर्धारित अवधि में मानचित्र प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा निर्धारित नियमन राशि जमा नहीं कराये जाने पर भवन विनियमों के विपरीत किये गये निर्माण को नगर विकास न्यास को सीज करने का अधिकार होगा।

(ग) उपरोक्त क्रमांक "क" एवं "ख" के विपरीत किया गया अवैध निर्माण :–

(i) भवन विनियमों के विचलन से किया गया निर्माण अवैध निर्माण माना जायेगा। कमेटी द्वारा उपरोक्त "क" (i) के अनुसार मौका मुआयना कर अवैध निर्माण को तोड़ने हेतु 10 दिवस में नगर विकास न्यास को सूचित किया जायेगा। सूचना प्राप्त होने के 7 दिवस में ज नगर विकास न्यास द्वारा अनुज्ञाधारक को अवैध निर्माण 30 दिवस में हटाने का नोटिस जारी किया जायेगा। नोटिस प्राप्त होने पर अवैध निर्माण को 30 दिवस में हटाकर आवेदक द्वारा संशोधित मानचित्र कमेटी में प्रस्तुत करने पर कमेटी द्वारा पुनः "क" (i) के अनुसार मौका मुआयना किया जायेगा। मौके पर निर्माण तत्समय प्रचलित भवन विनियम के अन्तर्गत पाये जाने पर, कमेटी द्वारा नगर विकास न्यास को

तद्नुसार अनुशंषा प्रेषित की जायेगी। निर्धारित राशि जमा होने पर संशोधित मानचित्र एवं कम्पलीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जायेगा।

(ii) यदि भवन निर्माता आंशिक कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहे तो :–

(क) 16.2 "ग" का (i) में बताये विचलित निर्माण को तोड़ने/दुरूस्त करने की अण्डरटेकिंग नगर विकास न्यास को प्रेषित करेगा।

(ख) अवैध निर्माण क्षेत्रफल ("क" व "ख" के अतिरिक्त) पर 500/– रूपये प्रति वर्गफीट की अमानत राशि/आवासीय आरक्षित दर का 50 प्रतिशत जो भी अधिक हो, बतौर सिक्योरिटी नगर विकास न्यास में जमा करायेगा तथा उक्त अतिरिक्त विचलित क्षेत्रफल के लिए 100/– प्रति वर्गमीटर प्रतिमाह शास्ती देने की अण्डरटेकिंग देगा।

उपरोक्त दोनों शर्तों को पूर्ण करने के उपरान्त आंशिक कम्पलीशन सर्टिफिकेट के लिए बिन्दु 16.2 "ख" के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

(iii) यदि अनुज्ञाधारक भवन विनियम से अधिक विचलन को 90 दिवस में नहीं हटाता है तो नगर विकास न्यास को निर्माण को सीज/ध्वस्त करने का अधिकार होगा।

(iv) प्रार्थी द्वारा अवैध निर्माण हटाने के पश्चात् कमेटी को सूचित किया जायेगा। सूचना प्राप्त होने के 7 दिवस में कमेटी क (i) के अनुसार अनुज्ञाधारक के भवन का मौका निरीक्षण करेगी एवं निरीक्षण सही पाये जाने पर अपनी रिपोर्ट नगर विकास न्यास में प्रस्तुत करेगी तथा 500/– रूपये प्रति वर्गफीट की सिक्योरिटी राशि वापस करने की व सीज अनुमोदित क्षेत्रफल की सील खोलने की नगर विकास न्यास को अनुशंसा करेगी जो कि नगर विकास न्यास को 30 दिवस के अन्दर पूर्ण करनी होगी।

(घ) कम्पलीशन सर्टिफिकेट/आंशिक कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के उपरान्त ही पंजीयन विभाग द्वारा ऐसे भवन के सम्पूर्ण या उसके किसी भाग का पंजीयन किया जा सकेगा।

(च) भवन निर्माण आदि के लिये आवेदक को जल व विद्युत कनेक्शन अस्थाई तौर पर दिये जावेंगे। बहुमंजिले भवनों में कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के पश्चात् आवेदक को जल व विद्युत कनेक्शन स्थाई रूप से दिये जा सकेंगे।

(छ) यदि किसी भूखण्ड में एक से अधिक भवन इकाईयों का निर्माण प्रस्तावित हो, तो कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किसी भी भवन इकाई के लिए पृथक् रूप से भी किया जा सकता हैं

16.2 सभी प्रकार के बहुमंजिले भवनों के लिए तथा विशिष्ठ भवनों के लिए अग्निशमन अधिकारी से संतुस्ति पत्र जारी होने के बाद ही कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया जा सकेगा।

16.3 भी प्रकार के बहुमंजिले भवनों के लिए तथा विशिष्ट भवनों के लिए अग्निशमन अधिकारी से अंतिम संतुष्टि पत्र जारी होने के बाद ही कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया जा सकेगा।

16.4 कम्पाउण्डिंग के प्रावधान लागू होने पर 16.2 (क) व (ख) से विचलन होने की स्थिति में कम्पाउण्डिंग की सीमा तक नियमित किए गये निर्माण का अनुज्ञाधारक कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेगा।

17. दण्डात्मक व्यवस्था :

17.1 भवन निर्माण में निर्धारित मानदण्डों के उल्लंघन होने या निर्माण मानक स्तर के अनुरूप नहीं होने पर निर्माण को रोका जा सकता है एवं इसे आंशिक या पूर्णरूप से ध्वस्त कराया जा सकेगा एवं ऐसे समस्त निर्माण की जिम्मेदारी अनुज्ञाधारी की होगी।

17.2 ऐसे किसी पंजीकृत तकनीकीविद, पंजीकृत वकील जिसके द्वारा व्यवसाय की आचरण संहिता का उल्लंघन किया जाना अथवा गलत कथन किया जाना अथवा किसी सारवान तथ्य को गलत प्रस्तुत किये जाना अथवा सारवान तथ्यों को छुपाये जाना पाया जाता है, के विरूद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा पंजीयन निलम्बित/रद्द किया जाना एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

17.3 गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिये आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।

17.4 नगर पालिका /नगर विकास न्यास द्वारा दी गई भवन निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा एवं विवादित स्वामित्व की भूमि पर दिये गये निर्माण स्वीकृति के लिये नगर पालिका/ नगर विकास न्यास जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि निर्माण स्वीकृति केवल मात्र प्रश्नगत भूमि पर क्या निर्माण किया जा सकता है अथवा अनुज्ञेय है यही दर्शाता है।

18. पंजीकृत तकनीकीविज्ञः अर्हताएं एवं पंजीकरणः

18.1 नगर पालिका /नगर विकास न्यास द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का पंजीकृत तकनीकी विज्ञ के रूप में पंजीयन किया जा सकेगा जो फर्म, कम्पनी या समिति का गठन कर व्यवसाय कर रहे हों एवं अनुच्छेद 18. 2 के अनुसार अर्हताएं रखते हों परन्तु काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के सदस्यों को स्वयं को पंजीकृत करना आवश्यक नहीं है।

18.2 पंजीकृत तकनीकीविद के लिये अर्हताएं निम्नानुसार होंगीः

(i) इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स का सहयुक्त सदस्य।

अथवा

(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वास्तुविद डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा।

अथवा

(iii) काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की सदस्यता के लिये पात्र बनाने वाली ऐसी अर्हताएं जैसी कि वास्तुविद अधिनियम, 1972 की अनुसूची II में सूचीबद्ध है।

अथवा

(iv) इंस्टीटयूशन ऑफ इंजीनियर्स की नियमित (कारपोरेट) सदस्यता (सिविल)/इंस्टीटयूट ऑफ टाउन प्लानर इण्डिया, नई दिल्ली का एसोसिएट मेम्बर।

अथवा

(v) सिविल या संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) अभियांत्रिकी में डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा।

अथवा

(vi) आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप का मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम तथा वास्तविक/सिविल अभियंता के अधीन दो वर्ष का अनुभव।

अथवा

(vii) मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और वास्तुविद/सिविल अभियन्ता के अधीन पांच वर्ष का अनुभव।

अथवा

(viii) मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में ड्राफ्टमैन और वास्तुविद/सिविल अभियंता के अधीन पांच वर्ष का अनुभव।

परन्तु उपरोक्तानुसार अर्हता रखने वाले ऐसे व्यक्तियों के समूह को भी पंजीकृत किया जा सकेगा जो फर्म, कम्पनी या समिति का गठन कर व्यवसाय कर रहे हों।

18.3 सक्षमता :

18.3.1 विनियम संख्या 18.2 (i), (ii), (iii) व (iv) के अन्तर्गत उल्लेखित तकनीकीविज्ञ सभी प्रकार व क्षेत्रफल के भवनों हेतु मानचित्र और संबंधित सूचना देने के हकदार होंगे।

18.3.2 विनियम संख्या 18.2 (v) के अन्तर्गत उल्लेखित तकनीकीविज्ञ 200 व.मी. कुर्सी क्षेत्र तक के तथा 15 मी. ऊंचाई तक के सभी प्रकार के भवनों हेतु मानचित्र और संबंधित सूचना देने के हकदार होंगे।

18.3.3 विनियम संख्या 18.2 (vi), (vii) व (viii) के अन्तर्गत उल्लेखित तकनीकीविज्ञ 100 व.मी. कुर्सी क्षेत्र तक के तथा 8 मी. ऊंचाई तक के सभी प्रकार के भवनों हेतु मानचित्र और संबंधित सूचना देने के हकदार होंगे।

18.4 पंजीकरण की प्रक्रियाः निर्धारित अर्हताएं रखने वाला व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने अनुभव एवं अर्हताओं के प्रमाण पत्र के साथ पंजीयन हेतु सक्षम अधिकारी को आवेदन करेगा। आवेदन के साथ फीस भी निम्नानुसार जमा करेगा जो कि लौटाई नहीं जायेगी। विनियम 18 (i) से (iii) व (iv) तक अर्हताएं रखने वाला व्यक्ति/फर्म रु. 5000/– वार्षिक फीस, विनियम 18 (v) अर्हताएं रखने वाला व्यक्ति/फर्म रु. 2500/– वार्षिक फीस, विनियम 18(vi) से (viii) तक अर्हताएं रखने वाला व्यक्ति/फर्म रु. 1000/– वार्षिक फीस।

18.5 पंजीकृत तकनीकीविद का दायित्वः

पंजीकृत तकनीकीविद का दायित्व होगा कि भवन के निर्माण की अनुज्ञा दिये जाने की अवस्था में भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सुरक्षा संबंधी व्यवस्था एवं भवन में अपेक्षित सभी सेवाएं जहां कहीं भी इन विनियमों में अपेक्षित है, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया व नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड के अनुसार निष्पादित करे भवन निर्माण यदि विनियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उल्लंघन की जिम्मेदारी भवन निर्माता/अनुज्ञाधारी की होगी। पंजीकृत तकनीकीविद का यह भी दायित्व होगा कि भवन निर्माण पूर्ण होने तक यदि कोई अवैध निर्माण किया जाता है तो समय–समय पर नगर पालिका/नगर विकास न्यास को सूचित करेगा।

18.6 पंजीकृत वकील का दायित्वः

इन विनियमों के अन्तर्गत स्वामित्व को प्रमाणित करने हेतु वकील को दस वर्ष का अनुभव (बार कौंसिल द्वारा जारी) प्रमाण पत्र के साथ पंजीयन हेतु नगर पालिका/ नगर विकास न्यास को रु. 5000/– देय शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। वकील द्वारा जारी स्वामित्व के प्रमाण पत्र में दोष पाये जाने पर बार कौंसिल को संबंधित वकील के विरूद्ध उचित कार्यवाही हेतु सूचित किया जायेगा। प्रथम मंजिल तक के आवासीय भवनों के लिये स्वामित्व की जांच की कार्यवाही वकील के स्वयं के स्तर पर की जाकर प्रमाण पत्र आवेदक को जारी किया जावेगा एवं अन्य प्रकरणों जिसमें नगर पालिका /नगर विकास न्यास के स्तर पर विभिन्न प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृति जारी की जानी है उन मामलों में भी विनियमों में निर्धारित फीस ली जाकर स्वामित्व का प्रमाण पत्र वकील द्वारा ही जारी किया जावेगा। स्वामित्व

का प्रमाण पत्र देने के संदर्भ में किसी जानकारी की आवश्यकता हो तो संबंधित अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी।

19. निरसन तथा व्यावृतिः

19.1 इन विनियमों के प्रभावशील होने के साथ ही पूर्व के भवन विनियम तथा इसमें समय–समय पर किये संशोधन तथा अन्य आदेश स्वतः निरस्त हो जावेंगे।

19.2 वर्तमान में प्रचलित प्रभावशील किसी अन्य कानून में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इन विनियमों के प्रभावशील होने पर भवन निर्माण हेतु यही विनियम प्रभावशील होंगे।

19.3 इन विनियमों के लागू होने से पूर्व आवेदित भवन मानचित्र अनुमोदन के प्रकरण पूर्व नियमों के प्रावधानों के अनुसार निस्तारित किए जावेंगे तथा तत्कालीन विनियमों/ नियमों के अनुरूप निर्धारित मानदण्डों के अनुसार हुए निर्माण को जो या तो पूरा हो चुका है या निर्माणाधीन है इन विनियमों के लागू होने के साथ हटाने, परिवर्तन या परिवर्धन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि पूर्व निर्मित भवन अथवा निर्माणाधीन भवन में इन विनियमों के अनुसार अतिरिक्त एफएआर का उपयोग टी.डी.आर. अथवा नियमानुसार बेटरमेंट लेवी को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त निर्माण का प्रस्ताव दिया जाता है तो पूर्व स्वीकृत भवन में अनुमोदित सैटबैक्स व देय ऊँचाई को यथावत रखते हुए अतिरिक्त निर्माण की स्वीकृति दी जा सकेगी, बशर्ते विनियमानुसार पार्किंग उपलब्ध करवाई गई है। नीलामी के भूखण्डों में पूर्व में देय एफ.ए.आर. के अतिरिक्त इन विनियमों के अनुसार देय सीमा तक अतिरिक्त एफ.ए.आर. बेटरमेंट लेवी वसूल कर स्वीकृत किया जा सकेगा। परन्तु यदि कोई व्यक्ति पूर्व स्वीकृत भवन निर्माण मानचित्रों के अनुसार निर्माण नहीं कराकर नये विनियमों के अन्तर्गत निर्माण की अनुमति चाहता है तो वह इसके लिये सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकेगा।

19.4 यदि कोई व्यक्ति पूर्व में किये अनुमोदित निर्माण पर नया तल/कमरे बनाना चाहता है तो उसे पूर्व में निर्धारित सैटबेक्स के अन्दर निर्माण की अनुमति दी जा सकती है, परन्तु प्रार्थी का (सकल निर्माण का एफ.ए.आर.) इन विनियमों के अनुज्ञेय एफ.ए.आर. से अधिक नहीं होगा। यदि भवन निर्माण अनुज्ञा अवधि में प्रारंभ करने के पश्चात्

अधूरा रह जाता है तो प्रार्थी को पूर्वाअनुमोदित मानचित्र के अनुसार निर्माण करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

19.5 जो भूखण्ड नीलामी से बेचे गये हैं, उनका एफ.ए.आर. नीलामी के समय दिये गये एफ.ए.आर. (जिसे मानक एफ.ए.आर. माना जावेगा) के अनुसार ही होगा एवं अन्य पेरामीटर्स इन विनियमों के प्रावधान अनुसार देय होंगे। विकासकर्ता वर्तमान विनियमों के अनुसार यदि अधिकतम एफ.ए.आर. का लाभ प्राप्त करना

चाहता है तो टी.डी.आर. का उपयोग अथवा नियमानुसार बेटरमेंट लेवी देय होने पर अनुज्ञेय किया जा सकता है। पूर्व में अनुमोदित व निर्मित भवनों में अधिकतम एफ.ए.आर. प्रस्तावित किये जाने पर अनुमोदित एफ.ए.आर. को मानक एफ.ए.आर. मानते हुये बेटरमेन्ट लेवी की गणना की जावेगी। नगर विकास न्यास /नगर पालिका द्वारा नीलामी से बेचे गये/आवंटित भूखण्डों के भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही प्रचलित नियमानुसार विक्रय/आवंटन की दिनांक से 5 वर्ष पश्चात् ही की जा सकेगी एवं समस्त मानदण्ड परिवर्तित उपयोग की तालिका अनुसार अनुज्ञेय होंगे। जिन भूखण्डों का मास्टर प्लान में उपयोग के अनुरूप उपयोग किया जाना आशायित हो, उनमें समय की बाध्यता नहीं होगी।

19.6 जिन प्रकरणों में पूर्व विनियमों/नियमों के अधीन भवन निर्माण किये जाने की अवधि समाप्त हो चुकी है एवं अनुमोदित मानचित्रों के अनुसार भवन का निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ है वहां निर्माण कार्य हेतु इन विनियमों के अधीन भवन मानचित्र अनुमोदन कराना आवश्यक होगा।

19.7 विशेष प्रावधानः

1. हैरिटेज संरक्षणः– हैरिटेज संरक्षण हेतु प्रभावी विनियम के प्रावधान भवन विनियमों के प्रावधानों से सर्वोपरि होंगे।
2. आर्थिक दृष्टि से कमजोर व कच्ची बस्ती पुर्नविकास हेतु प्रभावी नीति के मानदण्ड इन विनियमों के मानदण्डों से सर्वोपरि होंगे। ऐसी योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से कमजोर श्रैणी के प्रत्येक आवास के लिए एक दुपहिया वाहन की पार्किंग उपलब्ध करानी होगी।
3. टी.डी.आर. (Transferable Development Right) का प्रावधान मास्टर प्लान में उल्लेखित मानदण्डों अथवा टी.डी.आर. के विनियम / पॉलिसी के अनुसार अनुज्ञेय किया जा सकेगा।
4. 1500 वर्गमीटर से बडे भूखण्ड पर पार्किंग टावर का निर्माण अनुज्ञेय किया जा सकेगा, जिसमें सेटबेक व अन्य मापदण्ड तालिका ''4'' में दिए गए सेटबेक के अनुरूप होंगे तथा एफ.ए.आर. की सीमा नहीं होगी।
5. दूरसंचार यथा– पेजिंग, सेल्यूलर मोबाइल, सेटेलाइट टी.वी. आदि के लिए टावर का निर्माण संबंधित नगर पालिका/नगर विकास न्यास की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए आवेदक को स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा प्रमाणित टावर के स्ट्रक्चर प्लान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। जिनकी जॉच एवं अनुमोदन पंजीकृत सर्टिफाईड स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा की जायेगी।

6. पुर्न–विकास योजनाओं (Redevelopment Scheme):– नगरीय क्षेत्र में पूर्व में बनाई गई योजनाओं यथा आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक आदि के संबंध में पुर्नविकास की योजनाएँ बनाई जा सकेगी। ऐसी योजनाओं के भूखण्डों मय सडकों आदि को संयुक्त रूप से मिलाकर अनुज्ञेय किये जाने हेतु पृथक से मापदण्ड निर्धारित किए जावेंगे, जिनको इन विनियमों का भाग माना जावेगा, इन क्षेत्रों का चिन्हिकरण, विस्तृत भवन मापदण्ड एवं प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार होंगे। इस प्रकार की Redevelopment Scheme हेतु प्रोत्साहन स्वरूप Incentive दिये जायेगें तथा एफ.ए.आर. एवं अन्य मापदण्डों में शिथिलता भी दी जा सकेगी। ऐसी योजनाएँ Swiss Challenge आधार पर भी बनाई जा सकेगी।

7. **"मास्टर प्लान में जिन सड़कों के साथ व्यवसायिक भू उपयोग पट्टी दर्शाई गई है उन सड़कों पर सड़क की चौड़ाई का डेढ़ गुणा अथवा योजना के मूल भूखण्ड की एकल गहराई तक अथवा योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार व्यवसायिक भवन निर्माण की अनुमति अनुज्ञेय होगी।**

8. अतिरिक्त एफ.ए.आर. के लिए आवश्यक मापदण्ड :–

(क) अतिरिक्त एफ.ए.आर. के लिए नियमानुसार पार्किंग का प्रावधान करना होगा, जिसकी पूर्ति मैकेनिकल पार्किंग से भी की जा सकेगी।

(ख) अतिरिक्त एफ.ए.आर. बहुमंजिलें व्यावसायिक व आवासीय/ग्रुप हाउसिंग/संस्थागत परिसर/भूखण्डों पर ही देय होगा।

(ग) अतिरिक्त एफ.ए.आर. का प्रावधान सभी योजना/गैर योजना/डिस्ट्रिक्ट सेन्टर/ नीलामी द्वारा फ्लोर एरिया बेसिस/कुल निर्मित क्षेत्रफल के आधार पर पूर्व में भी बेचे गये भूखण्ड आदि पर भी अतिरिक्त देय होगा।

(घ) अतिरिक्त एफ.ए.आर. का उपयोग पूर्व में निर्मित, अर्द्ध निर्मित भवन पर एवं कम्पाउण्डिंग हेतु भी किया जा सकेगा।

(ड) भूखण्ड पर इस अतिरिक्त एफ.ए.आर. का उपयोग, अनुज्ञेय ऊंचाई में नहीं कर पाने की दशा में 50 प्रतिशत तक अधिकतम आच्छादित क्षेत्र अनुज्ञेय होगा। उक्त शिथिलता अग्र सेटबैक को छोड़कर बाकी सेटबैक में 1 स्टेप नीचे का देय होगी।

9. राजस्थान आवासन मंडल की योजनाओं में निर्मित आवासीय भवनों में भवन कर्ता भवन विनियमों के आधार पर आवश्यक संशोधन यथा ऊपरी मंजिल पर विनियमों देय ऊँचाई तक निर्माण कर सकेगा। इसके लिए पृथक से अनुमति लेनी की आवश्यकता नहीं होगी केवल राजस्थान आवासन मंडल/ नगर विकास न्यास /नगर पालिका को निर्माण से पूर्व सूचना प्रेषित की जानी होगी। यदि अतिरिक्त निर्माण नियमों के प्रावधानों से अधिक किया गया है तो उसके संबंध में नियमबद्धता नियम के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

10. राज्य सरकार द्वारा जारी नई टाउनशिप पॉलिसी 2010 एवं इन विनियमों के लागू होने के उपरान्त नई परियोजना प्रस्तुत किये जाने पर सम्पूर्ण योजना क्षेत्र पर ग्लोबल एफ.ए.आर. नई टाउनशिप पॉलिसी 2010 में वर्णित अनुसार ही होगी।

11. ग्रीन बिल्डिंग्स को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा जिनके लिए राज्य सरकार द्वारा अलग से दिशा–निर्देश जारी किए जाएगें।

12. भवन मानचित्र स्वीकृति के पश्चात् भवन के निर्माण के दौरान यदि जनहित में यह उचित प्रतीत किया गया कि यातायात बाधित होने की स्थिति या अन्य किसी विशिष्ट परिस्थिति जैसे आर.ओ.बी., रेल्वे लाईन व अन्य सुरक्षा कारणों के फलस्वरूप स्वीकृत मानचित्र में परिवर्तन करना आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार की पूर्वानुमति से ऐसा किया जा सकेगा।

13 किसी प्रकरण में यदि भवन मानचित्र पूर्व में प्रचलित भवन विनियम के तहत अनुमोदन किये गये है तो संशोधित मानचित्रो के अनुमोदन के समय उन्ही भवन विनियम के प्रावधान लागू होगे जिनके तहत पूर्व में अनुमति दी गई। परन्तु अनुमोदित मानचित्रो के अनुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ नही किया गया है ऐसी स्थिति में संशोधित मानचित्रो का वर्तमान में प्रचलित भवन विनियमो के प्रावधानो के अनुरूप अनुमोदन की कार्यवाही की जावेगी। लेकिन न्यूनतम सेट–बैक एवं मानक एफएआर पूर्व के देय होंगे।

14 ऐसे प्रकरण जिसमें एन्वायरमेन्ट क्लियरेन्स की नियमानुसार आवश्यकता है उसके भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जा सकेगे परन्तु भवन मानचित्र में यह शर्त अकिंत की जावेगी कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक के निर्माण करने से पूर्व पर्यावरण अनात्ति प्रामण पत्र विकासकर्त्ता द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। एन्वायरमेन्ट क्लियरेन्स की जिम्मेदारी भवन निर्माता/विकासकर्त्ता की होगी।

15 भवन मानचित्र से संबंधित तकनीकी गणनाओ/परीक्षण आदि उप नगर नियोजक द्वारा किये जावेगे तथा अनुमोदन शुल्क व अन्य संबंधित शुल्को की गणना लेखाधिकारी/संबंधित सहायक लेखाधिकारी द्वारा की जावेगी।

16 राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी विभिन्न पालिसियॉ /परीपत्र / आदेश मे उल्लेखित प्रावधान भवन विनियमो के प्रावधानो से सर्वोपरी (over Riding) होगे।

17 नगरीय निकाय द्वारा भवन मानचित्र अनुमोदन करने के पश्चात जारी करने में विलम्ब होता है तथा किसी विकासकर्त्ता द्वारा भवन मानचित्र अनुमोदन के उपरान्त निर्माण का अनुमोदित मानचित्र के अनुसार प्रारम्भ करने की स्थिति में वह निर्माण बिना अनुमति निर्माण की श्रेणी में नही माना जावेगा।

18 राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग व अन्य मार्गो पर ग्रीन बफर हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में का अधिकतम 33 प्रतिशत क्षेत्र सडक, पार्किंग आदि हेतु अनुज्ञेय किया जा सकेगा। ग्रीन बफर में विकासकर्ता को सघन वृक्षारोपण भी करना होगा।

19 समस्त प्रकार के भू–उपयोगो के भूखण्डो का उप विभाजन एवं पुनर्गठन अनुज्ञेय होगा इस हेतु विभागीय परिपत्र दिनांक 19.02.2010 एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों मे उल्लेखित नियम/शर्ते लागू होगी।

20 मास्टर प्लान व भवन विनियमों के प्रावधानों/मापदण्डो में कोई भी भिन्नता होने पर भवन विनियमों के प्रावधान मान्य होंगे।

नोट : 1. इन विनियमों में सरलीकरण की दृष्टि से 3.0 मीटर की गणना जहां आवश्यक हो 10 फीट के रूप में दी जावेगी।

सचिव
नगर विकास न्यास, भिवाड़ी

अनुसूची–1

विभिन्न गतिविधियां एवं कार्य संगत के आधार पर आवश्यक भवनो की सूची

क्र.स.	भवनो की प्रकृति	गतिविधियां एवं कार्य संगत
1	आवासीय	फार्म हाउस, प्लाटेड, आवासन, ग्रुप/फ्लेटस, आवासन।
2	वाणिज्यिक	भण्डारगार एवं अ–ज्वलनशील वस्तुओ के लिए डिपो कोल्ड स्टोरेज एवं दुग्धप्रशीतक संयत्र, जंक यार्ड पेट्रोल उत्पादन डिपो, गैस गोदाम कोल यार्ड ईधन लकडी यार्ड स्टीलयार्ड फल एवं सब्जी बाजार डयेरी उत्पादन बाजार कन्फेक्शनरी बाजार, पशु बाजार, चारा बाजार, खाद्य तेल/घी बाजार, खाद्यान्न/दाल/मसाला/शुष्क फल बाजार, बाददाना बाजार, चाय बाजार किराना बाजार, मुर्गी उत्पादन बाजार, वस्त्र होजरी एवं गारमेट बाजर, लौह एवं इस्पातल/हार्डवेयर बाजार, सीमेन्ट एवं सीमेन्ट उत्पादन बाजार, टिम्बर प्लाईवुड एवं ग्लास बाजार, फर्नीचर एवं फिक्सचर बाजार पेन्ट एवं वार्निश बाजार पत्थर पट्टी बाजार, संगमरमर एवं अन्य बिल्डिंग स्टोन बाजार, ईट/बजरी/चूना बाजार, सेनीटरी फिटिंग बाजार, अन्य निर्माण सामग्री वस्तु बाजार, मत्स्य एवं मांस बाजार रसायन बाजार, औषध बाजार, शल्य चिकित्सा/वैज्ञानिक उपकरण बाजार, कागज/लेखन सामग्री/पुस्तक प्रकाशन बाजार, गुद्राणलय क्षेत्र इलेक्ट्रोनिक/विद्युत सामान बाजार ऑटोमोबाईल एवं अन्य इंजीनियरिंग पुर्जा बाजार, लुब्रिकेटिंग ऑयल आजार, टायर एवं ट्यूब बाजार, पारस्परिक हस्तकला बाजार, शिल्पीकृत प्रस्तर बाजार, पटाखा बाजार, कार्ड बोर्ड कन्टेनर्स एवं कागजी थैली बाजार, तम्बाकु एवं सहउप्पादन बाजार, प्लास्टिक उत्पादन, क्राकरी एवं बरतन बाजार, सोना, चादी, जवाहरात एवं रत्न बाजार चर्म उत्पादन बाजार, साईकिल बाजार, धातु उत्पादन बाजार, खिलौना एवं खेलकुद के सामान का बाजार, खुदरा दुकाने, रिपेयर शॉप/सर्विस शॉप/विविध विनिर्माण दुकान, साप्ताहिक बाजार/हाट बाजार, बेडिंग बूथ (स्थि) कियोस्क, अनोपचारिक खदरा दुकाने, रेस्टोरेंट/कैफेटेरिया, निजी क्षेत्र के व्यवसायिक प्रतिष्ठान, बैंक, प्रदर्शनी एवं बिक्रि क्षेत्र, केटरर, टेंट हाउस, होटल, मोटल, पेट्रोल फिलिंग स्टेशन, ऑटो सर्विस स्टेशन, जंक शॉप, पुष्प विक्रेता, डेयरी बूथ, फल एवं सब्जी की दुकान, नाई की दुकान, सिनेमा, मल्टीप्लेस।
3	संस्थागत भवन	स्रकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय, स्वायत्त शासन कार्यालय, सरकारी आरक्षित क्षेत्र, विश्वविद्यालय, शैक्षिक महाविद्यालय, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, आयुर्वेदिक महाविद्यालय, होम्योपैथिक महाविधालय, नर्सिंग प्रशिक्षण महाविद्यालय, अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय, पॉली क्लिनिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक पाठशाला, पूर्व प्राथमिक शाला, विकलांग बालको के लिए विद्यालय, ऑटो मोबाईल्स स्कूल व्यवसायिक प्रबंध संस्थान, होटल प्रबंध संस्थान, स्वास्थ रक्षा प्रबंध संस्थान, ग्रामीण प्रबंध सस्थान, स्वयंसेवी सस्थाऐ, औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान, सरकारी/अर्द्धसकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रशिक्षण संस्थान वोकेशनल प्रशिक्षण सस्थान, खेलकूद पश्क्षिण सस्थान, अतिथि गुह, रेन बसेरा, धर्मशाला, मेरिज हॉल, शिशु सदन/कामकाजी महिला सदन वुद्धावस्था सदन,छात्रावास, प्रौढ शिक्षा/शिक्षाकर्मी केन्द्र आदि, कला एवं हस्तकला प्रतिक्षण केन्द्र, आगनबाडी केन्द्र केन्द्रीय जनरल रेफरल हॉस्पिटल, सेटेलाईट अस्पताल हद्य रोग चिकित्सा अस्पताल, वक्ष एवं क्षय रोग अस्पताल, नेत्र अस्पताल, मनोविकृत, कैंशर अस्पताल एड्स अस्पताल, दन्त चिकित्सा अस्पताल एवं महाविद्यालय, हडिड्यो काअस्पता हौम्योपैथिक अस्पताल, नूरानी अस्पताल, प्रकृतिक चिकित्सालय, पशु अस्पताल, पक्षी अस्पताल, कुष्ठ रोग अस्पताल, चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पैथेलॉजिकल लैबोरेट्री/क्लिनिक डाईनोस्टिंक, प्रसूति नर्सिंग सदन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र निजी नर्सिंग सदन, सामुदायिक केन्द्र, स्थायी व्यवपार मेला भूमि, योग एवं साधना केन्द्र, धार्मिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक केन्द्र, श्मशान, कब्रिस्तान/सीमेट्री, अग्निशमन जेल, सुधार/बाल अपराध सदन, टेलीफोन एक्सचेन्ज, डाकघर तारघर निजी कोरियर सेवा दुरदर्श केन्द्र आवाशवाणी दुरसचार टावर एवं स्टेशन, गैस बुकिंग/सप्लाई स्थान, पुलिस थाना, पुलिस चौकी पुलिस लाईन नागरिक सुरक्षा/होमगार्ड, फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला।

4	औद्योगिक	कृषि आधारित उद्योग, यांत्रिकी अभियांत्रि.क, रसायन एवं औषध उद्योग, धात्विक उद्योग, वस्त्रउद्योग, ग्लास एवं सिरेमक उद्योग, चर्म उद्योग, सीमेन्ट उद्योग, जोखिम प्रदान उद्योग प्लास्टि उद्योग, ग्रेनाइट संगमरमर एवं अन्य कटिंग एवं पॉलिशिंग उद्योंग, सैनेट्री वेयर उद्योग, सीमेन्ट उत्पाद उद्योग, बिजली सामग्री उद्योग, इलेक्ट्रोनिक उद्योग, गलीचा उद्योग, स्टील फर्नीचर उद्योग, वस्त्ररंगाई एवं छपाई उद्योग, टायर रिट्रेडिंग, वध गुह एवं अन्यमास प्रोसेसिंग उद्योग, कुटिर/गृह उद्योग, डेयरी प्लांट, स्टोन क्रेशर, खनन एवं खदान, ईट व चूना भट्टे।
5	विशष प्रकृति	थियेटर, सभगार भवन, ठोस कूडाकरकट संग्रह केन्र ठोस कूडाकरकट उपचार संयंत्र एवं निस्तारण भूमि के भवन सीवरेज, गन्दा जल उपचार संयत्र, सुलभ शौचालय/पब्लिक शौचालय, चमडी एवं हड्डी संग्रह केन्द्र, वध गुह, वाटर फिल्टर एवं ट्रीटमेंट प्लान्ट, जल सेवा के जलाशय एवं पब्लिक स्टेशन, प्याउ, पावरगिड स्टेशन, विद्युत एत्पादन संयंत्र, पार्क एवं खेल के मैदान, अन्य खुले स्थान, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम थियेटर, खुला थियेटर/रंगमंच, गोल्फ मैदान, पोलोग्राउण्ड, इण्डोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम, खेलकूद परिसर, रीजनल पार्क/शहर स्तरीयपाक, पक्षीय अभयारण्य, वनस्पति पार्क, प्राणी विज्ञान पार्क, बाल यातायात प्रशिक्षण पार्क, एक्यूरियम व्यवपक परिवहन कोरीडोर, पार्किंग स्थल, तांगा स्टेण्ड, टैक्सी स्टेण्ड बेलगाडी/ऊटगाडी स्टेण्ड , रिक्श स्टेण, रेलवे स्टेशन, रेलवे सामान यार्ड, एयर पोर्ट, हैलीपेड, एयर कागो परिसर, नगर पालिका चुगी चौकी, ट्रक टर्मिनल्स/ट्रक स्टेण्ड, पथकर चौकी, बिक्री कर चौकी, चैक पोस्ट बस टिकिट बुकिंग एवं आरक्षण कार्यालय, कन्टेनर सेवा परिसर, कृषि अनुसंधान फार्म, कृषि फार्म, टिश्यूकल्चर, उपवन, पौधशाला, मुर्गीपालन, डयेरी एवं सुअर/बकरी एवं भेड/अश्व फार्म

टिप्पणीः– उपरोक्त विशेष प्रकृति के भवनो की गतिविधियों एवं कार्य के लिए भवन जहॉ कही भी आवश्यक हो सक्षम अध्धिकारी/समिति द्वारा मानक स्तर निर्धारित किए जा सकेगे।

अनुसची–2

वर्षा जल संग्रहण हेतु संरचनाऐं

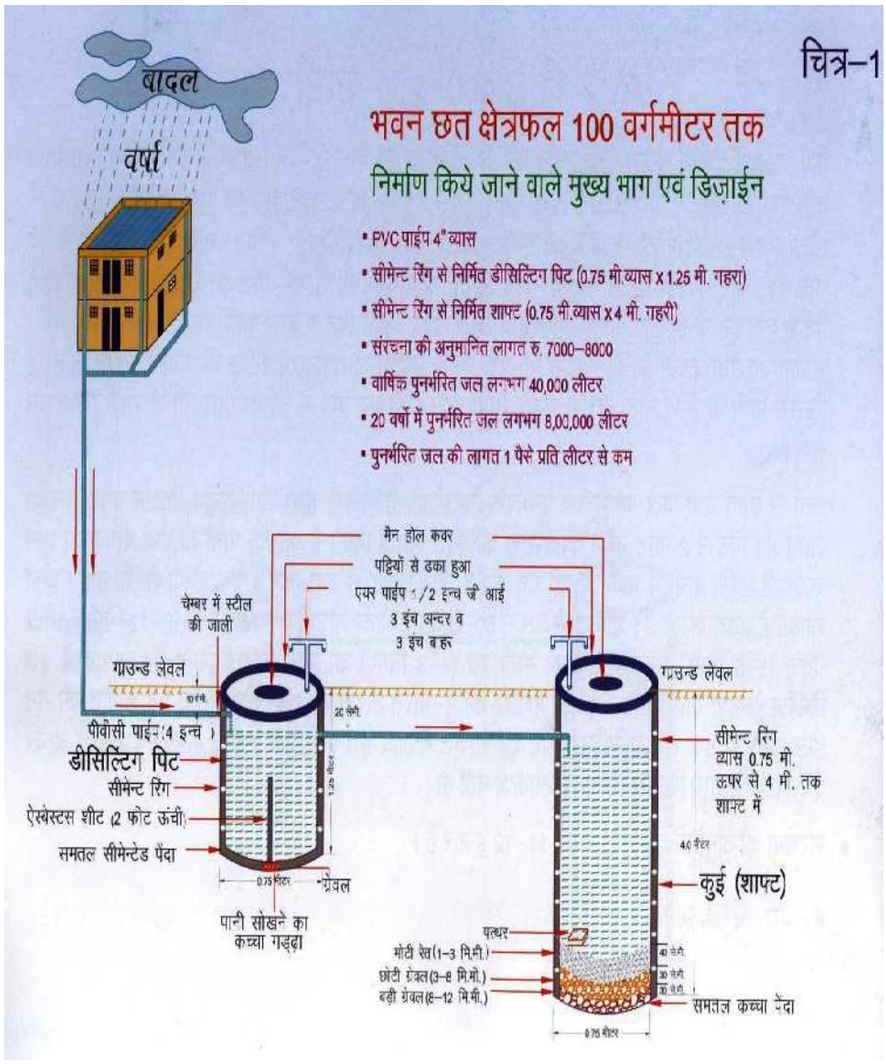

चित्र–2

भवन छत क्षेत्रफल 100 से 200 वर्गमीटर तक

निर्माण किये जाने वाले मुख्य भाग एवं डिज़ाईन

- PVC पाईप 4" व्यास
- सीमेन्ट रिंग से निर्मित डीसिल्टिंग पिट (0.75 मी.व्यास x 1.25 मी. गहरा)
- सीमेन्ट रिंग से निर्मित शाफ्ट (0.75 मी.व्यास x 8 मी. गहरी)
- संरचना की अनुमानित लागत रु. 11,000–12,000
- वार्षिक पुनर्भरित जल लगभग 83,000 लीटर
- 20 वर्षो में पुनर्भरित जल लगभग 16,60,000 लीटर
- पुनर्भरित जल की लागत 1 पैसे प्रति लीटर से कम

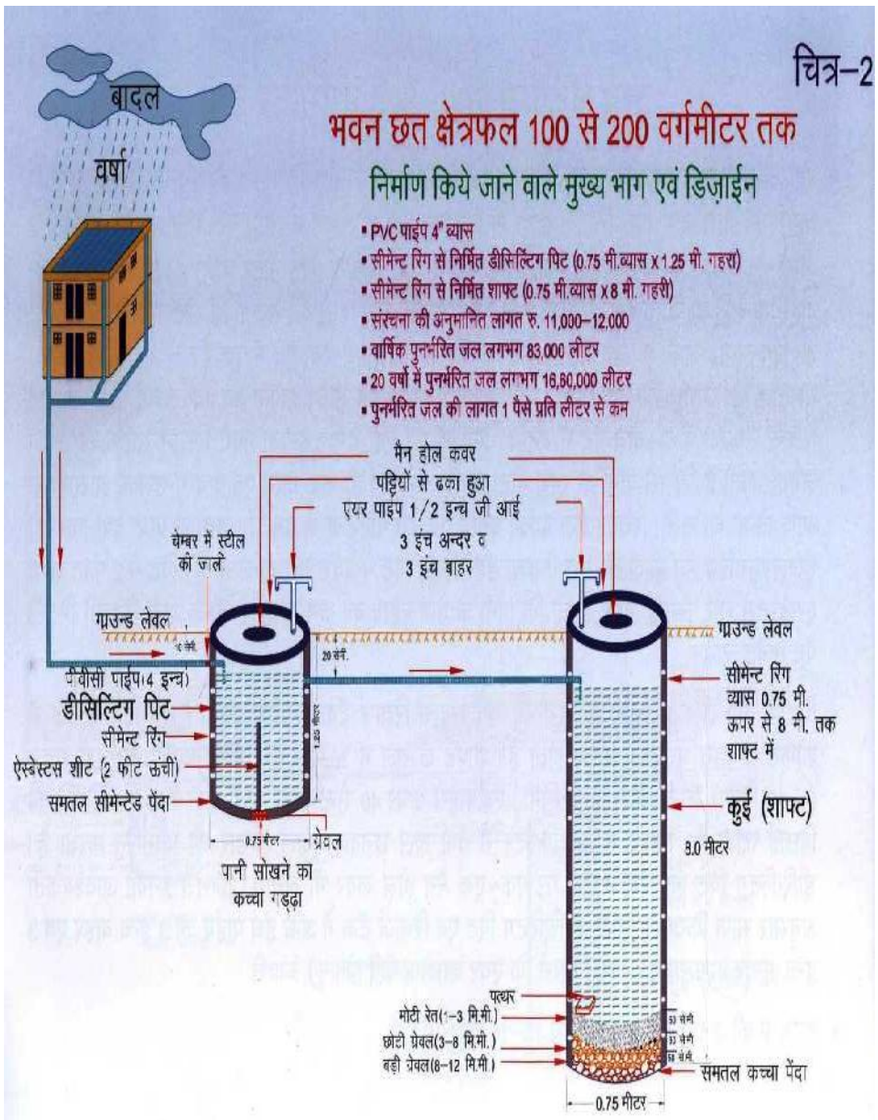

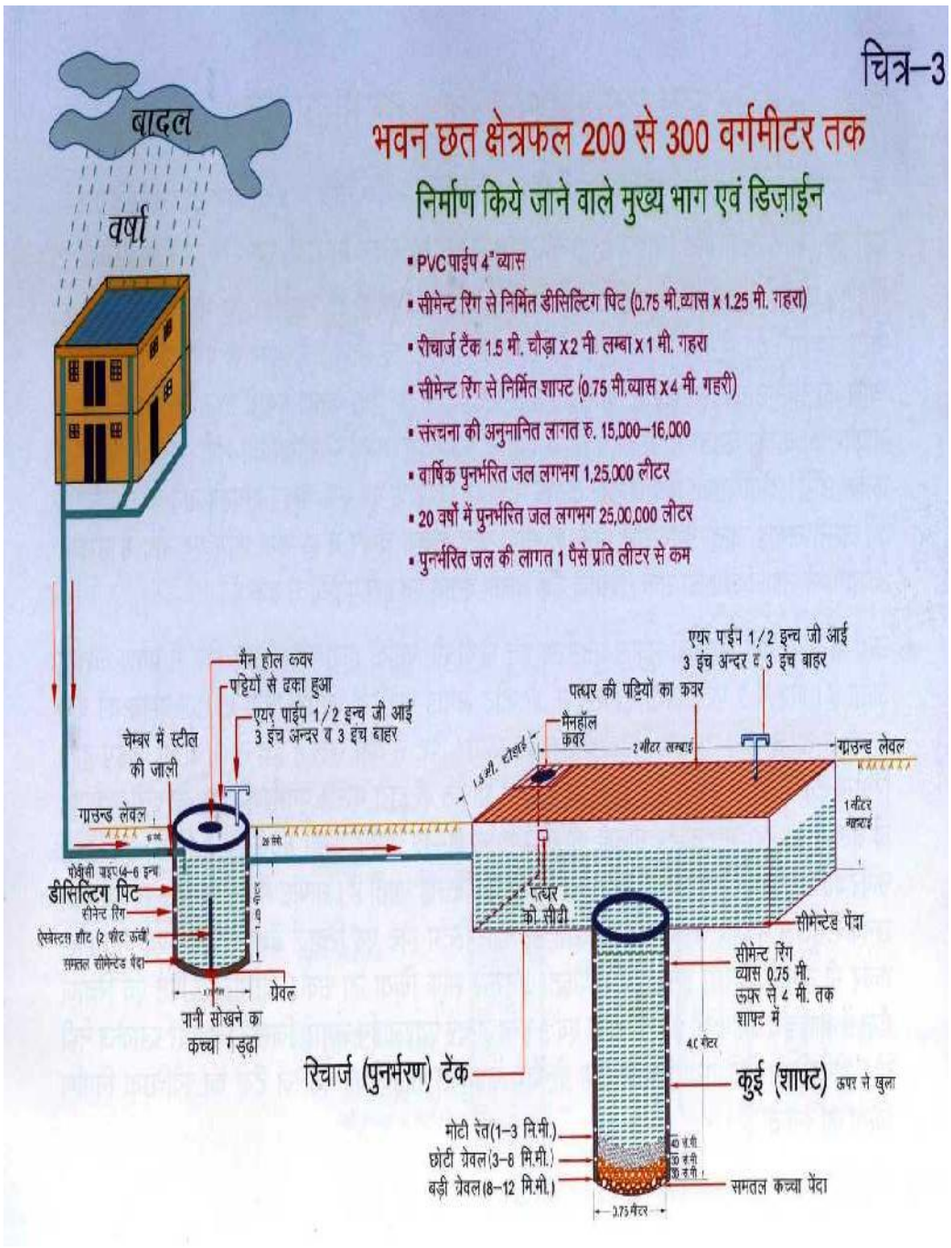

चित्र–3
भवन छत क्षेत्रफल 200 से 300 वर्गमीटर तक
निर्माण किये जाने वाले मुख्य भाग एवं डिज़ाईन
▪ PVC पाईप 4" व्यास
▪ सीमेन्ट रिंग से निर्मित डीसिल्टिंग पिट (0.75 मी.व्यास x 1.25 मी. गहरा)
▪ रीचार्ज टैंक 1.5 मी. चौड़ा x 2 मी. लम्बा x 1 मी. गहरा
▪ सीमेन्ट रिंग से निर्मित शाफ्ट (0.75 मी.व्यास x 4 मी. गहरी)
▪ संरचना की अनुमानित लागत रु. 15,000–16,000
▪ वार्षिक पुनर्भरित जल लगभग 1,25,000 लीटर
▪ 20 वर्षों में पुनर्भरित जल लगभग 25,00,000 लीटर
▪ पुनर्भरित जल की लागत 1 पैसे प्रति लीटर से कम
बादल
वर्षा
मैन होल कवर
पट्टियों से ढका हुआ
एयर पाईप 1/2 इन्च जी आई
3 इंच अन्दर व 3 इंच बाहर
चेम्बर में स्टील
की जाली
ग्राउन्ड लेवल
डीसिल्टिंग पिट
सीमेन्ट रिंग
समतल सीमेन्टेड पैंदा
ग्रेवल
पानी सोखने का
कच्चा गड्ढा
एयर पाईप 1/2 इन्च जी आई
3 इंच अन्दर व 3 इंच बाहर
पत्थर की पट्टियों का कवर
मैनहॉल
कवर
2 मीटर लम्बाई
ग्राउन्ड लेवल
1 मीटर
गहराई
पत्थर
की सीढ़ी
सीमेन्टेड पैंदा
सीमेन्ट रिंग
व्यास 0.75 मी.
ऊपर से 4 मी. तक
शाफ्ट में
रिचार्ज (पुनर्भरण) टेंक
कुई (शाफ्ट) ऊपर से खुला
मोटी रेत(1–3 मि.मी.)
छोटी ग्रेवल(3–8 मि.मी.)
बड़ी ग्रेवल(8–12 मि.मी.)
समतल कच्चा पैंदा
0.75 मीटर

चित्र–4

भवन छत क्षेत्रफल 300 से 500 वर्गमीटर तक

निर्माण किये जाने वाले मुख्य भाग एवं डिज़ाईन

- PVC पाईप 6" व्यास
- सीमेन्ट रिंग से निर्मित डीसिल्टिंग पिट (0.75 मी.व्यास x 1.50 मी. गहरा)
- रीचार्ज टैंक 1.5 मी. चौड़ा x 3 मी. लम्बा x 1 मी. गहरा
- सीमेन्ट रिंग से निर्मित शाफ्ट (0.75 मी.व्यास x 4 मी. गहरी) (संख्या 2)
- संरचना की अनुमानित लागत रु. 24,000 अधिक
- वार्षिक पुनर्भरित जल लगभग 2,00,000 लीटर
- 20 वर्षो में पुनर्भरित जल लगभग 40,00,000 लीटर
- पुनर्भरित जल की लागत 1 पैसे प्रति लीटर से कम

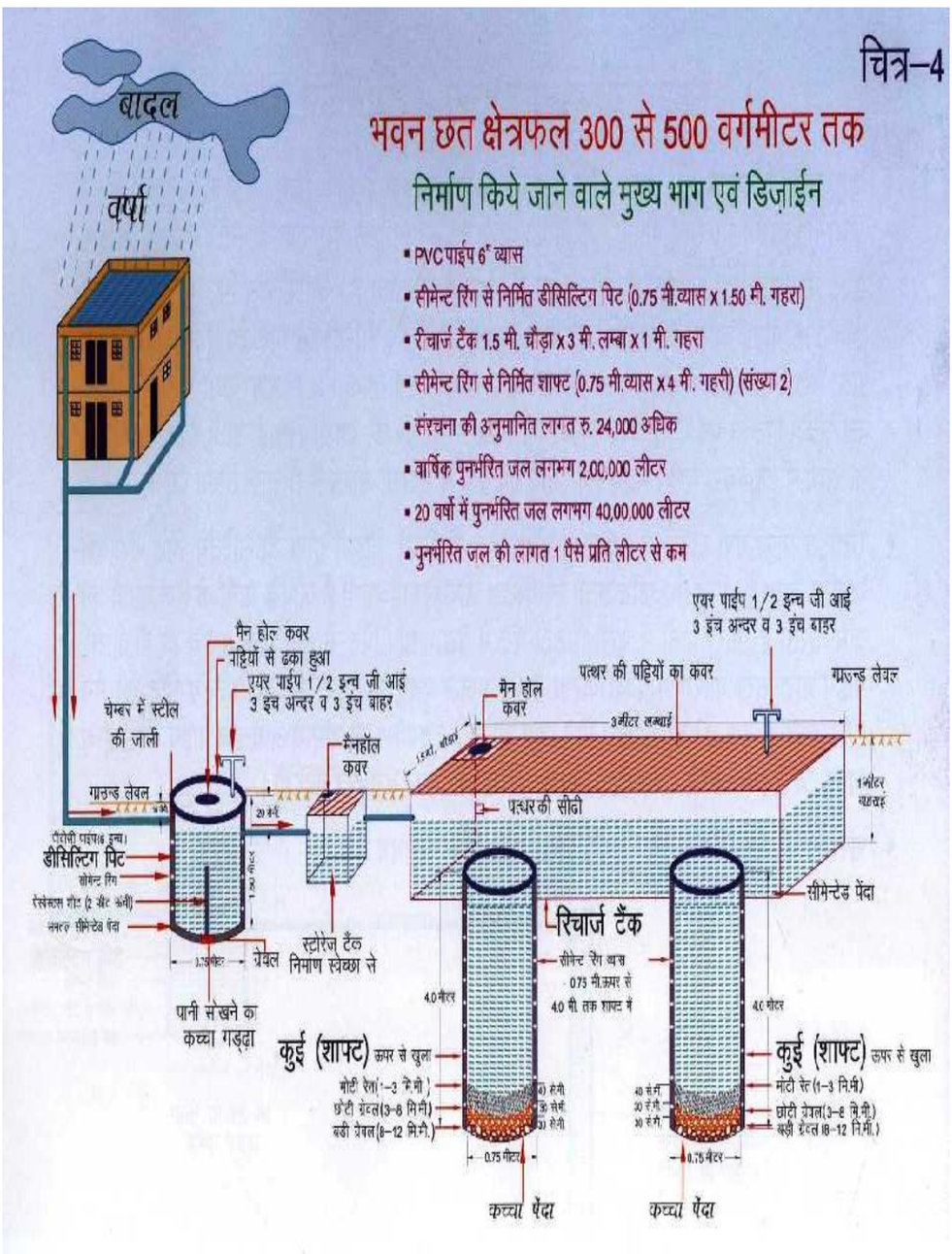

चित्र–5

खराब या सूखे बोरिंग / ट्यूबवैल द्वारा भूजल पुनर्भरण संरचना
भवन छत क्षेत्रफल 100 से 500 वर्गमीटर तक

निर्माण किये जाने वाले मुख्य भाग एवं डिज़ाईन

- PVC पाईप 4"-6" व्यास
- सीमेन्ट रिंग से निर्मित डीसिल्टिंग पिट (0.75 मी. व्यास x 1.50 मी. गहरा)
- खराब / सूखा बोरिंग
- संरचना की अनुमानित लागत रु. 1500 से 2000
- वार्षिक पुनर्भरित जल लगभग 40,000–2,00,000 लीटर
- 20 वर्षो में पुनर्भरित जल लगभग 8,00,000–40,00,000 लीटर
- पुनर्भरित जल की लागत 1 पैसे प्रति लीटर से कम

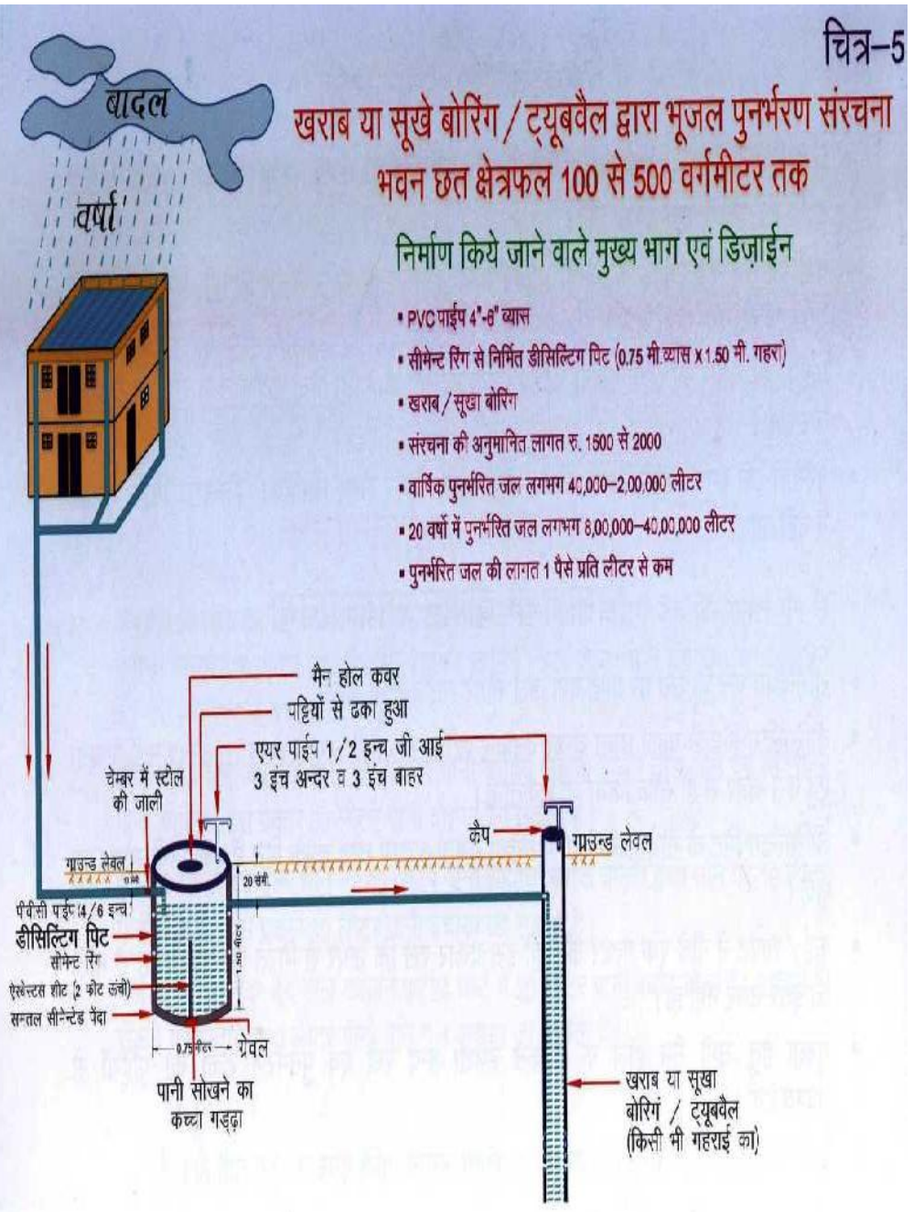

अनुसूची –3

भवन निर्माण संबंधित दरें

1. प्रार्थना पत्र का शुल्क आवासीय में — रूपये 100/– प्रति पत्रावली

2. प्रार्थना पत्र का शुल्क व्यावसायिक/संस्थागत/ मिश्रित /अन्य — रूपये 300/– प्रति पत्रावली

3. जांच फीस (प्रार्थना पत्र के साथ देय) (भूखण्ड के क्षेत्रफल पर देय)

(अ) आवासीय/संस्थागत (व्यावसायिक को छोड़कर अन्य सभी उपयोग) — रूपये 10/– प्रति वर्गमीटर

(ब) व्यावसायिक — रूपये 30/– प्रति वर्गमीटर

(स) मिश्रित एवं अन्य — रूपये 20/– प्रति वर्गमीटर

4. मानचित्र अनुमोदन शुल्क (अनुमोदित मानचित्र जारी करने से पूर्व देय)

(एफएआर में गणना योग्य क्षेत्रफल पर देय)

i. आवासीय/संस्थागत/औद्योगिक (व्यावसायिक को छोड़कर अन्य सभी उपयोग)

(क) 500 वर्गमीटर तक के भूखण्ड — रूपये 500/– (एकमुश्त)

(ख) 500 वर्गमीटर से अधिक — रूपये 30/– प्रति व0मी0

ii. व्यावसायिक

(क) 100 वर्गमीटर तक के भूखण्डों के लिये — रूपये 2000/– (एक मुश्त)

(ख) 100 वर्गमीटर से अधिक 250 वर्गमीटर तक के भूखण्डों के लिये — रूपये 5000/– (एक मुश्त)

(ग) 250 वर्गमीटर से अधिक 500 वर्गमीटर तक के भूखण्डों के लिये — रूपये 7,000/– (एक मुश्त)

(घ) 500 वर्गमीटर से अधिक 1500 वर्गमीटर तक के भूखण्डों के लिये — रूपये 50/– प्रति व0मी0

(ड़) 1500 वर्गमीटर से अधिक — रूपये 60/– प्रति व0मी0

(च) मोटल व रिसोर्टस् के लिये — रूपये 30/– प्रति व0मी0

5. भवन विस्तार –

यदि किसी पूर्व निर्मित भवन के क्षेत्र में विस्तार किया जाता है तो अतिरिक्त प्रस्तावित एफ.ए.आर. के क्षेत्रफल बिन्दु संख्या 4 के अनुसार अनुमोदन शुल्क देय होगा।

6. नवीनीकरण –

आवेदक द्वारा एक बार निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् मानचित्र की वैद्य अवधि के दौरान पुनः मानचित्र संशोधित कर अनुमोदित कराये जाते है तो अनुमोदन शुल्क का 10

प्रतिशत देय होगा निर्धारित अवधि के पश्चात् मानचित्र का नवीनीकरण करवाया जाता है तो अनुमोदन शुल्क का 20 प्रतिशत देय होगा।

7. अधिवास प्रमाण शुल्क – (निर्मित क्षेत्रफल Gross Built up Area पर देय)

सभी बहुमंजिले भवनों (15 मीटर से अधिक/15 मीटर से कम किन्तु 5000 वर्गमीटर से अधिक निर्मित क्षेत्रफल) के लिये कार्य पूर्ण करने का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा, जिसकी दरें निम्न प्रकार होगी –

(अ) आवासीय/संस्थागत रूपये 10/– प्रति व0मी0

(व्यावसायिक को छोड़कर अन्य सभी उपयोग)

(ब) व्यावसायिक रूपये 20/– प्रति व0मी0

8. चैरिटेबल संस्थाऐं जिन्हें रियायती दर पर भूमि आवंटन का प्रावधान है, यथा वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम/आवास, रेनबसेरा, गुंगें–बहरों/मानसिक अशक्त/विकलांगों हेतु प्रस्तावित प्रशिक्षण/शिक्षण संस्थान आदि में अनुमोदन शुल्क में राज्य सरकार द्वारा छूट दी जा सकेगी। राज्य सरकार के स्वामित्व के भवनों में भवन विनियम में उल्लेखित शुल्क देय नहीं होगा। अफॉर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी–2009 के तहत आवेदित प्रकरणों में भवन विनियम में उल्लेखित शुल्क देय नहीं होगा, लेकिन अमानत राशि ली जायेगी।

9. पार्किंग के लिये देय राशि होगी : 50000/– समतुल्य कार पार्किंग यह राशि तालिका '4' के क्र0 सं0 (i) पर ही लागू होगी।

10. पंजीकृत वकील द्वारा स्वामित्व के प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदक से निम्न प्रकार शुल्क लिया जा सकता है :–

(i) 500 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखण्डों के लिए रू. 500/–

(ii) 500 वर्गमीटर तक से अधिक के आवासीय भूखण्ड के लिए रू. 1000/–

(iii) 500 वर्गमीटर तक के आवासीय से भिन्न रू. 1000/–

(iv) 500 वर्गमीटर से अधिक के आवासीय से भिन्न भूखण्ड के लिए रू. 2000/–

11. मलबे के लिये निम्न राशि देय होगी :–

(i) 500 वर्गमीटर तक रू. 1000/–

(ii) 500 – 1000 वर्गमीटर तक रू. 3000/–

(iii) 1000 वर्गमीटर से अधिक रू. 5000/–

मलबे के लिए जो राशि प्रस्तावित की गई है, पार्टी द्वारा उठाने पर प्रतिदेय (Refundable) होगी।

12. उप विभाजन एवं पुर्नगठन हेतु शुल्क

व्यवसायिक 50 रू0 प्रति वर्ग मी0

अन्य प्रकार के भूखण्ड	25 रू0 प्रति वर्ग मी0

13 हॉस्टल/गेस्ट हाउस के प्रकरणों में अतिरिक्त मानचित्र अनुमोदन शुल्क गणना योग्य निर्मित क्षेत्रफल पर 30 रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से देय होगा।

14. अमानत राशि 14.14 के अनुरूप देय होगी।

16 राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों/परिपत्र के अनुरूप BSUP fund एवं अन्य राशि आवेदक/विकासकर्ता द्वारा देय होगी।

17 सभी प्रकरणों में भवन निर्माण संबंधित दरें ग्रेटर भिवाड़ी भवन विनियम 2011 के अनुसार लागू होगीं।

अनुसूची –4

सेवा में,

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,

भवन मानचित्र समिति

नगर विकास न्यास

भिवाड़ी।

विषयः– भूखण्ड संख्या .....योजना.....पर का भवन निर्माण अनुज्ञा/उपविभाजन/पुनर्गठन बाबत।

महोदय,

प्रार्थी द्वारा धारित भूखण्ड जिसका ब्यौरा नीचे दिया हुआ है, पर प्रार्थी भवन निर्माण/उपविभाजन/पुनर्गठन करना चाहता है–

भूखण्ड़ संख्या : .....

योजना का नाम : .....

मार्ग जिस पर भूखण्ड़ स्थित है। : .....

.....

नगर विकास न्यास भिवाड़ी, ग्रेटर भिवाडी भवन विनियम– 2011 में अपेक्षित निम्न दस्तावेज संलग्न करते हुए निवेदन है कि कृपया मानचित्र का अनुमोदन कर अनुज्ञा/स्वीकृत पत्र जारी करने का श्रम करेः–

क्र.स.	संलग्न क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1		भूखण्ड़ का स्थल मानचित्र (साईट प्लान)	
2		भूखण्ड़ का स्वामित्व दस्तावेज लीज/लाइसेंस डीड/आवंटन पत्र (यदि आवेदक स्वयं लीज धारक हो या लीजडीड़, पंजीकृत विक्रय, अभिलेख स्वयं भूखण्ड़ का नाम हस्तान्तरण प्रमाण पत्र। यदि आवेदक के किसी अन्य लीज धारक से भूखण्ड़ खरीद रखा है।)	
3		प्रस्तावित भवन मानचित्रों के सैट की पांच प्रतिया जिसमें दो क्लोथ माउन्टेड़ हो।	
4		बेसमेन्ट एवं स्टिल्ट के उस भाग को जिसे वाहनों की पार्किग हेतु उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित है के संबंध में नगर विकास न्यास, भिवाड़ी में आवश्यक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र	
5		भूखण्ड़ के सामने सड़क को चौडा करने के उद्देश्य से सड़क के साथ भूखण्ड़ में से भू–पट्टी समर्पित की जाने के सम्बन्ध में सरन्ड़र डीड़ तथा कब्जा संभलवाये जाने का प्रमाण–पत्र	
6		यदि आवंटन शर्तो/पट्टा शर्तो से किसी शर्त के विपरीत मानचित्र प्रस्तुत किए गए है तो सक्षम अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण–पत्र	
7		यदि प्रार्थी प्रस्तावित भवन को मास्टर प्लान में स्वीकृत भू–उपयोग के विपरीत भवन निर्माण करना चाहता है तो सक्षम अधिकारी द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र	
8		बहुमंजिले भवनों के मामलों में चीफ फायर ऑफिसर का सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।	
9		पेट्रोल पम्प एवं फिलिंग स्टेशन के मामलों में चीफ कन्ट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव एवं चीफ फायर ऑफिसर का सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।	
10		यदि प्रस्तावित भवन में तहखाना पडौसी के भूखण्ड़ की सीमा के 2 मीटर की दूरी से कम पर बनाया जाता है तो पडौसी व प्राधिकरण के हित में इन्डैमिनिटी बॉण्ड़।	
11		निकटवर्ती हवाई अड्डे की सीम से 2 कि.मी. की दूरी तक प्रस्तावित भवन की ऊँचाई के सत्बन्ध में नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	

12		प्रस्तावित भवन के वास्तुविद द्वारा 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र कि भवन सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं का मानक विनियमों एवं नेशनल बिल्ड़िंग कोड के अनुसार है।	
13		यदि भूखण्ड़ पर कोई वाद चल रहा है तों वाद सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी व वर्तमान स्थिति की पूर्ण सूचना।	
14		CERTIFICATE OF UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF THE PROVISION OF N.B.C. PART – VI FOR EARTHQUAK E SAFETY	
15		20000 वर्ग मी0 से अधिक निर्मित क्षेत्रफल होने की दृष्टि में प्रर्यावरण विभाग का अनापत्ती प्रमाण पत्र	

शुल्क तथा प्रभारः–

क्र.स.	मद	क्षेत्रफल/इकाई	दर (ईकाई)	रसीद संख्या	दिनांक	विवरण
1.	उपविभाजन/पुनर्गठन शुल्क					
2.	विकास शुल्क					
3.	परिधि विकास शुल्क					
4.	रूपान्तरण शुल्क					
5.	लीज राशि					
6.	भवन मानचित्र आवेदन शुल्क					
7.	जॉच शुल्क					
8.	मलबा शुल्क (अमानत राशि)					
9.	वर्षा जल पुर्नभरण (अमानत राशि)					
10.	भवन मानचित्र अनुज्ञा शुल्क					
11.	पार्किंग का कम स्थान उपलब्ध होने के एवज में शुल्क					
12.	नवीनकरण प्रमाण पत्र शुल्क					
13.	मानक एफ.ए.आर. से अतिरिक्त एफ.ए.आर. हेतु शुल्क					
14.	अधिवास प्रमाण पत्र शुल्क					
15.	मानचित्र की अतिरिक्त प्रति का शुल्क					
16.	बी.एस.यू.पी. शेल्टर फण्ड					
17.	बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ति					
18.	निर्धारित अवधि में निर्माण न करने की शास्ति					
19.	अन्य					

प्रार्थना पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज उपरोक्तानुसार स्वगणित शुल्क जमा कर चालान की प्रति संलग्न कर दिए गए है। अतः निवेदन है कि भवन निर्माण की अनुज्ञा/उप विभाजन/पुनर्गठन सम्बन्धी आदेश शीघ्रातिशीघ्र प्रदान करें।

दिनांक

हस्ताक्षर

प्रार्थी का नाम पता.....

तकनीकीविज्ञ द्वारा रूपयें 100 के नॉन ज्यूडिशियल

स्टाम्प पेपर पर नोटरी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित

अण्ड़रटेकिंग

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री.....
तकनीकीविज्ञ जिनका कार्यालय .....स्थित है पूरे होश हवाश में शपथपूर्वक निम्न तथ्यों का वर्णन करता हूँ:–

01. मै तकनीकीविज्ञ, वास्तुविद काउंसिल/नगर विकास न्यास भिवाड़ी मं पंजीकृत हूँ तथा पंजीयन नम्बर.....है।
02. मुझे भूखण्ड़ संख्या .....जो योजना .....के अन्तर्गत है उसके भवन मानचित्र तैयार करने एवं भवन के पर्यवेक्षण करने का कार्य तकनीकीविज्ञ होने के फलस्वरूप दिया गया है।
03. उपरोक्त भूखण्ड़ के लिए मेरे द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप भवन मानचित्र तैयार किए है।
04. मेरे द्वारा योजना के ले–आउट प्लान का अध्ययन कर लिया गया है तथा भूखण्ड़ व कालोनी से सम्बन्धी सभी दस्तावेजो की जानकारी प्राप्त कर ली है।

भवन मानचित्र का विस्तृत विवरण निम्न है।

(1) भूखण्ड़ का नाम व क्षेत्रफल.....

(2) भवन के पैरामीटरः–

	सैट बैकः–	अनुज्ञेय	प्रस्तावित	टिप्पणी
	(अ) सामने			
	(ब) पार्श्व–प्रथम			
	(स) पार्श्व–द्वितीय			
	(द) पीछे			

(3)	आच्छादित क्षेत्र			
(4)	भवन की ऊचाई			
(5)	फ्लोर एरिया का विवरणः–			
	(a) बेसमेन्ट			
	(b) स्टिलिट/भू–तल			
	(c) 1st Floor			
	(d) 2nd Floor			
	(e) 3rd Floor			
	(f) 4th Floor			
	(g) 5th Floor			

	(h) 6th Floor			
	(i) 7th Floor			
	(j) 8th Floor			
	(k) 9th Floor			
	(l) 10th Floor			
	(m) 11th Floor			
	(n) 12th Floor			
	(o) 13th Floor			
	(p) 14th Floor			
	(q) lfoZl ¶yksj			
	(r) VSjl lyksj			

सकल निर्मित क्षेत्रफल (कुल योग)

(6). एफ.ए.आर. की गणना

1. सकल प्रस्तावित निर्माण का क्षेत्रफल
2. पूर्व में स्वीकृत निर्माण का क्षेत्रफल/एफ.ए.आर.
3. पूर्व में निर्मित क्षेत्रफल/एफ.ए.आर.
4. सकल छूट योग्य क्षेत्रफल

(7) भूखण्ड का क्षेत्रफल

01. Net Plot area

02. Area Surrendered/ To be Surrender in Road

03. Total Plot Area

(8) पार्किंगः–

(अ) खुले में ....

(ब) भू–मंजिल पर ....

(स) आच्छादित पार्किंग ....

(द) बैसमेन्ट पार्किंग ....

कुल पार्किंगः–

(9). भूखण्ड का निरीक्षण मेरे द्वारा किया जा चुका है, इसका भू–उपयोग स्वीकृत योजना/मास्टर प्लान के अनुरूप है। भूखण्ड का मौके पर डिमार्केशन कर दिया गया है तथा मौके पर उपलब्ध भूखण्ड का नाप, आकार, स्थिति व क्षेत्रफल स्वीकृत योजना के अनुरूप ही है।

(10) योजना प्लान में दर्शायी गयी सड़क, नगर विकास न्यास, भिवाड़ी की भूमि या अन्य भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण भूखण्ड़धारी द्वारा नही किया गया है तथा मौके पर सड़क की चौड़ाई योजना में दर्शाये अनुसार उपलब्ध है।

(11) यदि भवन निर्माता किसी अवस्था में मुझे मेरी सेवा से मुक्त करता है तो मैं सम्बन्धित विभाग को 48 घण्टे के अन्दर सूचित करूगां।

(12) यदि किसी भी अवस्था में उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कुछ भी पाया जाये या स्थापित हो जाये तो सम्बन्धित विभाग कोई भी कार्यवाही मेरे विरूद्ध करने के लिए सक्षम होगा जिसमें मानचित्रों की स्वीकृति रद्द करना, मेरे को विभाग में मानचित्र प्रस्तुत करने की सेवा कार्य से हटाना भी शामिल है एवं काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर को उचित कार्यवाही करने हेतु सूचित किया जा सकता है।

(13) प्रस्ताव लीजड़ीड़ की शर्तों के अनुसारी है तथा लीजड़ीड़ के अनुसार जारी की गई निर्माण अनुज्ञा/नवीनीकरण दिनांक.....तक वैध है।

(14) भवन मानचित्र नगर विकास न्यास भिवाडी के ग्रेटर भिवाडी भवन विनियम 2011 अथवा नगर विकास न्यास भिवाडी द्वारा स्वीकृत भवन मानदण्ड के अनुसार तैयार किए गए है मानचित्र तैयार करते समय विनियमों की गलत व्याख्या नही की गई है। भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्रों के अनुरूप ही किया जायेगा।

(15) प्रस्तावों को प्रस्तुत करने से पूर्व आवश्यक सूचनाऐ/स्पष्टीकरण इत्यादि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर ली गई थी। भूखण्ड़ सड़क की निर्धारित चौडाई या अन्य किन्ही प्रतिबन्धों से प्रभावित नही है।

(16) भवन मानचित्र बनाते समय कोई भी तथ्य छुपाया नही गया है।

तकनीकीविज्ञ के हस्ताक्षर

प्रमाणिकता

मैं ऊपर वर्णित तकनीकीविज्ञ आज दिनांक .....वर्ष .....को स्थान..... में प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर अन्डरटेकिंग में में दिए गए तथ्य 1 से 16 तक मेरी जानकारी में सत्य है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नही गया है।

तकनीकीविज्ञ के हस्ताक्षर

(रूपयें 10 के नॉन ज्यूडिशियल)
स्टाम्प पेपर पर नोटरी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित)

शपथ–पत्र

मैं .....पुत्र/पत्नि..... निवासी .... शपथ बयान करता हँ। कि मेरे द्वारा नगर विकास न्यास भिवाडी में भवन निर्माण हेतु (सम्बन्धित भूमि का पूर्व विवरण) ....के मानचित्र प्रस्तुत किए जा रहे है। भूमि पूर्णतया मेरे स्वामित्व की है। प्राधिकरण /राज्य सरकार की अवाप्ति में नहीं आती है और न ही भूमि अवाप्त है।

शपथ ग्रहिता

(कृषि भूमि की स्थिति में)

कि जिस भूमि के भवन निर्माण मानचित्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। उस भूमि का रूपान्तरण शुल्क जमा करवाकर सक्षम अधिकारी से भूमि का रूपान्तरण करा लिया गया है।

कि यदि उपरोक्त तथ्यो में से कोई गलत पाया जाता है तो परिणाम के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊगा।

शपथ ग्रहिता

आवेदक द्वारा रूपयें 10 के नॉन ज्यूडिशियल
स्टाम्प पेपर पर नोटरी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित
क्षतिपूरक प्रतिज्ञा पत्र

मै..... पुत्र श्री ..... उम्र.....
निवासी .....
निम्न क्षतिपूरक लेख करता हैः–

यह है कि भूखण्ड संख्या ..... जो ..... स्थित जिसका क्षेत्रफल ..... वर्ग मी. है का स्वामी/होल्डर हूॅ। यह है कि मै उपरोक्त भूखण्ड पर निर्माण करना चाहता हूॅ।

यह कि नगर विकास न्यास भिवाडी के ग्रेटर भवन विनियम 2011 के अन्तर्गत उपरोक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु मेरे पत्र दिनांक ..... के द्वारानगर विकास न्यास भिवाडी में मानचित्र प्रस्तुत किए गए है।

यह कि भवन के मानचित्र की स्वीकृति हेतु मेने शपथ पत्र के रूप में प्रतिज्ञा पत्र (प्रतिलिपि संलग्न है) नगर विकास न्यास भिवाडी में प्रस्तुत किया है।

यह कि नगर विकास न्यास भिवाडी ने उपरोक्त प्रतिज्ञा पत्र के आधार पर भवन निर्माण की स्वीकृति देने पर सहमत है।

अतः यह लेख पत्र साक्षी है कि उक्त शपथ पत्र के आधार पर उक्त भूखण्ड जो ....स्थित है जिसके भवन निर्माण के मानचित्र मेरे प्रार्थना पत्र दिनांक ..... के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे जिन पर नगर विकास न्यास स्वीकृति देने में सहमत है, मै यह प्रतिज्ञा करता हूॅ कि उक्त स्वीकृति के कारण यदि नगर विकास न्यास को किसी न्यायालय या सक्षम अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही मे कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पडे या देने योग्य हो तो मै उनकी इस क्षति को पूर्ण करूँगा।

मै यह भी बयान करता हूॅ कि मै और मेरे उत्तराधिकारी इस क्षमिपूरक प्रतिज्ञा पत्र की उपरोक्त शर्तो से बाध्य रहेगे।

दिनांकः

गवाहः 1

2 निष्पादक

आवेकद द्वारा रूपयें 10 के नॉन ज्यूडिशियल
स्टाम्प पेपर पर नोटरी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित

पार्किंग संबंधी शपथ पत्र

श्री..... पुत्र/पुत्री श्री..... उम्र.....
निवासी..... का शपथ पत्र।

मै. ..... शपथ पूर्वक निम्न घोषणा करता हूँ:–

1. यह कि भूखण्ड संख्या ..... जो..... स्थित है जिसका क्षेत्रफल ..... वर्ग मी0 है का स्वामी/होल्डर हूँ।
2. यह कि प्रस्तावित भवन में वाहनो की पार्किंग के लिये बेसमेन्ट में ..... वर्ग मी0 तथा स्टिल्ट फ्लोर पर ..... वर्ग मी0 अर्थात कुल ..... वर्ग मी0 फ्लोर एरिया आरक्षित किया गया है।
3. यह कि मेरे द्वारा भवन के निवासकर्त्ताओं को पार्किंग क्षेत्र सबलीज पर केवल पार्किंग उपयोग हेतु ही उपलब्ध करवाया जावेगा।
4. यह कि बेसमेन्ट व स्टिल्ट के पार्किंग क्षेत्र को मेरे द्वारा या सबलीजकर्त्ता द्वारा यदि अन्य उपयोग में परिवर्तन किया जाता है तो नगर विकास न्यास भिवाडी को अनाधिकृत निर्माण/उपयोग को हटाने का पूर्ण अधिकार होगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मै..... उपरोक्त शपथग्रहिता सशपथ सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के चरण 1 व 4 में वर्णित तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही है। इसमें कोई तथ्य गलत नही है एवं कोई तथ्य छिपाया नही गया है। ईश्वर मेरी सहायत करे।

सत्यापनकर्त्ता

CERTIFICATE OF UNDERTAKING
FOR COMPLIANCE OF THE PROVISION OF N.B.C. PART – VI
FOR EARTHQUAK E SAFETY

(To be submitted at the time of approval of building plans)

Plot No. …….

Scheme ……..

Area of the plot …….

Proposed Height of the building …….

1. Certified the vuilding plans submitted for approval sarisfy the safety requirement as stipulated under building regulation no. 14.7 and the information given therein is factually correct to the best of our knowledge and understanding.
2. It is also certified that the structural design including safety from earthquake shall be duly incorporated in the design of tha building and these provisions shall be adhered to during the construction.

Signature of Owner …….

Name & address ……...

Signature of Structural Engineer ……

Name & address …….

Registration No. ……

Signature of Architect ……..

Name & address ……..

Registration No. ……..

CERTIFICATE OF UNDERTAKING
FOR COMPLIANCE OF THE PROVISION OF N.B.C. PART – VI
FOR EARTHQUAKE SAFETY

(To be submitted at the time of application for occupancy certificate of building)

Plot No. …….

Scheme ……..

Area of the plot …….

Proposed Height of the building …….

1. The building/s has/have been constructed according to the sanctioned plan.
2. The building/s has/have been constructed as per approved plan and structural design (One set of structural drawings as executed and certified by the Structural Engineer is enclosed) which incorporates the provision os structural safety as specified in the regulations.
3. Construction has been done under our supervision/guidance and is asheres to the drawings submitted.

Signature of Owner …….

Name & address ……...

Signature of Structural Engineer ……

Name & address …….

Registration No. ……

Signature of Architect ……..

Name & address ……..

Registration No. ……..